



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05102023-249181
CG-DL-E-05102023-249181

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 247]
No. 247]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 29, 2023/आश्विन 7, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 29, 2023/ASVINA 7, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2023

मामला सं. एडी (ओआई) - 04/2022

विषय : चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “व्हील लोडर्स” के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 6/4/2022-डीजीटीआर.—1. समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975) और सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण एवं क्षति के निर्धारण हेतु) और उसकी समय समय पर यथा-संशोधित नियमावली, 1995 (“पाटनरोधी नियमावली, 1995”) को ध्यान में रखते हुए:

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. मैसर्स जेसीबी इंडिया लिमिटेड (जिसे यहां आगे “घरेलू उद्योग” कहा गया है) ने चीन जन.गण. (“संबद्ध देश”) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “व्हील लोडर्स” (“विचाराधीन उत्पाद” अथवा “संबद्ध सामान” अथवा “व्हील लोडर्स”) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत के लिए सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे

आगे “सीमा प्रशुल्क अधिनियम” कहा गया है) और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी(जिसे यहां आगे “प्राधिकारी” कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन-पत्र दायर किया है।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क जो यदि लगाया जाए और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की राशि की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5 के साथ पठित सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 30 सितंबर, 2022 की अधिसूचना सं. 6/4/2022-डीजीटीआर द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ख. प्रक्रिया

3. इस जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है:

- i. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने की प्रक्रिया से पूर्व वर्तमान पाटनरोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।
- ii. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30 सितंबर, 2022 की सार्वजनिक सूचना जारी की।
- iii. प्राधिकारी ने दिनांक 4 अक्तूबर, 2022 की जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, संबद्ध आयातों के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और आवेदक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भेजी। हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे जांच की शुरुआत की अधिसूचना में निर्धारित स्वरूप और तरीके में संगत सूचना उपलब्ध कराएं और जांच की शुरुआत की अधिसूचना द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात अनुरोध दें।
- iv. प्राधिकारी ने दिनांक 4 अक्तूबर, 2022 के ईमेल के माध्यम से पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(3) के अनुसार आवेदक द्वारा दायर आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति भी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और भारत में संबद्ध देश के दूतावास को उपलब्ध कराई।
- v. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को जांच की शुरुआत की अधिसूचना द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें। संबद्ध देश के दूतावास को भी संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों सहित उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रति भेजी गई थी।
- vi. प्राधिकरण ने चीनी दूतावास, सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और घरेलू उद्योग को आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की। आर्थिक हित प्रश्नावली को प्रशासनिक लाइन मंत्रालय के साथ भी साझा किया गया था।
- vii. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी:
 - i. गुआंक्सी लियुगोंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड
 - ii. शानडोंग लिंगोंग कन्स्ट्रक्शन मशीनरी कंपनी लिमिटेड
 - iii. कैटरपिल्लर (किंगजोर) लिमिटेड
 - iv. लिभेर मशीनरी (डायलियान) कंपनी लिमिटेड
 - v. वाल्वो कन्स्ट्रक्शन इक्यूपमेंट चीन
 - vi. लोकिंग इंटरनेशनल

- viii. दिनांक 3 नवंबर, 2022 को, प्राधिकारी ने संबद्ध जांच में उत्पाद नियंत्रण संख्याओं ("पीसीएन") के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति के संबंध में चर्चा आयोजित की। हितबद्ध पक्षकारों को पीसीएन पद्धति पर उनकी टिप्पणियां दायर करने के लिए 7 नवंबर, 2022 तक का समय दिया गया था।
- ix. तदनुसार, प्राधिकारी ने 17 नवंबर, 2022 की अधिसूचना द्वारा संबद्ध जांच में पीसीएन पद्धति को अंतिम रूप दिया। निर्यातकों के अनुरोध पर प्राधिकारी ने प्रश्नावली के उत्तर दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय विस्तार दिया। उसके बाद हितबद्ध पक्षकारों को प्राधिकारी द्वारा परिचालित प्रश्नावलियों के उत्तर दायर करने के लिए 2 दिसंबर, 2022 तक का समय दिया गया था।
- x. उपरोक्त अधिसूचना के उत्तर में, संबद्ध देश के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:
- i. लाइभेर मशीनरी (डाइलियान) कंपनी लिमिटेड ("लाइभेर डाइलियान")
 - ii. लाइभेर (चीन) कंपनी लिमिटेड ("लाइभेर चीन")
 - iii. लाइभेर एक्सपोर्ट एजी ("लाइभेर स्विट्जरलैंड")
 - iv. लाइभेर वेर्क-बिस्चोफ्सोफेन जीएमबीएच ("लाइभेर आस्ट्रिया")
 - v. एक्ससीएमजी कन्स्ट्रक्शन मशीनरी कंपनी लिमिटेड टेक्नोलॉजी ब्रांच,
 - vi. जुझोऊ कन्स्ट्रक्शन मशीनरी ग्रुप इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी, लिमिटेड
 - vii. शानडोंग लिंगोंग कन्स्ट्रक्शन मशीनरी कंपनी लिमिटेड
 - viii. कैटरपिल्लर (किंगजोर) लिमिटेड
 - ix. कैटरपिल्लर (सुझोऊ) कंपनी लिमिटेड
 - x. कैटरपिल्लर इंक.
 - xi. कैटरपिल्लर एसएआरएल सिंगापुर ब्रांच
 - xii. गुआंक्सी लियुगोंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड
- xi. संबद्ध देश के जिन उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं अथवा जांच में सहयोग नहीं किया है उन्हें जांच में असहयोगी माना गया है।
- xii. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को भी प्रश्नावलियां भेजी:
- xiii. निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने आयातक/प्रयोक्ता प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए:
- i. लाइभेर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("लाइभेर इंडिया")
 - ii. सचिविंग स्टेटर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
 - iii. वोल्वो सीई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 - iv. लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 - v. गेनवैल कोमोसेल्स प्राइवेट लिमिटेड
 - vi. जीएमएमसीओ लिमिटेड
- xiv. इसके अतिरिक्त, चीन जन.गण. की एक एसोसिएशन अर्थात् चाइन चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ("सीसीसीएमई") ने जांच में भाग लिया।
- xv. डायरेक्टरेट जनरल आफ सिस्टम्स एंड डाटा मैनेजमेंट (डीजी सिस्टम्स) से क्षति की अवधि और जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों के लेन-देनवार ब्यौरे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। वे प्राधिकारी को प्राप्त हो गए थे और जांच की शुरुआत के स्तर पर तथा वर्तमान अंतिम जांच परिणाम के लिए उन पर विचार किया गया।

- xvi. एडी नियम, 1995 के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकरण ने 6 अप्रैल, 2023 को हाइब्रिड मोड में आयोजित सार्वजनिक सुनवाई के माध्यम से विषय की जांच के संबंध में इच्छुक पार्टियों को मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। जिन हितबद्ध पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए उनसे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध, यदि कोई हैं, दायर करने का अनुरोध किया गया था। हितबद्ध पक्षकारों को यह भी निर्देश दिया गया था कि वे उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा करें।
- xvii. क्षति रहित कीमत (जिसे यहां आगे एनआईपी कहा गया है) सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों के लिए नियोजित पूंजी पर उपयुक्त आय और उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xviii. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच और सत्यापन आवश्यक समझी गई सीमा तक स्थल सत्यापन के दौरान किया गया है और वर्तमान अंतिम जांच परिणाम के लिए उस पर विश्वास किया गया है।
- xix. संबद्ध देश के सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच और सत्यापन आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था और वर्तमान अंतिम जांच परिणाम के लिए उस पर विश्वास किया गया है।
- xx. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 है। वर्तमान जांच के लिए क्षति की अवधि 1 अप्रैल, 2018 – 31 मार्च, 2019, 1 अप्रैल, 2019- 31 मार्च, 2020, 1 अप्रैल, 2020 – 31 मार्च, 2021 और जांच की अवधि है।
- xxi. प्राधिकारी ने दिनांक 10 अप्रैल, 2020 की व्यापार सूचना सं. 01/2020 के माध्यम से निर्धारित तरीके में पारस्परिक आधार पर विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना/अनुरोधों की जांच ऐसे गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने उस सूचना/अनुरोधों को गोपनीय माना। गोपनीयता के दावों को स्वीकार न किए जाने के मामले में हितबद्ध पक्षकारों को उसके अगोपनीय रूपांतर को प्रस्तुत करने और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित करने का निर्देश दिया गया था।
- xxii. प्राधिकारी ने उठाए गए सभी तर्कों और इस स्तर पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना पर उस सीमा तक विचार किया है जहां वे वर्तमान जांच के लिए साक्ष्यों के साथ समर्थित हैं और संगत माने गए हैं।
- xxiii. इन अंतिम जांच परिणामों में**** गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकार द्वारा दी गई और पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।
- xxiv. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच की अवधि के लिए विनिमय दर 1 अमरीकी डॉलर=75.26 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों (निर्यातकों, आयातकों और उपभोक्ताओं) द्वारा किए गए अनुरोध

4. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. प्राधिकारी की यह सतत परिपाटी है कि वे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से उन उत्पादों को अलग करे जो घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं किए जाते हैं और/अथवा भारत में आयात नहीं किए जाते हैं।
- ख. घरेलू उद्योग 7,000 कि.ग्रा. के रेटेड पेलोड के व्हील लोडरों का उत्पादन नहीं करता।
- ग. 7,000 कि.ग्रा. के रेटेड पेलोड वाले व्हील लोडरों का प्रयोग माइनिंग और शिपिंग पत्तनों जैसे विशिष्ट उद्योगों में किया जाता है। सीमित घरेलू मांग के कारण भारत में उनका उत्पादन करना वाणिज्यिक रूप

से अर्थक्षम नहीं है। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने चीन से 7,000 कि.ग्रा. की पेलोड रेटिंग वाले व्हील लोडरों को आयात किया है क्योंकि भारत में घरेलू तौर पर उनका विनिर्माण नहीं किया जाता है।

- घ. 7,000 कि.ग्रा. की क्षमता वाले डीजल इंजिन व्हील लोडरों की 5,500 कि.ग्रा. के पेलोड वाले घरेलू तौर पर उत्पादित व्हील लोडरों की तुलना में भिन्न तकनीकी विशिष्टियां हैं। 7,000 कि.ग्रा. के व्हील लोडरों के स्थान पर 5,500 कि.ग्रा. के व्हील लोडर रखने से अदक्षताएं होंगी और समय चक्र, ईंधन खपत, स्थल दक्षता, संबद्ध मशीनरी दक्षता, सुरक्षा चिंता, उत्पादकता और रखरखाव लागत के संदर्भ में प्रतिकूल परिणाम होंगे। 7,000 कि.ग्रा. के व्हील लोडरों का प्रयोग 5,500 कि.ग्रा. व्हील लोडरों की तुलना में कम ईंधन खपत के साथ उच्चतर सामग्री संचलन प्राप्त करते हुए सीमित समय ढांचे के अन्तर्गत भारी लोडिंग के लिए किया जाता है। 7,000 कि.ग्रा. के व्हील लोडरों का आयात करके पाटनरोधी शुल्क की प्रवचना की कोई संभावना नहीं है।
- ड. यदि कम रेटेड क्षमता वाले व्हील लोडर वास्तविक यूप से उच्चतर रेटेड पेलोड व्हील लोडर को प्रतिस्थापित कर सकते, तो बाजार केवल एक प्रकार के रेटेड पेलोड क्षमता का ही होता। यदि कम रेटेड वाले व्हील लोडर वही काम कर सकते तो उपभोक्ताओं ने उच्चतर रेटेड व्हील लोडरों को अस्वीकार कर दिया होता।
- च. घरेलू उद्योग ने 'सैद्धांतिक पेलोड' और 'रेटेड पेलोड' के बीच अंतर के संबंध में स्पष्ट सूचना नहीं दी है अथवा अपने उत्पाद ब्रोसर में ये विशिष्टियां प्रकट नहीं की हैं।
- छ. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि याचिका में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख नहीं है कि घरेलू उद्योग के किसी उत्पाद का कोई पेटेंट और पंजीकृत डिजाइन, उनका खुद का, उनके समर्थकों का अथवा उनके आयातकों और निर्यातकों का है। इस संबंध में यह तर्क दिया गया है कि विगत में उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से केवल इसलिए अलग किया गया है क्योंकि वह पेटेंट था।
- ज. घरेलू उद्योग ने खुद ही यह अनुरोध किया है कि 7,000 कि.ग्रा. से अधिक के रेटेड पेलोड वाले व्हील लोडर को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए और इससे उन्होंने स्वीकार किया है कि 7,000 कि.ग्रा. से अधिक वाले व्हील लोडर घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित 5,585 कि.ग्रा. के रेटेड पेलोड वाले व्हील लोडर से प्रतिस्थापनीय नहीं हैं।
- झ. यह तथ्य कि जेसीबी 3650 कि.ग्रा. तथा 3350 कि.ग्रा. की रेटेड क्षमता के व्हील लोडर का उत्पादन कर रहा है, खुद ही दर्शाता है कि स्पष्ट रेटेड पेलोड क्षमता एक महत्वपूर्ण मानदंड है और 300 कि.ग्रा. के अंतर से व्हील लोडर की अलग श्रेणी बन सकती है और प्रयोक्ताओं के लिए एक निर्धारक कारक हो सकता है।
- ञ. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने इसे हटाए जाने के लिए समवर्ती (अथवा 'और') शर्तों पर आपत्ति की है। यह तर्क दिया गया है कि रेटेड पेलोड के साथ इसे हटाए जाने के लिए अतिरिक्त शर्तों में गलती से विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के क्षेत्र के अन्तर्गत 7,000 कि.ग्रा. और उससे अधिक के रेटेड पेलोड वाले व्हील लोडर शामिल हो सकते हैं, यहां तक कि यद्यपि उनका उत्पादन आवेदक द्वारा नहीं किया जाता है।
- ट. किसी भी तृतीय पक्षकार ने यह निर्धारित नहीं किया है कि 7,000 कि.ग्रा. से अधिक पेलोड वाले व्हील लोडर में कुछ विशिष्टियां होनी चाहिए, यथा – इंजिन पावर, व्हील ट्रीड, और व्हील बेस। व्हील लोडरों को अलग करने के लिए इन शर्तों को आवश्यक रूप से स्वीकार करने से अनिवार्य उत्पाद मानक बनते हैं और 7,000 कि.ग्रा. से अधिक पेलोड वाले लोडरों के बीच एक कृत्रिम भेद बनता है।
- ठ. सीमा शुल्क प्राधिकारियों के लिए यह निर्धारित करना कठिन है कि क्या सेमी-नॉकड डाउन स्थिति में आयातित व्हील लोडर व्हील बेस, व्हील ट्रीड, और इंजिन पावर के संबंध में अतिरिक्त शर्तें पूरी करते हैं।
- ड. आवेदक इलैक्ट्रिक व्हील लोडर (बैटरी प्रचालित) का उत्पादन नहीं करता। इलैक्ट्रिक व्हील लोडरों का जांच की अवधि के दौरान भारत में आयात नहीं किया गया है।
- ढ. इलैक्ट्रिक व्हील लोडरों की भौगोलिक स्थानों, अत्यधिक तापमान और चार्जिंग आवश्यकताओं के संदर्भ में सीमाएं हैं जो निर्बाध उत्पादकता को प्रभावित कर सकते हैं।

- ण. इलैक्ट्रिक व्हील लोडरों में आवश्यक कानूनी ढांचे सड़क परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में पंजीकरण के लिए प्रमाणन का अभाव है और डीजल इंजिन व्हील लोडरों के असमान सड़कों पर प्रयुक्त नहीं किए जा सकते।
- त. इलैक्ट्रिक व्हील लोडरों की खरीद लागत डीजल इंजिन व्हील लोडरों की खरीद लागत से लगभग तीन गुना अधिक है, और वे उनके समकक्ष की तुलना में कम कार्बन फुटप्रिंट और ध्वनि प्रदूषण में योगदान करते हैं। इलैक्ट्रिक व्हील लोडरों को अलग करने में विफलता से उत्सर्जन मुक्त इलैक्ट्रिक विकल्पों का प्रयोग हतोत्साहित होगा, यहां तक कि जब वे विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हैं।
- थ. इलैक्ट्रिक व्हील लोडरों की डीजल इंजिन व्हील लोडरों की तुलना में भिन्न उत्पादन प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, हिस्से पुर्जे और विशिष्टियां हैं, जिससे कम उत्सर्जन और शोर होता है। इलैक्ट्रिक व्हील लोडरों को चार्जिंग स्टेशन और पर्याप्त विद्युत आपूर्ति जैसी विशिष्ट अवसंरचना की आवश्यकता होती है, जबकि डीजल इंजिन व्हील लोडरों की ऐसी आवश्यकता नहीं होती।
- द. सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय अवसंरचना/निर्माण प्रयोजनों के लिए व्हील लोडरों का प्रमुख प्रयोक्ता है और वह पर्यावरण के अनुकूल समाधानों, यथा बैटरी-प्रचालित व्हील लोडरों को बढ़ावा देता है। विद्युत मंत्रालय भी नीति आयोग के परामर्श से विद्युत वाहनों का समर्थन कर रहा है और उन्होंने इलैक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना हेतु दिशा-निर्देश लागू किए हैं।
- ध. जांच की शुरुआत की अधिसूचना तथा पीसीएन अधिसूचना इंजिन पावर के आधार पर उत्पाद का श्रेणीकरण करता है (केवल इंजिन द्वारा पावर्ड व्हील लोडर पर विचार किया गया है)। बैटरी-प्रचालित व्हील लोडरों में, लोडर को पावर देने के लिए कोई इंजिन नहीं होता है। इस प्रकार, गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित व्हील लोडर, यथा- बैटरी प्रचालित इलैक्ट्रिक व्हील लोडर, अंतर-निहित रूप से भिन्न उत्पाद श्रेणियां हैं।
- न. गुआंक्सी लियुगोंग मशीनरी ने जांच की अवधि के दौरान इलैक्ट्रिक व्हील लोडर का उत्पादन और बिक्री की है।
- प. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में व्हील लोडरों के हिस्से पुर्जे और संघटक शामिल नहीं हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि सेमी-लॉकडाउन (एसकेडी) अथवा पूरी तरह से लॉकडाउन (सीकेडी) रूप विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल हैं।
- फ. घरेलू उद्योग ने एसकेडी रूप और सीकेडी रूप में व्हील लोडरों की पहचान और मात्राकरण के संबंध में किसी स्पष्टीकरण के बिना विचाराधीन उत्पाद अथवा गैर-विचाराधीन उत्पाद श्रेणीकृत आयात होने का दावा किया है।
- ब. यह सुझाव दिया गया है कि एसकेडी (सेमी-नॉकडाउन) रूप में व्हील लोडरों को कुछ अलग से आयातित मर्दों के साथ एसेम्बल किए हुए मशीन बॉडी अथवा चेसिस (इंजिन, गीयर बॉक्स, फ्रेम और ऐक्सल सहित) से युक्त के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। इन मर्दों में बैकेट, केबिन, टूल किट, मफलर्स, हैंडरेल्स, और लैडर शामिल हैं।
- भ. सीकेडी वह उत्पाद है जो पूरी तरह से एसेम्बल न किए हुए रूप में है। प्रभाव में, एसकेडी और सीकेडी में उत्पाद, समान उत्पाद हैं और अंतर केवल एसेम्बली के स्तर का है। अतः, आयात आंकड़ों से सीकेडी फार्म में व्हील लोडरों को अलग किए जाने के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं है।
- म. आज की तारीख तक ऐसी कोई जांच नहीं है जिसमें सीकेडी रूप में विचाराधीन उत्पाद शामिल किया गया हो और सीकेडी रूप में विचाराधीन उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद से अलग किया गया हो।
- य. एक सशक्त अवधारण है कि घरेलू उद्योग ने सीकेडी रूप में विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है और 'घरेलू उद्योग' के रूप में पात्र होने के लिए ही सीकेडी रूप में व्हील लोडरों को अलग किया है।
- कक. एसकेडी रूप में आयातित व्हील लोडर में पूरी तरह से निर्मित यूनिट के रूप में एसेम्बलिंग के लिए काफी मूल्य अभिवृद्धि होती है। इसे अन्य के साथ साथ एसेम्बलिंग, कुशल कार्मिक, ऊर्जा खपत, गुणवत्ता नियंत्रण/परीक्षण, बिक्री और वितरण के निमित्त मूल्य अभिवृद्धि की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, सीबीयू (पूर्णतः निर्मित यूनिट) और एसकेडी परिवहन लागत, उत्पाद गुणवत्ता आदि के संदर्भ

में भिन्न हैं। अन्य बातें समान होने के नाते सीबीयू और एसकेडी की लागत समझना भिन्न हैं और सीबीयू का मूल्य/कीमत एसकेडी यूनिट की अपेक्षा स्वतः अधिक है।

- खख. एसकेडी रूप में व्हील लोडरों की तुलना सीबीयू रूप में व्हील लोडर के साथ नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की किसी तुलना से उचित क्षति विश्लेषण नहीं होगा।
- गग. दि कैटरपिल्लर कंपनियों ने 2 नवंबर, 2022 के ईमेल द्वारा प्राधिकारी से प्रस्तावित उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पर अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कीं। उन्होंने 4 नवंबर, 2022 को बाद में दूसरा पत्र भेजा जिसमें यह अनुरोध किया गया कि पीसीएन पद्धति के संबंध में प्राधिकारी के साथ बैठक की जाए। तथापि, बैठक के लिए उनका अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया था। दिनांक 17 नवंबर, 2022 को प्राधिकारी ने पीसीएन वर्गीकरण की पुष्टि की जो जांचों की शुरुआत के दौरान प्रस्तावित किया गया था। अतः, यह तर्क दिया गया है कि उन्हें उचित अवसर नहीं दिया गया है।
- घघ. मैनुअल ट्रांसमिशन, ड्राई ब्रेक और गियर पंप वाले व्हील लोडर की तुलना में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, वेट ब्रेक, और पिस्टन पंप वाले व्हील लोडर के बीच लागत/कीमत का अंतर लगभग 40 प्रतिशत का है।

ग.2 घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. विचाराधीन उत्पाद एक निर्माण उपस्कर है, जिसका प्रयोग विभिन्न अनुप्रयोगों, यथा-लोडिंग, शिपिंग, हीपिंग, और डोजिंग बल्क अथवा डिस्क्रीट मैटिरियल में बैकेट्स अथवा अन्य अटैचमेंट का प्रयोग करके किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में उन अतिरिक्त विशेषताओं वाले व्हील लोडर्स शामिल हैं जो लोडिंग, शिपिंग और सामग्री की डोजिंग आदि के अनिवार्य प्रकार्य से अधिक प्रकार्य प्रदान करते हैं।
- ख. व्हील लोडर फ्रंट लोडिंग मैकेनिज्म वाले एक आर्टिकुलेशन ज्वाइंट वाला स्वःप्रणोदित व्हील माउंटेड उपस्कर है। विचाराधीन उत्पाद सामान्य रूप से 'व्हील लोडिंग शोवल/व्हील लोडर/फ्रंट-एंड लोडर/व्हील लोडिंग शोवल/व्हील लोडर' के रूप में जाना जाता है।
- ग. व्हील लोडर लिफ्ट और लोअर आप्रेशनों के साथ फ्रंट पर हाइड्रोलिक रूप से प्रचालित आर्म्स में भी फिट किया होता है। इसके अतिरिक्त, व्हील लोडर फ्रंट माउंटेड बैकेट से युक्त होता है, जिसको अनुप्रयोग के आधार पर फ्रंट पर अन्य अटैच मिंटो और बैकेट प्रचालित करने के लिए टिल्टिंग सिलेंडर से समर्थन प्राप्त होता है।
- घ. विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग सामग्री सार संभाल और क्रशरों, रेडी-मिक्स-कंक्रीट संयंत्रों, माइनिंग, पत्तनों, प्रसंस्करण उद्योगों, और अन्य सामान्य इंजीनियरिंग तथा औद्योगिक अनुप्रयोगों में लोडिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है।
- ड. रेटेड पेलोड क्षमता विनिर्माता द्वारा स्व-घोषित मानदंड है जो न तो किसी बाहरी पक्षकार द्वारा प्रमाणित है और न ही किसी लागू कानून से विनियमित है। चूंकि व्हील लोडर्स की रेटेड पेलोड क्षमता स्व-घोषित है, अतः घोषित पेलोड क्षमता संशोधित कर आयातित शुल्कों से बचने के लिए प्रयास कर रहे आयातकों अथवा विदेशी उत्पादकों द्वारा घोषित पेलोड क्षमता को नकारा नहीं जा सकता।
- च. सकल इंजिन पॉवर वह मानदंड है जो उस इंजिन का उत्पादन पॉवर का मापन करता है जो व्हील लोडर को प्रचालित करता है। इंजिन की ट्यूनिंग कम दक्षता के लिए परिवर्तन में सकल विद्युत को बढ़ाने के लिए कम दक्षता में परिवर्तित किया जा सकता है अथवा इसके विपरीत किया जा सकता है। तदनुसार, किसी मात्रा में भौतिक आयामों में किसी पर्याप्त परिवर्तनों के बिना पाटनरोधी शुल्क से बचने के लिए सकल इंजिन पॉवर से बचा जा सकता है।
- छ. यहां तक कि यद्यपि रेटेड पेलोड क्षमता और सकल इंजिन पॉवर व्हील लोडर के लिए संगत महत्वपूर्ण मानदंड हैं, तथापि अलग करने मानदंडों से बचने के लिए कोई भी पक्षकार अपनी दावा की गई पेलोड क्षमता में छोटे परिवर्तन आसानी से कर सकता है और उत्पाद क्षेत्र से अपने उत्पाद को अलग कराने के लिए अपने इंजिन को अलग ढंग से बता सकता है। तथापि, मशीन का आकार (अर्थात् हटाए जाने के के अन्य दो मानदंड बंद करके) संशोधित करने के लिए अधिक कठिन है।

- ज. हटाए जाने का परीक्षण उपर्युक्त चारों मानदंडों के आधार पर किया जाना चाहिए। उपर्युक्त के अभाव में केवल एक या दो मानदंडों के आधार हटाया जाना किसी लगाए गए शुल्क की प्रवंचना के लिए ग्रहणीय है, अंततः शुल्कों के अभीष्ट प्रभाव को कम करना है।
- झ. घरेलू उद्योग का यह भी अनुरोध है कि डब्ल्यूटीओ कानून की यह निर्धारित स्थिति है कि 'समान उत्पाद' का निर्धारण मामला दर मामला आधार पर संगत कारकों की जांच करके किया जाना चाहिए।
- ञ. प्राधिकारी की यह भी सतत परिपाटी है कि वे यह जांच करने में निम्नलिखित कारकों पर विचार करें कि क्या घरेलू उत्पाद आयातित उत्पाद की समान वस्तु है: (क) उत्पाद विशिष्टियां, जिनमें भौतिक और रासायनिक विशेषताएं शामिल हैं; (ख) विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी; (ग) कच्ची सामग्री; (घ) प्रकार्य एवं प्रयोग; (ङ.) कीमत निर्धारण; (च) वितरण एवं विपणन तथा (छ) सामानों का प्रशुल्क वर्गीकरण।
- ट. जैसा कि माननीय सेस्टेट द्वारा मेरिनो पैनल प्रोडक्ट्स लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (2016) (334) ईएलटी 552 में निर्धारित किया गया है, वाणिज्यिक रूप से और तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय उत्पाद 'समान उत्पाद' हैं और पाटनरोधी जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाने चाहिए।
- ठ. अन्य न्यायाधिकार क्षेत्र, यथा – यूरोपियन आयोग और संयुक्त राज्य अमेरिका भी बेसिक मूलभूत भौतिक एवं तकनीकी विशेषताओं, अंतिम प्रयोगों और उत्पादों की 'समानता' निर्धारित करने के लिए परस्पर परिवर्तनीयता जैसे कारकों पर विश्वास करते हैं।
- ड. घरेलू उद्योग 5,585 कि.ग्रा. तक की घोषित रेटेड पेलोड क्षमता वाले व्हील लोडरों का विनिर्माण करता है जो 7,000 कि.ग्रा. की घोषित रेटेड पेलोड क्षमता वाले व्हील लोडरों के साथ प्रतिस्थापनीय हैं।
- ढ. घरेलू उद्योग के 5,585 कि.ग्रा. रेटेड पेलोड क्षमता के व्हील रोडर कीमत रेंज, अंतिम प्रयोग और अनुप्रयोगों के संदर्भ में 7,000 कि.ग्रा. की रेटेड पेलोड क्षमता वाले व्हील रोडरों से सीधे ही प्रतिस्पर्धा करते हैं।
- ण. यदि रेटेड पेलोड क्षमता विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा के उच्चतर क्षमता स्तरों पर पद्धति में अंतरों के कारण समायोजित की जाती है तो अंतर केवल लगभग 5 से 8 प्रतिशत का ही होगा जब सतत पद्धति (अर्थात इंजिन पावर पर आधारित पेलोड) रेटेड पेलोड क्षमता निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग और ल्युगोंग के मॉडलों का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त की जाए।
- त. घरेलू उद्योग ने अपने प्रतिस्पर्धाकर्ता व्हील लोडर (5,585 कि.ग्रा. की सूचित रेटेड पेलोड क्षमता के साथ) की सैद्धांतिक पेलोड क्षमता का परिकलन किया है। ल्युगोंग के मॉडल के रूप में पेलोड अनुपात में उसी इंजिन पावर का प्रयोग करके सैद्धांतिक पेलोड क्षमता का परिकलन करने पर घरेलू उद्योग के मॉडल में भी लगभग 6,533 कि.ग्रा. की रेंज में रेटेड पेलोड क्षमता होगी। घरेलू उद्योग ने इसे स्थल सत्यापन के दौरान प्रदर्शित किया।
- थ. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित व्हील लोडर और 7,000 कि.ग्रा. की रेटेड पेलोड क्षमता के व्हील लोडर में इंजिन पावर, डाइमेंशन, हाइड्रोलिक पंप, आदि में कोई अंतर नहीं है।
- द. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित व्हील लोडर 7,000 कि.ग्रा. की पेलोड क्षमता वाले व्हील लोडरों की तरह उसी बाजार क्षेत्र में पूर्ति करते हैं।
- ध. जिस कीमत पर लियुगोंग का 870एच मॉडल आयात किया जाता है वह घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना में काफी कम है। इसके अतिरिक्त यह तथ्य कि लियुगोंग के 870एच मॉडल (7,000 कि.ग्रा. रेटेड क्षमता) की कीमत घरेलू उद्योग के 455जेडएक्स मॉडल (5585 कि.ग्रा. रेटेड क्षमता) से कम है जिसका अभिप्राय यह भी है कि लियुगोंग उत्पाद साधारण रूप से कम और क्षतिकारक कीमतों पर बेचा जा रहा है और सीधे ही घरेलू उद्योग के उत्पाद से प्रतिस्पर्धा कर रहा है।
- न. घरेलू उद्योग 3,650 कि.ग्रा. और 5,585 कि.ग्रा. की रेटेड पेलोड क्षमता वाले मॉडलों का उत्पादन और बिक्री करता है। ये दोनों मॉडल तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से 4,500 कि.ग्रा. की पेलोड क्षमता वाले व्हील लोडरों के साथ प्रतिस्थापनीय हैं।

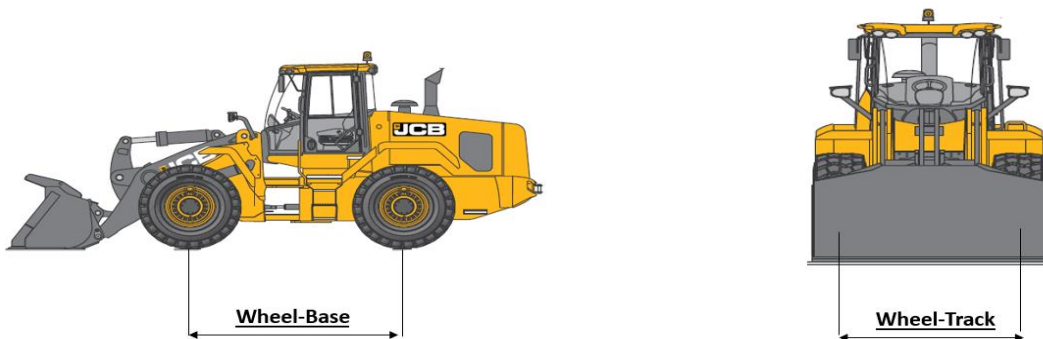
- प. घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि 2,000 कि.ग्रा. से कम की पेलोड क्षमता वाला व्हील लोडर 3,000 कि.ग्रा. की पेलोड क्षमता वाले व्हील लोडर के साथ प्रतिस्थापनीय है।
- फ. सीबीयू यप में व्हील लोडर में इंजन नंबर, मॉडल नंबर, ब्रांड और अन्य संगत ब्यौरे लेन-देनवार आयात आंकड़ों में निहित होते हैं। अतः, सीबीयू रूप में व्हील लोडरों के आयात आसानी से पहचाने जा सकते हैं।
- ब. यह नोट किया जाए कि प्रायः मशीन बॉडी अथवा चेसिस एकल एसेंबली के रूप में आयात नहीं किए जाते हैं। अतः, केटरपिल्लर ग्रुप द्वारा दिए गए एसकेडी रूप में व्हील लोडर की परिभाषा अपनाने से बेकार माने जा रहे पाटनरोधी शुल्क लगाए जा सकते हैं।
- भ. एसकेडी रूप में व्हील लोडर एकल यूनिट में इंजन, ट्रांसमिशन अथवा ऐक्सल के साथ फिट किए हुए मशीन बॉडी/चेसिस से युक्त शिपमेंट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक या अधिक अन्य संघटक फिट हो सकते हैं अथवा नहीं हो सकते हैं। एसकेडी रूप में आयातित व्हील लोडरों को न्यूनतम प्रसंस्करण, एसेम्बली, और संसाधनों के प्रयोग की आवश्यकता होती है।
- म. एसकेडी रूप में आयात सामान्यतः 5-8-लाइन मर्दों में आयातित किए जाते हैं। मुख्य रूप से ये लाइन मर्दें उसी दिन आयातित की जाती हैं और उनमें वही आयात घोषणा संख्या होती है। इन लाइन मर्दों का उत्पाद विवरण आयातित मशीनों, मॉडल नंबर, मशीन का ब्रांड और आयात का रूप अर्थात् एसकेडी/किट का स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है।
- य. सीकेडी रूप में व्हील लोडर हिस्से पुर्जों और संघटकों के रूप में आयातित व्हील लोडर होंगे। विशिष्ट रूप से मशीन के विनिर्माण के लिए अपेक्षित सभी हिस्से पुर्जे और संघटक उसी समय अथवा उसी लेन-देन और शिपमेंट के भाग के रूप में आयातित नहीं हो सकते हैं। लेन-देनवार आयात आंकड़ों से व्हील लोडरों के लिए बने संघटकों और हिस्से पुर्जों की पहचान करना कठिन सिद्ध हो सकता है जब तक कि मॉडल नंबर, ब्रांड नाम और अन्य उत्पाद ब्यौरे आयात लेन-देन विवरण में स्पष्ट रूप से उल्लिखित न किए जाएं।
- कक. सीकेडी रूप में आयातित व्हील लोडरों को भारत में काफी एसेम्बली प्रचालनों की आवश्यकता होती है। चूंकि व्हील लोडर में भारी इंजीनियरिंग और जटिल उत्पाद होते हैं, अतः सीकेडी रूप से सभी संघटकों की एसेम्बलिंग के लिए काफी कार्मिक शक्ति, कौशलों और अन्य संसाधनों की आवश्यकता होती है।
- खख. घरेलू उद्योग के 455जेडएक्स की दक्षता उत्पादन और ईंधन दक्षता के संदर्भ में ल्युगोंग के 870 एच मॉडल की दक्षता से तुलनीय (विभिन्न स्थितियों और प्रचालनों में) है। लगाई गई मशीनरी के संबद्ध वाहनों/किस्मों के प्रकार और मात्रा पर स्थल दक्षता निर्भर करती है और वह आकार, स्थान, और प्रचालनों के संदर्भ में परियोजना पर निर्भर होती है, अतः, ये मशीन के अंतर करने वाले कारक के रूप में नहीं माने जा सकते।
- गग. घरेलू उद्योग के 5,500 कि.ग्रा. पेलोड वाले व्हील लोडर यथा निर्धारित सभी स्थल सुरक्षा मानदंडों को पूरा करते हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें रॉल ओवर संरक्षण प्रणाली और एक आपातकालीन ब्रेक सिस्टम से युक्त केबिन फिट होता है।
- घघ. रखरखाव और मरम्मत लागतों पर जीवनकाल, कीमत निर्धारण, ड्यूटी साइकिल और प्रमुख कारक के नाते रखरखाव परिपाटियों के कारकों के साथ जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य से विचार किया जाना चाहिए।
- ड.ड. 5,500 कि.ग्रा. की रेटेड पेलोड क्षमता के व्हील लोडर के कार्यों का निष्पादन करने और विलोमतः, के लिए 7,000 कि.ग्रा. की रेटेड पेलोड क्षमता के व्हील लोडर के लिए कोई उन्नयन की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया से किसी प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होगी।
- चच. विचाराधीन उत्पाद में सभी व्हील लोडर उनके यांत्रिक ऊर्जा सुपुर्दगी मंच (अर्थात् आंतरिक कम्बशन इंजन अथवा बैटरी-पावर्ड इंजन/मोटर) को ध्यान में देते हुए शामिल, शामिल हैं। इंजन अथवा बैटरी-पावर्ड मोटर केवल एक ऐसा प्लेटफार्म है जो व्हील लोडर के प्रचालन के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। यद्यपि, प्रौद्योगिकी, उत्पादन प्रक्रिया, हिस्से पुर्जे और संघटक भिन्न हो सकते हैं, तथापि इलैक्ट्रिक व्हील लोडर पारंपरिक व्हील लोडर से तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।
- छछ. भिन्न भिन्न अवसंरचना और चार्जिंग स्टेशनों की आवश्यकता से एक दूसरे के समान दो उत्पाद नहीं होते। इसके अतिरिक्त, बैटरी प्रचालित व्हील लोडर (चार्जिंग के लिए) के प्रचालनों में मात्र एक अंतरिम ब्रेक का

अर्थ यह नहीं है कि वे पारंपरिक व्हील लोडर से भिन्न हैं अथवा उनमें भिन्न यूटिलिटीज हैं। इसके अतिरिक्त, उत्सर्जन और शोर स्तरों में अंतर से स्वतः ही एक दूसरे के समान होने के नाते दो उत्पाद नहीं होते हैं।

- जज. यद्यपि किसी इलैक्ट्रिक व्हील लोडर की आरंभिक लागत अधिक हो सकती है, तथापि पारंपरिक व्हील लोडर और इलैक्ट्रिक पावर्ड व्हील लोडर के लिए स्वामित्व की लागत और प्रचालन लागतें समग्र रूप से तुलनीय हैं।
- झझ. एक प्रयोक्ता के परिप्रेक्ष्य से बैटरी प्रचालित और पारंपरिक व्हील लोडर के अंतिम प्रयोग समान हैं। जिनमें आपूर्ति श्रृंखला, विकास और परीक्षण अवसंरचना में अंतर का ध्यान नहीं रखा जाता।
- ञञ. विगत में प्राधिकारी ने उन उत्पादों के ग्रेड को अलग करने से इंकार किया है जिन्हें न तो भारत में आयात किया गया है और न ही विनिर्मित किया गया है, क्योंकि दी गई जांच में घरेलू उद्योग द्वारा पेश किए गए ग्रेडों से ये ग्रेड प्रतिस्थापनीय थे।
- टट. दि केटरपिल्लर ग्रुप और केटरपिल्लर इंडिया को समय पर जांच के संबंध में सूचित किया गया था। यह भी नोट किया जाए कि प्राधिकारी ने प्रस्तावित पीसीएन ढांचे के संबंध में चर्चा के लिए सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों को आमंत्रित किया है। उसके बाद, सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी प्रश्नावली के उत्तर दायर किए जिसके आधार पर प्राधिकारी द्वारा पीसीएन को अंतिम रूप दिया गया था।
- ठठ. जांच की अवधि के दौरान इलैक्ट्रिक व्हील लोडरों के किसी आयात के अभाव के कारण पीसीएन पद्धति को संशोधित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंतिम पीसीएन पद्धति में उत्पादों के केडब्ल्यू (पावर) के आधार पर आयातित और समान वस्तुओं की तुलना करने की अनुमति है। अतः, व्हील लोडर को प्रचालित करने वाली बैटरी की पावर भी केडब्ल्यू के संदर्भ में सूचित की जा सकती है।
- डड. तीनों मानदंडों अर्थात् ट्रांसमीशन, ब्रेक्स और पंप्स (यहां तक कि जब संयुक्त रूप से माने जाएं) का प्रभाव विचाराधीन उत्पाद के कीमत निर्धारण पर केवल 0-5 प्रतिशत तक ही प्रभावित करता है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

6. वर्तमान जांच में पीयूसी "व्हील लोडर" है जो एक स्व-चालित व्हील-माउंटेड उपकरण है जिसमें एक आर्टिक्यूलेशन जोड़ होता है, जिसमें फ्रंट एंड लोडिंग तंत्र होता है।



7. व्हील लोडरों की निम्नलिखित विशिष्टियां जांच के क्षेत्र से अलग की जानी हैं:
- 7000 कि.ग्रा. से अधिक की रेटेड पेलोड क्षमता;
 - 180 किलोवाट से अधिक सकल इंजन पावर;
 - 2,280 एमएम से अधिक दाएं और बाएं व्हील (व्हील ट्रीड/ट्रैक) के बीच केन्द्र में मापी गई दूरी।

और

- iv. 3,350 एमएम से अधिक आगे और पीछे व्हील ऐक्सलों (व्हीलबेस) के बीच मापी गई दूरी।
8. उपर्युक्त सभी मानदंडों में 'और' शर्तें हैं। दूसरे शब्दों में, किसी उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से तभी अलग किया जाता है यदि वह उपर्युक्त सभी शर्तों को समवर्ती रूप से संतुष्ट करता हो।
9. निम्नलिखित पैराओं में प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों की प्रत्येक चिंता को हल किया है।
- 5,500 कि.ग्रा., 4,500 कि.ग्रा. से अधिक और 2,000 कि.ग्रा. से कम की रेटेड पेलोड क्षमता वाले व्हील लोडर**
10. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों से मुख्य तर्क यह है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित 5,500 कि.ग्रा. की रेटेड पेलोड क्षमता वाले व्हील लोडर 7,000 कि.ग्रा. की रेटेड पेलोड क्षमता वाले व्हील लोडरों से प्रतिस्थापित नहीं किए जा सकते। यह तर्क दिया गया है कि भिन्न रेटेड पेलोड क्षमताओं के व्हील लोडरों में भिन्न अंतिम प्रयोग और लागते हैं।
11. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रेटेड पेलोड क्षमता एक कंपनी द्वारा घोषित मानदंड है जहां संबद्ध सामानों के विभिन्न उत्पादक अपनी रेटेड पेलोड क्षमता सूचित करने के लिए अलग-अलग पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। अतः, तुलनीय व्हील लोडरों में भिन्न रेटेड पेलोड क्षमताएं होती हैं, जो उत्पादक कंपनी द्वारा अपनाई गई पद्धति के आधार पर होती हैं। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी नोट करते हैं कि व्हील लोडरों की रेटेड पेलोड क्षमता को किसी सक्षम निकाय अथवा किसी कानून के तहत किसी एजेंसी द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तदनुसार, मात्र भिन्न करने वाली रेटेड पेलोड क्षमता दो उत्पादों को 'असमान' बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उपर्युक्त के मद्देनजर व्हील लोडरों की रेटेड पेलोड क्षमताओं के आधार पर ही व्हील लोडरों को अलग करने से किसी लगाए गए पाटनरोधी शुल्क में बेकार हो सकते हैं।
12. इसके अतिरिक्त, स्थल सत्यापन पर घरेलू उद्योग ने यह दर्शाया कि 5,585 कि.ग्रा. की घोषित रेटेड पेलोड क्षमता वाले घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित व्हील लोडर लगभग 7,000 कि.ग्रा. के पेलोड के साथ उठा और प्रचालित कर सकते हैं जिससे दोनों उत्पाद एक दूसरे का प्रतिस्थापन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यह भी अनुरोध किया गया था कि 7,000 कि.ग्रा. और 5,585 कि.ग्रा. की घोषित पेलोड क्षमता के व्हील लोडरों का उसी स्थान पर उसी अनुप्रयोग के लिए कुछ उपभोक्ताओं द्वारा परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग किया जा रहा है।
13. इसके अतिरिक्त यह भी नोट किया गया था कि 7,000 कि.ग्रा. की रेटेड पेलोड क्षमता के अनेक मॉडलों का आयात घरेलू उद्योग द्वारा बेचे गए 5,585 कि.ग्रा. की रेटेड पेलोड क्षमता के व्हील लोडरों से काफी कम कीमत पर देश में आयात किया गया है। उपर्युक्त के मद्देनजर, यह नोट किया जाता है कि 5,585 कि.ग्रा. से अधिक की घोषित रेटेड पेलोड क्षमता वाले व्हील लोडरों को अलग करना औचित्यपूर्ण नहीं है।
14. 4,500 कि.ग्रा. की रेटेड पेलोड क्षमता और 2,000 कि.ग्रा. से कम की क्षमता वाले व्हील लोडरों के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अन्य अनुरोधों के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल उत्पादों का परस्पर परिवर्तनीय होना आवश्यक नहीं है। शामिल उत्पाद केवल तुलनीय होने की आवश्यकता है।
15. तदनुसार, विभिन्न प्रकार के व्हील लोडरों की उचित तुलना के लिए प्राधिकारी ने दिनांक 17 नवंबर, 2022 की अधिसूचना फा.सं. 6/4/2022 द्वारा हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर पीसीएन पद्धति को अंतिम रूप दिया है।
16. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी यह पाते हैं कि प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से अलग किए गए एक को छोड़कर सभी व्हील लोडर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए गए हैं।

'और' शर्तें

17. प्राधिकारी नोट करते हैं कि व्हील लोडरों की निम्नलिखित विशिष्टियां जांच के क्षेत्र से अलग की जानी हैं:
- क. 7,000 कि.ग्रा. से अधिक की रेटेड पेलोड क्षमता;
- ख. 180 किलोवाट से अधिक का सकल इंजन पावर
- ग. 2,280 एमएम से अधिक के दाएं और बाएं (व्हील ट्रीड/ट्रैक) के बीच केन्द्र में मापी गई दूरी ; और

- घ. 3,350 एमएम से अधिक फ्रंट और बैक व्हील ऐक्सल (व्हीलबेस) के बीच मापी गई दूरी।
18. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि हटाए जाने के मानदंडों का उपयोग करने के लिए इच्छुक कोई पक्षकार अपनी दावा की गई पेलोड क्षमता में छोटे से परिवर्तन कर सकता है अथवा उत्पाद क्षेत्र से अपने उत्पाद को अलग कराए जाने के लिए अपने इंजिन को भिन्न रूप से बता सकता है। तथापि, मशीन का आकार (अर्थात् हटाए जाने के दो अन्य मानदंड) में संशोधन करना और अधिक कठिन है। अतः, केवल एक या दो मानदंडों के आधार पर उसे हटाया जाना किसी लगाए गए शुल्क की प्रवंचना के लिए ग्रहणीय है।
 19. इस संबंध में, प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों की जांच करने के बाद नोट करते हैं कि 'और' हटाए जाने की शर्तों के अभाव से लगाया गया कोई पाटनरोधी शुल्क बेकार हो सकता है। रेटेड पेलोड क्षमताएं और सकल इंजिन पावर संशोधनीय मानदंड हैं जिन्हें टिक्कड किया जा सकता है। तथापि, हटाए जाने के दो अन्य मानदंडों (अर्थात् व्हील ट्रेक और व्हील ट्रीड) में संशोधन करना और अधिक कठिन हो सकता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने समवर्ती हटाए जाने के मानदंडों के कारण विचाराधीन उत्पाद के रूप में अनुचित रूप से वर्गीकृत किए जा रहे मॉडल का कोई उदाहरण नहीं दिया है।
 20. तदनुसार, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के भाग के रूप में 'और' हटाए जाने की शर्तों को बनाए रखने का प्रस्ताव करते हैं।

बैटरी प्रचालित व्हील लोडर

21. पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि बैटरी प्रचालित व्हील लोडरों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए क्योंकि न तो वे जांच की अवधि के दौरान आयात किए गए हैं और न ही उन्हें घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किया गया है।
22. प्राधिकारी नोट करते हैं कि न तो घरेलू उद्योग ने बैटरी प्रचालित व्हील लोडरों का विनिर्माण किया है और न ही उनका आयात किया गया है। यह भी नोट किया जाता है कि बैटरी प्रचालित व्हील लोडर के कीमत अंतर, अंतिम प्रयोग और अन्य तकनीकी मानदंड पारंपरिक व्हील लोडर के इन मानदंडों से काफी भिन्न हैं।
23. उन ग्रेडों को अलग करना प्राधिकारी की सतत परिपाटी है जिन्हें न तो घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित किया गया और बेचा गया है और न ही उन्हें भारत में आयात किया गया है। तदनुसार, प्राधिकरण ने बैटरी चालित व्हील लोडर को पीयूसी के दायरे से बाहर करने का निर्णय लिया है।

व्हील लोडरों की 'एसकेडी' चुनिटों को शामिल करना

24. प्राधिकारी नोट करते हैं कि व्हील लोडरों को तीन रूपों में आयात किया जा सकता है- (i) पूरी तरह से निर्मित ("सीबीयू"), (ii) सेमि नॉकडाउन ("एसकेडी"), और (iii) पूरी तरह से नॉकडाउन ("सीकेडी")।
25. सीबीयू व्हील लोडर पूरी तरह से एसेम्बल्ड मशीन है जिसमें भारत में किसी अन्य संशोधन अथवा एसेम्बली की आवश्यकता नहीं होती। एक बार आयात किए जाने पर, सीबीयू व्हील लोडर बेचे जाने के लिए और ग्राहकों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के लिए तैयार होता है। एसकेडी रूप में व्हील लोडर आंशिक रूप से एसेम्बल्ड मशीनें हैं जिनमें तकनीकी जानकारी, पूंजीगत निवेश, श्रम आदि के संदर्भ में न्यूनतम संसाधनों की आवश्यकता होती है और सीकेडी रूप में व्हील लोडर वे मशीनें हैं जो हिस्से पुर्जों और संघटकों के रूप में आयात की जाती हैं।
26. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने संघटकों के पाटन का आरोप नहीं लगाया है। यह भी अनुरोध किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद के सीकेडी रूपों को शामिल करने से व्हील लोडर के हिस्से पुर्जे और संघटकों को अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जा सकता है। अतः, विचाराधीन उत्पाद के सीकेडी रूपों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग करने का निर्णय लिया गया था।
27. दूसरी ओर, चूंकि एसकेडी रूप में व्हील लोडर पूरे सीबीयू के आसपास हैं, अतः एसकेडी रूप में व्हील लोडर को अलग करने से व्हील लोडरों के पाटित आयातों को अलग करना होगा। अतः, एसकेडी रूप में व्हील लोडर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं।
28. तथापि, प्राधिकारी मानते हैं कि एसकेडी रूप में व्हील लोडर को आयातकों के लिए स्पष्टता प्रदान करने और साथ ही मंजूरी के समय सीमा शुल्क अधिकारियों को भी स्पष्टता प्रदान करने के लिए परिभाषित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि केटरपिल्लर ग्रुप और घरेलू उद्योग ने एसकेडी यप में व्हील लोडरों के लिए

परिभाषाओं का प्रस्ताव किया है। प्राधिकारी ने इन प्रस्तावित परिभाषाओं पर विचार किया है और व्हील लोडों के एसकेडी रूपों को निम्नलिखित रूप में परिभाषित करना उपयुक्त करना मानते हैं:

“एसकेडी रूप में किसी व्हील लोड में एकल यूनिट में इंजिन, ट्रांसमिशन अथवा ऐक्सल के साथ फिट की गई मशीन बॉडी/चेसिस होती है, जिसमें एक या अधिक अन्य संघटक फिट हो सकते हैं अथवा फिट नहीं हो सकते हैं।

व्याख्या: यदि चेसिस/मशीन बॉडी उसमें फिट किए गए इंजिन, ट्रांसमिशन अथवा ऐक्सल के बिना आयात की जाती है तो कोई पाटनरोधी शुल्क देय नहीं होगा”

पीसीएन पद्धति

29. शुरुआत में, प्राधिकरण नोट करता है कि शुरुआत अधिसूचना ने इच्छुक पार्टियों को शुरुआत के 30 दिनों के भीतर प्रस्तावित पीसीएन पद्धति पर अपनी आपत्तियां रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति दी थी। तदनुसार, कुछ इच्छुक पार्टियों ने निर्धारित समय सीमा यानी 30 अक्टूबर, 2022 के भीतर प्रस्तावित पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियां दर्ज की थीं। ऐसी टिप्पणियों को पर्याप्त रूप से समझने और संबोधित करने के लिए, प्राधिकरण ने विषय की जांच में अपनाई जाने वाली पीसीएन पद्धति पर एक चर्चा आयोजित की थी। 3 नवंबर, 2022। इच्छुक पार्टियों को पीसीएन पद्धति पर अपनी टिप्पणियां दर्ज करने के लिए 7 नवंबर, 2022 तक का समय प्रदान किया गया। प्राधिकरण ने उन सभी इच्छुक पक्षों को सुनवाई में शामिल होने की अनुमति दी जिन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी टिप्पणियां दाखिल की थीं।
30. विभिन्न इच्छुक पार्टियों से प्राप्त टिप्पणियों और प्रस्तुतियों पर उचित विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने अधिसूचना दिनांक एफ. संख्या 6/4/2022 दिनांक 17 नवंबर, 2022 के माध्यम से प्राधिकरण को अंतिम रूप दिया था। अंतिम पीसीएन पद्धति इस प्रकार है:

क्र.सं.	मानदंड	रेंज	पीसीएन कोड
1.	रेटेड पेलोड	4,000 कि.ग्रा. तक	ए
		4,000 कि.ग्रा. से अधिक	बी
2.	सकल इंजिन पावर	140 कि.वा. तक	1
		140 कि.वा. तक से अधिक	2
3.	दाएं और बाएं व्हील (व्हील ट्रीड/ट्रैक) के बीच केन्द्र में मापी गई दूरी	2,100 एमएम से कम	एक्स
		2,100 एमएम और उससे अधिक	वाई
4.	फ्रंट और बैक व्हील ऐक्सल्स (व्हीलबेस) के बीच मापी गई दूरी	3,000 एमएम तक	यू
		3,000 एमएम से अधिक	एम

31. इस अधिसूचना के अनुसरण में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने अधिसूचित पीसीएन पद्धति के आधार पर अपने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए।
32. उपरोक्त के प्रकाश में, प्राधिकरण ने पाया कि पीसीएन पद्धति पर अपनी आपत्तियों को रिकॉर्ड पर रखने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किए जाने के संबंध में कैटरपिलर का तर्क निराधार है। दीक्षा अधिसूचना भारत के आधिकारिक राजपत्र और कैटरपिलर सहित सभी इच्छुक पार्टियों में प्रकाशित की गई थी। इसके बावजूद कैटरपिलर निर्धारित समय सीमा के भीतर पीसीएन पद्धति पर अपनी टिप्पणियां प्रदान करने में विफल रहा। प्राधिकरण नोट करता है कि एंटी-डंपिंग जांच एक समयबद्ध प्रक्रिया है, और विशिष्ट समय सीमा की समाप्ति के बाद किए गए अनुरोधों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, प्राधिकरण ने नीचे पीसीएन पद्धति पर अतिरिक्त टिप्पणियां दी हैं।
33. कुछ इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त पीसीएन मापदंडों (जैसे ट्रांसमिशन, ब्रेक और पंप) के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि इच्छुक पार्टियों ने यह स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है कि ये अतिरिक्त

पैरामीटर पीयूसी की कीमत की तुलना में उल्लेखनीय अंतर लाते हैं। एक अलग पीसीएन पैरामीटर की गारंटी। दूसरे शब्दों में, यह स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया है कि इन अतिरिक्त मापदंडों को शामिल करने से डंपिंग या क्षति की निष्पक्ष तुलना हो सकेगी। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने यह प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त डेटा प्रदान किया है कि इच्छुक पार्टियों द्वारा सुझाए गए इन अतिरिक्त मापदंडों के आधार पर व्हील लोडर की लागत में अंतर महत्वपूर्ण नहीं है। तदनुसार, इच्छुक पक्षों की दलीलों की जांच करने के बाद, प्राधिकरण ने पीसीएन पद्धति को संशोधित करना आवश्यक नहीं समझा।

34. इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि बैटरी चालित व्हील लोडर को पीयूसी के दायरे से बाहर रखा गया है। इसलिए, इसके लिए पीसीएन पद्धति को संशोधित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

समान वस्तु और विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र

35. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करने के बाद प्राधिकारी यह मानने का प्रस्ताव करते हैं कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध सामानों के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामान उत्पाद विशेषताओं यथा – भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्य और प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित व्हील लोडर आयातित व्हील लोडरों में तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। प्राधिकारी यह मानने का विचार बनाते हैं कि आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध विचाराधीन उत्पाद की 'समान वस्तु' हैं।

36. अतः, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद को निम्नलिखित रूप में परिभाषित करते हैं:

“वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “व्हील लोडर” है जो फ्रंट एंड लोडिंग मैकेनिज्म वाले एक आर्टिकुलेशन ज्वाइंट से युक्त स्व-प्रणोदित व्हील माउंटेड उपस्कर है।

पूरी तरह से निर्मित यूनिट (सीबीयू) अथवा सेमी-नॉकडाउन (एसकेडी) के रूप में आयातित व्हील लोडर जांच के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तथापि, पूरी से नॉकडाउन (सीकेडी) अथवा संघटक रूप में व्हील लोडर के आयात जांच के क्षेत्र से बाहर किए गए हैं।

इस सिफारिश के प्रयोजन के लिए एसकेडी रूप में व्हील लोडर में एकल यूनिट में इंजिन, ट्रांसमिशन अथवा ऐक्सल के साथ फिट किए गए मशीन बॉडी/चेसिस हैं जिनमें एक अथवा अन्य अधिक संघटक फिट हो सकते हैं अथवा फिट नहीं हो सकते हैं।

व्याख्या: यदि चेसिस/मशीन उसमें फिट किए गए इंजिन, ट्रांसमिशन अथवा ऐक्सल के बिना आयात की जाती है तो कोई पाटनरोधी शुल्क देय नहीं होंगे।

निम्नलिखित उत्पाद जांच के क्षेत्र से अलग किए जाते हैं:

I. निम्नलिखित विशिष्टियों के व्हील लोडर जांच के क्षेत्र से अलग किए जाने हैं:

- क. 7,000 कि.ग्रा. से अधिक की रेटेड पेलोड क्षमता;*
- ख. 180 किलोवाट से अधिक का सकल इंजिन पावर*
- ग. 2,280 एमएम से अधिक के दाएं और बाएं (व्हील ट्रीड/ट्रैक) के बीच केन्द्र में मापी गई दूरी ; और*
- घ. 3,350 एमएम से अधिक फ्रंट और बैक व्हील ऐक्सल (व्हीलबेस) के बीच मापी गई दूरी।*

उपर्युक्त सभी मानदंड 'और' शर्तें हैं। दूसरे शब्दों में कोई उत्पाद विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से तभी अलग किया जाता है यदि वह उपर्युक्त सभी शर्तों समवर्ती रूप से पूरा करता हो।

II. पूरी तरह से नॉकडाउन(सीकेडी) अथवा संघटक रूप में व्हील लोडर जांच के क्षेत्र से अलग किया जाता है।

III. बैटरी-प्रचालित व्हील लोडर भी जांच के क्षेत्र से अलग किए जाते हैं।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार**घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

37. घरेलू उद्योग और उसके आधार के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) में यह प्रावधान है कि जो घरेलू उत्पादक निर्यातकों अथवा आयातकों से संबद्ध हैं अथवा खुद ही विचाराधीन उत्पाद के आयातक हैं, उन्हें घरेलू उद्योग का क्षेत्र निर्धारित करते समय अलग किया जाए। तथापि, ये उत्पादक घरेलू उद्योग के क्षेत्र से स्वतः अलग नहीं किए जाते हैं। पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) में 'किया जा सकता है' शब्द का प्रयोग में प्राधिकारी के विवेक पर यह निर्धारित करने का प्रावधान है कि जो कंपनी निर्यातकों और आयातकों से संबद्ध है और/अथवा जो विचाराधीन उत्पाद का आयात कर रही है, क्या उसे घरेलू उद्योग के क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए अथवा उससे अलग किया जाना चाहिए। अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी जांच की अवधि के दौरान आयातों की मात्रा, भारत में कंपनी के अनिवार्य कार्य, आयातों के प्रकार, आयातों के कारण, आदि जैसे कई कारकों को ध्यान में रखते हैं।
- ख. लियुगोंग इंडिया और केटरपिल्लर इंडिया विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादक हैं। उन्होंने यह तर्क दिया कि उन्हें घरेलू उद्योग के रूप में पात्र माना जाना चाहिए।
- ग. गुआंक्सी लियुगोंग ने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध सामानों का काफी मात्रा में निर्यात नहीं किया है। जांच की अवधि से पूर्व वर्षों के दौरान गुआंक्सी लियुगोंग द्वारा भारत को काफी निर्यात किए गए थे। गुआंक्सी लियुगोंग द्वारा भारत को निर्यात पूर्ण दृष्टि से जांच की अवधि के दौरान काफी नहीं हैं। जांच की अवधि के दौरान गुआंक्सी लियुगोंग द्वारा भारत को निर्यात चीन जन.गण. से कुल आयातों की तुलना में भी काफी नहीं है।
- घ. प्राधिकारी की यह निर्धारित परिपाटी है कि वे घरेलू उद्योग के रूप में घरेलू उत्पादक की पात्रता का मूल्यांकन करने के लिए जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों के आयातों पर विचार करें।
- ड. लियुगोंग इंडिया द्वारा जांच की अवधि के दौरान भारत में आयात संबद्ध सामानों के हैं न कि भारत में उत्पादित सामानों के। 7,000 कि.ग्रा. के रेटेड पेलोड वाले व्हील लोडर भारत में विनिर्मित नहीं किए जाते हैं। इस संबंध में, उत्तरदाता यह भी नोट करते हैं कि 7,000 कि.ग्रा. के रेटेड पेलोड वाले व्हील लोडर माइनिंग जैसे विशिष्ट उद्योग क्षेत्रों में प्रयुक्त किए जाते हैं। भारत ने 7,000 कि.ग्रा. के रेटेड पेलोड वाले व्हील लोडरों का उत्पादन करना वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम नहीं है। अतः, लियुगोंग इंडिया को भारत में उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए 7,000 कि.ग्रा. के रेटेड पेलोड वाले व्हील लोडरों का आयात करना पड़ा था।
- च. लियुगोंग इंडिया ने 2019-20 और 2020-21 में सामानों का आयात किया, परंतु उनकी उत्पादन मात्रा उस अवधि के दौरान और उसके बाद यह दर्शाती है कि वे व्हील लोडरों के घरेलू उत्पादक हैं न कि आयातक। उन्होंने देश के भीतर ही उत्पादन बढ़ाने के लिए क्षमताओं को बढ़ाया है जिससे वे भारत में शीर्ष व्हील लोडर उत्पादकों में से एक बन गए।
- छ. लियुगोंग इंडिया ने संशोधित उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन करने और अपने ग्राहकों को सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 31 मार्च, 2021 से पूर्व चीन जन.गण. में गुआंक्सी लियुगोंग से व्हील लोडरों का आयात किया। अपेक्षित प्रौद्योगिकी के साथ विशिष्ट संघटकों का विकास करना समय लेने वाला था और कई विनिर्माताओं के लिए एक कठिनाई दर्शाने वाला था।
- ज. लियुगोंग इंडिया एक घरेलू उत्पादक है जो कि घरेलू उत्पादन और रोजगार में उसके कुल निवेश से सिद्ध है।
- झ. गुआंक्सी लियुगोंग द्वारा निर्यातों और लियुगोंग इंडिया द्वारा आयातों के संबंध में जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों की जांच भी इस दावे का समर्थन करेगी कि लियुगोंग इंडिया प्राथमिक रूप से एक घरेलू उत्पादक है और उसे पात्र घरेलू उद्योग के रूप में माना जाना चाहिए।

- ज. चूंकि व्हील लोडरों के संघटक विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, अतः चीन जन.गण. से कुछ प्रमुख संघटकों के आयात पात्र घरेलू उद्योग के रूप में लियुगोंग इंडिया के स्तर को बाधित नहीं करेंगे।
- ट. गुआंक्सी लियुगोंग का स्वामित्व पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग के रूप में ल्युगोंग इंडिया की पात्रता निर्धारित करने के लिए असंगत है।
- ठ. यह दावा कि गुआंक्सी लियुगोंग के लिए अलग पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए, यदि लियुगोंग इंडिया को बिना किसी कानूनी आधार के पात्र घरेलू उद्योग माना जाता है।
- ड. केटरपिल्लर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे यहां आगे 'केटरपिल्लर इंडिया' कहा गया है) को हटाया जाना अनौचित्यपूर्ण है क्योंकि ने तो वह पाटित आयातों का आयातक है और न ही भारत में अपनी बिक्री अथवा विपणन में लगा हुआ है। इसका उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का काफी भाग है और इसे अलग करने से एक घरेलू उद्योग बनेगा जो सही रूप से भारतीय उत्पादकों का प्रतिनिधित्व नहीं करता।
- ढ. केटरपिल्लर इंडिया के व्हील लोडर संविदा विनिर्माण व्यवस्थाओं के तहत विनिर्मित किए जाते हैं। केटरपिल्लर इंडिया संविदा विनिर्माता को प्रौद्योगिकी, जानकारी, डिजाइन, ब्रांड प्रयोग और गुणवत्ता प्रबंधन सहित विभिन्न सहायता क्रियाकलाप प्रदान करता है।
- ण. महाराष्ट्र में स्थित क्रिएटिव मैनुफैक्चरिंग साल्युशंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (सीएमएस) 'हिंदुस्तान' ब्रांड नाम के तहत व्हील लोडरों का विनिर्माण करती है। सीएमएस चीन से संबद्ध सामानों का आयात अथवा किसी आयातक/निर्यातक से संबद्ध नहीं है। सीएमएस व्हील लोडरों की पर्याप्त मात्रा वाला महत्वपूर्ण उत्पादक है और अपने क्षेत्र में बाजार लीडर माना जाता है।
- त. यहां तक कि यदि केटरपिल्लर इंडिया को विदेशी निर्यातक से संबद्ध माना जाता है तो 'घरेलू उद्योग' के क्षेत्र से बाहर किया जाना पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत स्वतः नहीं है।
- थ. यह अनुरोध है कि केवल इस कारण कि केटरपिल्लर इंडिया एक घरेलू उत्पादक है, तो अनिवार्य रूप से पाटनरोधी जांच में सहायता करना अपेक्षित नहीं है। केटरपिल्लर इंडिया ने जांच की अवधि के दौरान हानिप्रद बिक्री नहीं की है।
- द. केटरपिल्लर इंडिया "जानबूझकर और समन्वित बाजार लक्ष्य वाला व्यवहार" में नहीं लगा हुआ है। प्रत्येक उत्पादक, विक्रेता, डीलर अपने बिक्री विपणन योजना को तैयार करने के लिए स्वतंत्र है ताकि वह अपनी बिक्री को इष्टम बना सके। इसके अतिरिक्त, केटरपिल्लर इंडिया भारत में बने उत्पादों की बिक्री करता है, जबकि आयात चीन में निर्मित उत्पादों के हैं। वे भिन्न होने के लिए बाध्य हैं।
- ध. केटरपिल्लर कंपनियों और केटरपिल्लर इंडिया ने यह स्पष्ट किया कि उनके और डीलरों के बीच तथा इसके विपरीत कोई शेयरधारक संबंध नहीं है। वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि केटरपिल्लर कंपनियों अथवा केटरपिल्लर इंडिया तथा डीलरों के बीच कोई सामान्य निदेशक नहीं है। पक्षकारों के बीच बिक्री और खरीद बहुत नजदीकी आधार पर किए जाते हैं जिनमें स्वतंत्र लेन-देन दर्शाए जाते हैं।
- न. इसके अलावा, केटरपिल्लर कंपनियां अथवा केटरपिल्लर इंडिया वितरकों में से किसी पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रखता है। उसी प्रकार, किसी तृतीय पक्षकार के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण में वितरक नहीं होते हैं। इसके अलावा, केटरपिल्लर कंपनियां अथवा केटरपिल्लर इंडिया तथा वितरकों के बीच एक साझा तृतीय पक्षकार के बीच कोई साझा नियंत्रण नहीं होता है।
- प. यह अनुरोध किया जाता है कि आयातक स्वतंत्र कंपनियां हैं और केवल इस कारण से कि उन्होंने साझा काउंसिल की नियुक्ति की है, का अभिप्राय यह नहीं है कि वे एक दूसरे से संबंधित हैं।
- फ. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5 के द्वारा यथा-अधिदेशित अपेक्षित पोलिंग आयोजित नहीं की गई है। एक घरेलू उत्पादक के रूप में इन जांचों का उनके द्वारा विरोध किए जाने पर नियम 5 के अन्तर्गत विचार नहीं किया जाना चाहिए।

- ब. नियम 2(ख) के अन्तर्गत दिए गए “बड़ा हिस्सा” की जांच करते समय, प्राधिकारी पर यह दायित्व होता है कि वे भारत में “कुल घरेलू उत्पादन” पर विचार करें। “कुल घरेलू उत्पादन” का संदर्भ स्पष्ट रूप से समग्र घरेलू उत्पादन और न कि घरेलू उत्पादकों के किसी भाग द्वारा उत्पादन से है।
- भ. जेसीबी इंडिया लिमिटेड का चीन जन.गण. में एक संबद्ध कंपनी (जेसीबी कन्सट्रक्शन इक्यूपमेंट शंघाई कंपनी लिमिटेड) है।
- म. जेसीबी इंडिया ने विचाराधीन उत्पाद के सभी भारतीय उत्पादकों (केस कन्सट्रक्शन इंडिया और दूसन बोबकैट इंडिया) की पहचान नहीं की है। इसके फलस्वरूप भारत में कुल भारतीय उत्पादन का सही आकलन नहीं हुआ है।
- य. इमकोएलिकॉन (इंडिया) लिमिटेड ने अपेक्षित आंकड़ों के बिना केवल एक समर्थन पत्र दिया है। इमकोएलिकॉन (इंडिया) लिमिटेड के समर्थन पर घरेलू उद्योग के स्थान तथा घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई क्षति का निर्धारण करते समय ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए।

घ.2 घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

38. घरेलू उद्योग की ओर से घरेलू उद्योग के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. कुल पात्र घरेलू उत्पादन में से, घरेलू उद्योग का उत्पादन हिस्सा लगभग 70 प्रतिशत है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग का समर्थकों के साथ कुल पात्र उत्पादन का लगभग 74 प्रतिशत है। उसके देखते हुए घरेलू उद्योग वर्तमान आवेदन के उद्देश्य से घरेलू उद्योग होने के लिए अपेक्षित आरंभिक सीमा को पूरा करता है।
- ख. प्राधिकारी की निष्पक्ष और न्यायोचित जांच सुनिश्चित करने के लिए घरेलू उद्योग के दायरे से संबंधित घरेलू उत्पादकों को बाहर करने की निरंतर कार्य-पद्धति रही है।
- ग. केटरपिल्लर इंडिया केटरपिल्लर इंक. जो यूएस-आधारित एक मल्टीनेशनल कंपनी है की एक सहायक कंपनी है। केटरपिल्लर(किंगझोऊ) लिमिटेड (“केटरपिल्लर किंगझोऊ”) जो चीन जन.गण. का विचाराधीन उत्पाद का एक निर्यातक है, केटरपिल्लर इंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भी है। केटरपिल्लर(सुझोऊ) कंपनी लिमिटेड, (“केटरपिल्लर सुझोऊ”) जो चीन जन.गण. का विचाराधीन उत्पाद का एक उत्पादक और निर्यातक है, भी केटरपिल्लर इंक का पूर्णस्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। केटरपिल्लर इंडिया, केटरपिल्लर किंगझाऊ और केटरपिल्लर सुझाऊ केटरपिल्लर इंक द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित होता है।
- घ. केटरपिल्लर इंक का संबंधित निर्यातकों ने जांच की अवधि के दौरान भारत को “एसईएम” के ब्रांड नाम से बहुत अधिक मात्रा में विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है।
- ड. गेनवेल कोमोसोल्स प्राइवेट लिमिटेड और जीएमएमसीओ लिमिटेड केटरपिल्लर इंडिया केटरपिल्लर कुंगझाऊ और केटरपिल्लर सुझोऊ सहित सभी केटरपिल्लर उत्पादों का अधिकारिक वितरक हैं। इन पक्षकारों के बीच स्पष्ट संबंध है।
- च. भारत में केवल एक घरेलू उत्पादक होने से केटरपिल्लर इंडिया जांच की शुरुआत किए जाने के पूर्व के चरण में घरेलू उद्योग के स्थान के निर्धारण में भाग लेने के लिए पात्र नहीं बन जाता है।
- छ. इसके अलावा, घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि केटरपिल्लर इंडिया संबद्ध जांच में प्रश्नावली का उत्तर देने में असफल रहा।
- ज. यह तथ्य कि केटरपिल्लर इंडिया एक घरेलू उत्पादक होने के बावजूद बिना किसी ठोस कारण के पाटनरोधी शुल्कों को लगाने का विरोध कर रहा है, यह दर्शाता है कि चीन के निर्यातकों के साथ इसके संबंध में एक घरेलू उत्पादक के रूप में इसके व्यवहार को प्रभावित किया है।
- झ. ल्युगोंग इंडिया एक सहायक कंपनी है जिसके लिए 99.9 प्रतिशत हिस्सा गुआंक्सी लियुगोंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड द्वारा धारित किया जाता है। लियुगोंग इंडिया ने जांच की अवधि सहित क्षति की अवधि के दौरान चीन में अपने अपनी मूल की कंपनी से पर्याप्त मात्राओं में विचाराधीन उत्पाद का आयात भी किया है। बाजार में नियामक परिवर्तनों को देखते हुए, यह भी नोट किया जाता है कि लियुगोंग इंडिया ने

जांच की अवधि के दौरान इस उत्पाद की बहुत अधिक बिक्री की है, जिसका आयात जनवरी, 2021 से मार्च 2021 की अवधि में (वित्तीय वर्ष 2020-21 की अंतिम तिमाही) में किया गया था।

- ज. लियुगोंग इंडिया का व्यवहार स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि इसका प्रचालन एक घरेलू उत्पादक के बजाय अधिकांशतः एक आयातक के समान है। इसके अलावा, लियुगोंग इंडिया ने अधिक मात्रा में आयातों में भाग लेकर पाटन के प्रभावों से अपने आप को सुरक्षित रखा जिसके कारण वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग बनने के लिए यह पात्र नहीं है।
- ट. लियुगोंग इंडिया विचाराधीन उत्पाद के पाटन से अपने आप को आयातक के रूप में लाभ प्राप्त करने में इच्छुक है। लियुगोंग इंडिया को एक घरेलू उद्योग के रूप में शामिल करने से प्राधिकारी की जांच की प्रक्रिया पूर्ण रूप से गलत हो जाएगी।
- ठ. चूंकि कैटरपिल्लर इंडिया और लियुगोंग इंडिया पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के उद्देश्य से घरेलू उद्योग के रूप में विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं है, पांच पात्र उत्पादक हैं, नामतः जेसीबी इंडिया लिमिटेड, एलएंडटी कन्सट्रक्शन एंड माइनिंग मशीनरी, टाटा हिटैची, इमकोएलकॉन (इंडिया) लिमिटेड और बीईएमएल लिमिटेड, जो पाटनरोधी नियमावली 1995 के नियम 2(ख) और 5(3)(क) के अन्तर्गत पात्र घरेलू उत्पादन का निर्धारण करने के लिए योग्य है।
- ड. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(3)(क) के अनुसार पोलिंग केवल पात्र घरेलू उत्पादकों के लिए किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार, प्राधिकारी से यह अपेक्षित नहीं है कि वह जांच की शुरुआत से पूर्व पोलिंग के लिए कैटरपिल्लर इंडिया को आमंत्रित करे।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

39. वर्तमान याचिका जेसीबी इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर की गई है और इसका समर्थन मैसर्स बीईएमएल लिमिटेड और मैसर्स एमको एलकॉन (इंडिया) लिमिटेड द्वारा किया गया है। घरेलू उद्योग ने यह घोषणा की है कि इसने संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और इसका संबंध किसी विदेशी उत्पादक, जिसने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है, से नहीं है। आवेदक और समर्थकों के अलावा, विचाराधीन उत्पाद के चार और घरेलू उत्पादक हैं। इन चारों में से दो उत्पादक अर्थात् एलएंडटी और टाटा हिटाची ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है। शेष दो उत्पादकों के संबंध में, घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि कैटरपिल्लर इंडिया और ल्युगोंग इंडिया पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अभिप्राय से इस जांच में 'घरेलू उद्योग' बनने के लिए पात्र नहीं हैं।

40. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

“(ख) ‘घरेलू उद्योग’ का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ‘घरेलू उद्योग’ पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।”

41. इस कारण से, घरेलू उत्पादकों को दो स्थितियों में घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर किया जाए:

क. जब घरेलू उत्पादक का संबंध कथित पाटित वस्तु, इस मामले में चीन से व्हील लोडर के निर्यातक अथवा आयातक से हो; या

ख. जब घरेलू उत्पादक स्वयं पाटित वस्तुओं का एक आयातक है।

42. इसके अलावा, नियम 2(ख) की व्याख्या में 'संबंधित पक्षकार' को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

“व्याख्या – इस शर्त के उद्देश्य से उत्पादकों को निर्यातक अथवा आयातक से संबंधित तभी माना जाएगा यदि,-

(क) उनमें से एक प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे को नियंत्रित करता हो; अथवा

(ख) उनमें से दोनों प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित होता हो; अथवा

(ग) एक साथ वे प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस शर्त के अध्यक्षीन तीसरे व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं कि वे इस पर विश्वास करने अथवा इसके बारे में संदेह करने के लिए आधार हो कि संबंध का प्रभाव इस तरह का है जिससे उत्पादकों को असंबंधित उत्पादकों से अलग तरीके से व्यवहार करना पड़ता हो।

नोट: इस व्याख्या के उद्देश्य से, उत्पादक को यह माना जाएगा कि वह एक अन्य उत्पादक को नियंत्रित करता है, जब पहला उत्पादक कानूनी रूप से अथवा प्रचालन के तौर पर बाद के उत्पादक पर प्रतिबंध अथवा निवेश देने की स्थिति में हो।”

43. प्राधिकारी यह मानते हैं कि विभिन्न तथ्यों के आधार पर चाहे एक संबंधित घरेलू उत्पादक घरेलू उद्योग होने के लिए पात्र हो, निर्धारण करने का विवेकाधिकार उसके पास हो। हालांकि यह नोट करते हैं कि संबंधित घरेलू उत्पादकों को तब तक अपात्र नहीं बताया जाए जब तक ऐसे घरेलू उत्पादक द्वारा आपवादिक मामला सिद्ध न कर दिया जाए।
44. प्राधिकारी नोट करते हैं कि केटरपिल्लर इंडिया और ल्युगोंग इंडिया दोनों संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के निर्यातकों से ‘संबंधित’ हैं:
 - क. केटरपिल्लर इंडिया केटरपिल्लर इंक की एक सहायक कंपनी है जो यूएस-आधारित एक मल्टीनेशनल कंपनी है। केटरपिल्लर (कुंगझोऊ) जो चीन गण. से विचाराधीन उत्पादक का निर्यातक है, भी केटरपिल्लर इंक का पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। केटरपिल्लर (सुझोऊ) कंपनी लिमिटेड, जो चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद का एक उत्पादक और निर्यातक है, भी केटरपिल्लर इंक का पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। इस कारण से, केटरपिल्लर इंडिया, केटरपिल्लर कुंगझोऊ और केटरपिल्लर सुझोऊ संयुक्त रूप से केटरपिल्लर इंक द्वारा नियंत्रित होता है। तदनुसार, केटरपिल्लर इंक दोनों कंपनियों, विशेषकर केटरपिल्लर इंडिया पर प्रतिबंध लगाने अथवा निदेश देने की स्थिति में कानूनी रूप से है। यह संबंध नियम 2(ख) की व्याख्या (ख) के अर्थ के तहत आता है। इसके अलावा, केटरपिल्लर इंडिया ने यह नहीं दर्शाया है कि इसे केटरपिल्लर इंक द्वारा (कानूनी रूप से अथवा प्रचालन के तौर पर) नियंत्रित नहीं किया जाता है।
 - ख. ल्युगोंग इंडिया एक सहायक कंपनी है जिसके लिए 99.9 प्रतिशत हिस्सा गुआंक्सी लियुगोंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड द्वारा धारित किया जाता है जो विचाराधीन उत्पाद का चीन का उत्पादक और निर्यातक है। तदनुसार, गुआंक्सी लियुगोंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड कानूनी रूप से लियुगोंग इंडिया पर प्रतिबंध लगाने या निदेश देने की स्थिति में है। यह संबंध नियम 2(ख) की व्याख्या (क) के अर्थ के तहत आता है। इसके अलावा, लियुगोंग इंडिया ने यह नहीं दर्शाया है कि इसे गुआंक्सी लियुगोंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है।
45. प्राधिकारी नोट करते हैं कि केटरपिल्लर और ल्युगोंग दोनों ने क्षति की अवधि के माध्यम से पर्याप्त मात्राओं में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। विशेष रूप से, केटरपिल्लर ने जांच की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के कुल आयातों का 30-40 प्रतिशत निर्यात किया है। ल्युगोंग ने 2020-21 में संबद्ध देश से भारत में पीयूसी के कुल आयातों का लगभग आधा निर्यात किया है।
46. प्राधिकारी नोट करते हैं कि लियुगोंग इंडिया ने प्राधिकारी से यह अनुरोध किया है कि वे घरेलू उद्योग के रूप में इसकी पात्रता की जांच करने के लिए जांच की अवधि के बाद की अवधि के आंकड़ों का मूल्यांकन करें। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसकी सतत प्रथा के अनुसार, इसने घरेलू उद्योग के स्थान का आकलन करने के उद्देश्य से जांच की अवधि के बाद की अवधि के आंकड़ों का मूल्यांकन नहीं किया है।
47. इस कारण से, प्राधिकारी नोट करते हैं कि लियुगोंग इंडिया और केटरपिल्लर इंडिया दोनों के संबंधित कंपनियों ने भारत को नियमित रूप से विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। कोई आपवादिक परिस्थितियां लियुगोंग इंडिया और केटरपिल्लर इंडिया द्वारा निर्यातकों के साथ अपने संबंध के लिए स्थापित नहीं किया गया है।
48. इसके अलावा, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि केटरपिल्लर इंडिया घरेलू उत्पादक के रूप में प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने में ही असफल रहा। लियुगोंग इंडिया ने एक आयातक के रूप में और न कि एक घरेलू उत्पादक के रूप में अपना उत्तर प्रस्तुत किया है। इस कारण से, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रस्ताव करते हैं कि उत्पादकों ने संबद्ध वस्तु के निर्यातकों के साथ अपने संबंध के अलावा जांच का विरोध करने के लिए कोई ठोस कारण नहीं दिया है।

49. उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी यह मानने का प्रस्ताव करते हैं कि केटरपिल्लर इंडिया और लियुगोंग इंडिया दोनों नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग के रूप में योग्य नहीं हैं।
50. पोलिंग के संबंध में इस तर्क के बारे में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पोलिंग केवल पात्र घरेलू उत्पादकों के लिए किया जाना अपेक्षित है। हालांकि, केटरपिल्लर इंडिया और लियुगोंग इंडिया को पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अन्तर्गत ऐसी पोलिंग के लिए पात्र के रूप में नहीं माना गया था।
51. जेसीबी इंडिया लिमिटेड का वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग के रूप में स्थान के संबंध में, प्राधिकारी यह मानने का प्रस्ताव करते हैं कि यह पात्र घरेलू उत्पादन का 70 प्रतिशत है। इसके अलावा, इस आवेदन का समर्थन बीईएमएल लिमिटेड और मैसर्स ऐमको एलकॉन (इंडिया) लिमिटेड द्वारा भी किया गया है। तदनुसार, समर्थक के साथ घरेलू उद्योग का पात्र भारतीय उत्पादन में बहुत बड़ा हिस्सा है।
52. इस कारण से, इस जांच के उद्देश्य से जेसीबी इंडिया लिमिटेड पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग है और यह आवेदन पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(3) के संदर्भ में स्थान के मानदंड को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

53. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - क. केटरपिल्लर इंडिया इस बात पर जोर देती है कि यह जांच एक गुमनाम निजी एजेंसी से आयात के आंकड़ों पर विश्वास करते हुए आवेदन के बावजूद डीजी प्रणाली आंकड़ों के आधार पर की जा रही है।
 - ख. डीजी प्रणाली “हितबद्ध पक्षकार” के रूप में योग्य नहीं ठहराता है और इस कारण से इस नियम के अन्तर्गत गोपनीयता का दावा नहीं कर सकता है। यदि सूचना को गोपनीय भी माना जाता है तब अगोपनीय सारांश शामिल पक्षकारों को दिया जाना चाहिए जो इस मामले में नहीं किया गया है।
 - ग. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(7) में अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए एक पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की आवश्यकता है लेकिन डीजी प्रणाली आंकड़ों को साझा नहीं किया गया है जिससे केटरपिल्लर इंडिया इसके संबंध में टिप्पणी करने के अवसर से वंचित रह गया है।
 - घ. एजेंसी के नाम को प्रकट किए बिना और आयात संबंधी आंकड़ों का अगोपनीय सार उपलब्ध कराए बिना, इस आवेदन में सूचना को इस जांच को शुरू करने के उद्देश्य से पर्याप्त और सटीक नहीं माना जा सकता है।
 - ड. सूचना का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराने अथवा एजेंसी का नाम बताने में विफल रहना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
 - च. घरेलू उद्योग ने वर्तमान जांच की शुरुआत के लिए एक आधार के रूप में उपयोग की गई सूचना के स्रोत का नाम नहीं बताकर अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। घरेलू उद्योग ने आयात किए गए आंकड़ों के स्रोत का भी उल्लेख नहीं किया है और न ही उसे गोपनीय होने के रूप में दावा करने का कोई कारण बताया है। यह अनुरोध किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए आयात आंकड़े चीन के निर्यातकों से संबंधित हैं और इस कारण से, उसे उत्तर देने वाले निर्यातकों से गोपनीय के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है।

ड.2 घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

54. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - क. घरेलू उद्योग ने डीजीसीआईएंडएस से आयात संबंधी आंकड़ों के लिए अनुरोध किया था, हालांकि उसे उपलब्ध नहीं कराया गया था। इस कारण से, घरेलू उद्योग ने निजी स्रोतों से आयात के आंकड़ों पर विचार किया। इसके अलावा, घरेलू उद्योग यह अनुरोध करता है कि इसने आयात के आंकड़े को अलग करने की पद्धति उपलब्ध कराई है जिसमें शुल्क शीर्ष, उत्पाद विवरण और वह तरीका जिसमें मात्रा/मूल्य का निर्धारण किया गया है, शामिल है।

ख. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों दिनांक 7 सितंबर, 2018 की व्यापार नोटिस सं. 10/2018 के अनुरूप अपनी प्रभावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

55. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:-

“गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।”

56. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का अगोपनीय पाठ तथा विभिन्न पक्षकारों के बीच ईमेल के माध्यम से भी किए गए पत्राचार वाली सार्वजनिक फाइल के माध्यम से निरीक्षण के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया।

57. घरेलू उद्योग और अन्य विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में किए गए अनुरोधों की जांच प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई सीमा तक की गई थी और उस पर तदनुसार ध्यान दिया गया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की विधिवत जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई सूचना मानी गई है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यापार से संबंधित संवेदनशील सूचना का गोपनीय होने का दावा किया है।

च. विविध

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

58. विविध मुद्दों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. घरेलू उद्योग एक उचित रूप से सिद्ध आवेदन प्रस्तुत करने में असफल रहा है जो प्राधिकारी को पाटन, क्षति और कथित पाटित आयात और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के मौजूद होने के संबंध में आरंभिक दृष्टिकोण बनाने की अनुमति देगी। इस आवेदन के समर्थन में दिया गया साक्ष्य को पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(2) के अंतर्गत सटीक और पर्याप्त नहीं माना गया है।

ख. भारतीय संघ और अन्य बनाम अडाणी एक्सपोर्टर्स लिमिटेड और अन्य (2002) 1 एसएससी 567 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि किसी मामले के गुण-दोष पर विचार करने के पूर्व सर्वप्रथम क्षेत्राधिकार के प्रश्न के बारे में निर्णय लिया जाना चाहिए।

ग. जांच की अवधि अनेक आपवादिक परिस्थितियों जिसने उस अवधि के दौरान बाजार शर्तों को बहुत अधिक हद तक प्रभावित किया, के कारण उपयुक्त नहीं है। इन परिस्थितियों में वित्तीय वर्ष 2021-22

की पहली तिमाही में भारत को प्रभावित करने वाले कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर, अवसंरचना और सरकारी परियोजनाओं में विलंब के कारण मांग में संकुचन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत स्टेज-III(बीएस- III) से भारत स्टेज-IV(बीएस- IV) तक उत्सर्जन मानदंडों में परिवर्तन, इस्पात और अन्य सामग्रियों में कीमत में बहुत अधिक अस्थिरता, महत्वपूर्ण उत्पादन सामग्रियों का उपलब्ध नहीं होना अथवा सीमित मात्रा में उपलब्धता तथा औद्योगिक से चिकित्सीय उपयोग तक ऑक्सीजन का विपठन जिसने फैब्रिकेशन क्रियाकलापों को प्रभावित किया और देश में व्हील लोडरों और उनके संघटकों के उत्पादन को प्रभावित किया, शामिल है। जैसे ही निर्णय लिया जाए, जांच की अवधि को बाद के चरण में बदला नहीं जा सकता है।

घ. जांच की अवधि में इस जांच को शुरू करने के पूर्व संशोधन नहीं किया जा सकता है और जांच की शुरुआत के बाद परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही, जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों की जांच की सूचना जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में दी जाएगी। हालांकि, इस प्रकार का कोई पत्राचार वर्तमान जांच की जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में इसके बारे में नहीं दी गई थी। इस प्रकार, जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों की जांच वर्तमान जांच में नहीं की जा सकती है।

च.2 घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

59. घरेलू उद्योग द्वारा कोई विविध अनुरोध नहीं किए गए हैं।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

60. इस तर्क के संबंध में कि जांच की शुरुआत संबंधी नोटिस पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5 का उल्लंघन करती है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस जांच की शुरुआत घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य की जांच के बाद ही शुरू की गई थी। केवल तब जब नियम 5 के अन्तर्गत सभी अपेक्षाएं पूरी कर ली गई थी, इस जांच की शुरुआत प्राधिकारी द्वारा की गई थी।

61. इस तर्क के संबंध में कि जांच की अवधि उत्सर्जन में परिवर्तन, मांग में संकुचन, कीमत में बहुत अधिक अस्थिरता और अन्य बाहरी कारकों को देखते हुए उपयुक्त नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अवधि के दौरान बाहरी कारकों का मौजूद होना इसे जांच की अवधि के रूप में चयनित किए जाने के लिए पात्र नहीं बनाता है। क्षति के निर्धारण में, इसने जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन पर इन बाहरी कारकों द्वारा डाले गए प्रभाव, यदि कोई हो, पर विचार किया है। ऐसे किसी प्रभावों के लिए संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है।

62. लिबरर समूह द्वारा उठाए गए क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दे के संबंध में, प्राधिकरण को जांच के अन्य तथ्यों पर आगे बढ़ने से पहले खड़े होने के मुद्दे पर निर्णय लेना चाहिए। यह नोट किया गया है कि मामला केवल इस निर्धारण के बाद शुरू किया गया था कि आवेदक उद्योग के पास एडी नियमों के नियम 5(3) के अनुसार वैधानिक सीमा के अनुसार घरेलू उद्योग के रूप में अर्हता प्राप्त करने की स्थिति है। आगे यह नोट किया गया है कि इस अंतिम निष्कर्ष में प्राधिकरण ने शुरुआत में यानी पैरा 39 से 52 तक घरेलू उद्योग की स्थिति पर फिर से विचार-विमर्श किया है और माना है कि घरेलू उद्योग की स्थिति वैधानिक सीमा के अनुसार है। इसे ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण नोट करता है कि उसे जांच को आगे बढ़ाने और उसके निर्धारण के लिए क्षेत्राधिकार संबंधी चुनौती के मुद्दे पर कोई योग्यता नहीं मिलती है।

छ. बाजार अर्थव्यवस्था बर्ताव (एमईटी) सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

63. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इसके संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. गुआंक्सी लियुगोंग, जो चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक और निर्यातक है, ने निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है।
- ख. लियुगोंग इंडिया जो भारत में गुआंक्सी लियुगोंग की एक संबंधित कंपनी है, ने निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर का भाग IV प्रस्तुत किया है। भारत को निर्यात और भारत में आयात में शामिल सभी पक्षकारों ने इस जांच में भाग लिया है।

- ग. अनुमानिक पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन, जिसे घरेलू उद्योग द्वारा इस याचिका में प्रस्तुत किया गया है, को गुआंक्सी लियुगोंग द्वारा किए गए निर्यातों से संबंधित पाटन और मार्जिन का निर्धारण करने के लिए विश्वास नहीं किया जाना चाहिए।
- घ. सीमा प्रशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क(6क) उस सूचना, जिसे वे प्रस्तुत करते हैं, के आधार पर सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए अनुमति देता है। पाटन के मार्जिन की गणना सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत, जिसे निर्यातक अथवा उत्पादक द्वारा रखा जाता है, के रिकॉर्ड के आधार पर किया जाना है।
- ड. कुछ हितवद्ध पक्षकार चीन जन.गण. को दिए गए बाजार अर्थव्यवस्था बर्ताव से सहमत नहीं थे और प्राधिकारी से प्रतिनिधिक देश की पद्धति का उपयोग नहीं करने, उपयुक्त सामान्य मूल्य गणना का उपयोग करने और कम से कम इस जांच में एनलोग देश आंकड़ों को लागू करने के बजाए कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का उपयोग करने का अनुरोध किया।
- च. चीन का एसेसन प्रोटोकाल 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गया है। इस प्रकार की कार्य-पद्धति उस समय से आगे समाप्त होनी थी। 'प्रतिनिधिक देश' पद्धति का उपयोग इस मामले के लिए सामान्य मूल्य की गणना में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। *ईसी - फास्टर* में अपीलीय बॉडी की रिपोर्ट चीन जन.गण. के लिए प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 15 समाप्त होते ही बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा स्वतः प्राप्त करने के लिए ठोस औचित्य प्रदान करता है।
- छ. चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य सबसे पहले तीसरे देश में कीमत अथवा तय किए गए मूल्य, अथवा ऐसे तीसरे देश से अन्य देशों तक कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। यदि सामान्य मूल्य की गणना तीसरे देश की कीमत के आधार पर नहीं की जा सकती है तब उसकी गणना समान उत्पाद के लिए विधिवत समायोजित, यदि आवश्यक हो, भारत में भुगतान की गई अथवा भुगतान किए जाने योग्य कीमत सहित किसी अन्य उचित आधार पर की जाए जिससे कि उचित लाभ मार्जिन शामिल किया जा सके।

छ.2 घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

64. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. यह अनुरोध किया जाता है कि पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 8 के उप-पैराग्राफ (2) में यह निर्धारित किया गया है कि उस देश को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश ('एनएमई') पाटनरोधी जांच के उद्देश्य से माना जाएगा यदि उसे जांच की अवधि के तीन (3) वर्ष पूर्व में एक एनएमई के रूप में माना गया हो यदि जांच में सहयोग करने वाले उत्पादक/निर्यातक यह सिद्ध करते हुए पर्याप्त साक्ष्य नहीं प्रस्तुत करता हो कि यह बाजार अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के तहत कार्य करता है।
- ख. यह अनुरोध किया गया है कि चीन के निर्यातकों अथवा उत्पादकों में से किसी ने भी वर्तमान जांच में बाजार अर्थव्यवस्था बर्ताव के लिए दायर नहीं किया है। इस कारण से, इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई साक्ष्य नहीं है कि चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के निर्यातक वर्तमान जांच के उद्देश्य से बाजार अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के अन्तर्गत कार्य करते हैं।
- ग. धारा 15(घ) तीन अलग अलग सीमाओं को निर्धारित करते हैं: (i) चीन भारत में व्यापार उपचारात्मक जांचों के उद्देश्य से एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था नहीं है जैसे ही यह भारतीय कानून के अन्तर्गत यह सिद्ध करता है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है; (ii) कुछ क्षेत्र अथवा उद्योग भारत में व्यापार उपचारात्मक जांचों के उद्देश्य से गैर-बाजार अर्थव्यवस्था क्षेत्रों के रूप में माना जाना बंद कर देते हैं जैसे ही यह भारतीय कानून के अन्तर्गत सिद्ध किया जाता है कि उन क्षेत्रों अथवा उद्योगों में बाजार अर्थव्यवस्था की शर्तें प्रचलित हैं; और (iii) प्रोटोकाल की धारा 15 के अन्य सभी प्रावधान धारा 15(क)(ii) को छोड़कर 11 दिसंबर, 2016 के बाद लागू रहेंगे।
- घ. धारा 15(क)(ii) केवल प्रशुल्क और व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1995 के अनुच्छेद VI:1 के दूसरे एंडी नोट के अन्तर्गत जांच करने वाले प्राधिकारी की शक्ति को दोहराता है।

- ड. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.7 का जीएटीटी का VI:1 के लिए दूसरे एडी नोट के लिए छूट प्रदान करता है।
- च. धारा 15(क) जो चीन पर एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था होने के खंडन किए जाने योग्य पूर्वानुमान लगाता है, 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त नहीं हुआ।
- छ. भारत पर 11 दिसंबर, 2016 के बाद चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था मानने का कोई दायित्व नहीं है। वास्तव में, पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 2.2 उस स्थिति में सामान्य मूल्य की गणना करने के लिए वैकल्पिक पद्धति अपनाने हेतु जांच करने वाले प्राधिकारियों को अनुमति देता है जब निर्यात करने वाले देश में घरेलू बिक्री उचित तुलना की अनुमति नहीं देता है।
- ज. घरेलू उद्योग यह भी नोट करता है कि न केवल भारतीय व्यापार उपचारात्मक जांचों बल्कि सभी प्रमुख क्षेत्राधिकारों में किए गए व्यापार उपचारात्मक जांचों में भी चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में मानने की सतत कार्य-पद्धति है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय यूनियन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जैसे क्षेत्राधिकार चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था मानना जारी रखते हैं।
- झ. चीन ने *ईयू-कीमत तुलना पद्धतियों में 2017* में इसके गैर-बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा के संबंध में निर्णय लेने के लिए बनाए जाने वाले डब्ल्यूटीओ पैनल से अनुरोध किया। हालांकि, 2019 में, चीन ने इस पैनल को स्थगित किए जाने का अनुरोध किया। यह सूचना दी गई थी कि चीन ने स्थगन की मांग करने का निर्णय लिया क्योंकि अंतरिम रिपोर्ट के परिणाम जिसे कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया है, चीन के अनुकूल नहीं थे।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

सामान्य मूल्य

चीन के उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा

65. चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

“जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद VI प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार(पाटनरोधी करार) और एससीएम करार 1994 के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्य पर चीनी मूल के आयातों में शामिल कार्यवाहियों में लागू होगा:

“क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद- VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:

- (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
- (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।
- (ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला

डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सस्विडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क) (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

66. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में निहित प्रावधान 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि, अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क)(i) के तहत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ 2.2.1.1 अनुच्छेद के तहत प्रावधानों को बाजार अर्थव्यवस्था के स्तर का दावा करने के लिए पूरक प्रश्नावली में प्रदत्त सूचना/आंकड़ों के माध्यम से संतुष्ट होने के लिए भारत की पाटनरोधी नियमावली के अनुच्छेद-1 के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड की आवश्यकता होती है।
67. जांच की शुरुआत के स्तर पर प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कार्यवाही की। जांच शुरू करने पर प्राधिकारी ने चीन जन.गण. में उत्पादकों/निर्यातकों को यह सलाह दी कि वे जांच की शुरुआत की सूचना का उत्तर दें और अपने बाजार अर्थव्यवस्था स्तर के निर्धारण के लिए संगत सूचना उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी ने नियमावली के अनुच्छेद 1 के पैरा 8(3) में निर्धारित मानदंडों के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणा का खंडन करने और संगत विस्तृत सूचना देने के लिए सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजी। प्राधिकारी ने चीन जन.गण. सरकार से यह भी अनुरोध किया कि वे चीन जन.गण. में उत्पादकों/निर्यातकों को संगत सूचना उपलब्ध कराने की सलाह दें।
68. किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने चीन के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का विरोधी नहीं किया। इस प्रकार उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए तथा चीन के किसी निर्यातक कंपनी द्वारा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के पूर्वानुमान का खंडन नहीं किए जाने पर, प्राधिकारी इसे उपयुक्त मानते हैं कि चीन जन.गण. को वर्तमान जांच में एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश के रूप में माना जाए और चीन जन.गण. के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए इस नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार आगे की कार्यवाही करते हैं।

चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

69. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग अथवा अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देशों में कीमतों के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। वैश्विक व्यापार आंकड़ों का भी उपयोग शामिल विभिन्न पीसीएन के तथ्य तथा विचाराधीन उत्पाद के लिए समर्पित एचएसएन कोड के नहीं होने के तथ्य को देखते हुए बाजार अर्थव्यवस्था वाला तीसरा देश से कीमत पर विचार नहीं किया जा सका।
70. इस कारण से प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-1 के पैरा 7 में यथा-निर्धारित 'भारत में वास्तव में भुगतान की गई अथवा भुगतान किए जाने किए जाने योग्य कीमत' के अनुसार चीन जन.गण. से संबद्ध आयातों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। इसकी गणना बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्च और लाभ के लिए उचित योग के साथ घरेलू उद्योग की उत्पादन की लागत के आधार पर की गई है। सामान्य मूल्य निष्पक्ष तुलना के लिए पीसीएन-वार संरचित की गई थी। अलग-अलग उत्पादक निर्यातक द्वारा विभिन्न पीसीएन की मात्राओं के आधार पर भारित औसत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

निर्यात कीमत

कैटरपिल्लर (किंगडोऊ) लिमिटेड, कैटरपिल्लर (सुझोऊ) कंपनी लिमिटेड, कैटरपिल्लर इंक., और कैटरपिल्लर एसएआरएल सिंगापुर ब्रांच

कैटरपिल्लर (किंगडोऊ) लिमिटेड

71. कैटरपिल्लर (किंगडोऊ) लिमिटेड (जिसे यहां आगे “सीक्यूएल” कहा गया है) ननहुआन रोड, किंगडोऊ सिटी, शानडोंग-262500 चीन जन.गण. में स्थित अपनी फैक्टरी में विचाराधीन उत्पाद के निर्माण में लगा हुआ है।
72. जांच की अवधि के दौरान सीक्यूएल ने भारत में असंबंधित ग्राहकों को सीधे तौर पर ***व्हील लोडरों का निर्यात किया है जिसमें से ***ए1एक्सयू थे और *** बी2वाईएम थे। ये निर्यात सीआईएफ आधार पर किए गए थे जिसके लिए सीक्यूएल ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतरदेशीय ढुलाई, पोर्ट खर्च, क्रेडिट लागत के आधार पर समायोजन का दावा किया है। तदनुसार इस प्रकार से निर्धारित एक्स-फैक्टरी स्तर पर निवल निर्यात कीमत का भारित औसत पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

कैटरपिल्लर (सुझोऊ) कंपनी लिमिटेड

73. कैटरपिल्लर (सुझोऊ) कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे यहां “सीएससीएल” कहा गया है) सं. 58 किमिंग रोड, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बी, सुझोऊ इंडस्ट्रियल पार्क, सुझोऊ- 215121, चीन.जन.गण. में स्थित अपनी फैक्टरी में विचाराधीन उत्पाद के निर्माण में लगा है।
74. जांच की अवधि के दौरान सीएससीएल ने भारत में अपनी ग्रुप कंपनियों नामतः कैटरपिल्लर इंक (जिसे यहां आगे ‘कैट इंक’ कहा गया है), कैटरपिल्लर एसएआरएल सिंगापुर ब्रांच (जिसे यहां आगे ‘सीएसएसबी’ कहा गया है) को सीआईएफ आधार पर व्हील लोडरों का निर्यात किया है। जबकि बीजक ग्रुप कंपनियों के माध्यम से भेजा जाता है, व्हील लोडरों का सीधे तौर पर निर्यात फैक्टरी से किया जाता है। सीएससीएल ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतरदेशीय ढुलाई, पोर्ट खर्च, क्रेडिट लागत के आधार पर समायोजन का दावा किया है। तदनुसार इस प्रकार से निर्धारित एक्स-फैक्टरी स्तर पर निवल निर्यात कीमत का भारित औसत पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

गुआंक्सी लियुगोंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड और लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

75. गुआंक्सी लियुगोंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड (“लियुगोंग चीन”) द्वारा दायर किए गए उत्तर से प्राधिकारी नोट करते हैं कि लियुगोंग चीन ने अपने संबंधित आयातक, लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (“लियुगोंग इंडिया”) को तथा असंबंधित भारतीय ग्राहक को भी जांच की अवधि के दौरान लियुगोंग चीन द्वारा निर्मित विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। लियुगोंग चीन और लियुगोंग इंडिया दोनों ने इस जांच में भाग लिया है और निर्धारित प्रश्नावली प्रपत्र में सभी संगत सूचना उपलब्ध कराई है।
76. यह नोट किया गया है कि लियुगोंग इंडिया भारत में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और व्यापार में लगा हुआ है। जांच की अवधि के दौरान, लियुगोंग इंडिया ने स्वयं के द्वारा निर्मित तथा लियुगोंग चीन से आयातित विचाराधीन उत्पाद की भी बिक्री की है।
77. लियुगोंग चीन ने असंबंधित भारतीय ग्राहक को *** व्हील लोडरों और लियुगोंग इंडिया को ***व्हील लोडरों का निर्यात जांच की अवधि के दौरान किया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने संबंधित और असंबंधित भारतीय ग्राहकों को लियुगोंग चीन की निर्यात कीमत लेकर एक्स-फैक्टरी निर्यात कीमत तय की है और समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतराष्ट्रीय ढुलाई, पोर्ट से संबंधित खर्च, क्रेडिट लागत और बैंक शुल्क के आधार पर समायोजन किया है।
78. लियुगोंग चीन और लियुगोंग इंडिया ने संबंधित संगत परिशिष्टों में पीसीएन-वार सूचना उपलब्ध कराई है। उपर्युक्त समायोजन और पीसीएन-वार सूचना को प्राधिकारी द्वारा सत्यापित और स्वीकार किया गया है। यह नोट किया जाता है कि लियुगोंग इंडिया ने जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की पुनः बिक्री पर लाभ अर्जित किया है। तदनुसार, लियुगोंग चीन के लिए एक्स-फैक्टरी स्तर पर संबद्ध वस्तुओं के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है और उसे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

शानडोंग लिंगगोंग कन्स्ट्रक्शन मशीनरी कंपनी लिमिटेड और वोल्वो सीई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

79. शानडोंग लिंगगोंग कन्स्ट्रक्शन मशीनरी कंपनी लिमिटेड (“एसडीएलजी”) द्वारा तथा भारत में इसके संबद्ध आयातक अर्थात वोल्वो सीई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (“वोल्वो”) द्वारा दायर किए गए उत्तरों से, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एसडीएलजी चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक है और इसने सीधे तौर पर वोल्वो जो एसडीएलजी से संबंधित है, को प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है।

80. जांच की अवधि के दौरान, एसडीएलजी ने भारत को ***इकाई व्हील लोडरों का निर्यात किया है। भारत को निर्यात के लिए एसडीएलजी ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्राष्ट्रीय दुलाई, क्रेडिट लागत, उतारने की लागत, पोर्ट और अन्य संबंधित खर्च जैसे समायोजनों का दावा किया है।
81. एसडीएलजी और वोल्वो ने संगत परिशिष्टों में पीसीएन-वार सूचना उपलब्ध कराई है। उपर्युक्त समायोजनों और पीसीएन-वार सूचना का प्राधिकारी द्वारा सत्यापन किया गया है और उसे स्वीकार किया गया है। यह नोट किया जाता है कि वोल्वो को घाटा हुआ और उसका समायोजन निर्यात कीमत में किया गया है। तदनुसार, एसडीएलजी के लिए एक्स-फैक्टरी स्तर पर संबद्ध वस्तुओं के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है और उसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।
- लीभेर मशीनरी (डालियान) कंपनी लिमिटेड (एलएच डालियान), लीभेर वेर्क-बिस्चोफशोफेन जीएमबीएच(एलएच आस्ट्रिया), लिभेर एक्सपोर्ट एजी (एलएच स्विस्), लिभेर चीन कंपनी लिमिटेड और लिभेर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एलएच इंडिया)**
82. लीभेर मशीनरी (डालियान) कंपनी लिमिटेड (एलएच डालियान) चीन में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक है और इसने अपनी संबंधित ट्रेडिंग कंपनी नामतः लीभेर वेर्क-बिस्चोफशोफेन जीएमबीएच(एलएच आस्ट्रिया), लिभेर एक्सपोर्ट एजी (एलएच स्विस्), लिभेर चीन कंपनी लिमिटेड और लिभेर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एलएच इंडिया) के साथ प्रभावली का पूर्ण उत्तर प्रस्तुत किया है।
83. जांच की अवधि के दौरान एलएच डालियान ने भारत को अपने संबंधित ट्रेडरों एलएच आस्ट्रिया और एलएच स्विस् के माध्यम से ही ***मशीनों का निर्यात किया है। इन मशीनों में से, ***मशीनों का निर्यात सीधे तौर पर भारतीय ग्राहकों को किया गया था और ***मशीनों की बिक्री इसके संबंधित आयातक एलएच इंडिया के माध्यम से की गई थी। एलएच डालियान ने विदेशी दुलाई, विदेशी बीमा, अंतर्देशीय दुलाई, क्रेडिट लागत, बैंक प्रभार, पोर्ट और अन्य संबंधित खर्च और अन्य अतिरिक्त उपकरण प्रभारों के आधार पर समायोजन का दावा किया है।
84. एलएच डालियान और अन्य पक्षकारों जो मूल्य चेन में शामिल थे, ने संगत परिशिष्टों में पीसीएन-वार सूचना उपलब्ध कराई। उपर्युक्त समायोजनों और पीसीएन-वार सूचना का प्राधिकारी द्वारा सत्यापन किया गया है और उसे स्वीकार किया गया है। प्राधिकारी ने इन निर्यात लेन-देन के लिए लाभप्रदता की भी जांच की। तदनुसार, एसडीएलजी के लिए एक्स-फैक्टरी स्तर पर संबद्ध वस्तुओं के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है उसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।
- एक्ससीएमजी कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड टेक्नोलॉजी ब्रांच, सुझोऊ कन्स्ट्रक्शन मशीनरी ग्रुप इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड, और सचविंग स्टेटर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड**
85. एक्ससीएमजी कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड टेक्नोलॉजी ब्रांच ("एक्ससीएमजी"), सुझोऊ कन्स्ट्रक्शन मशीनरी ग्रुप इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड और भारत में इसके संबद्ध आयातक अर्थात् सीविंग स्टेटर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ("सीविंग") द्वारा दायर किए गए उत्तरों से प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक्ससीएमजी चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक है और इसने एक संबंधित व्यापारी के माध्यम से एक संबंधित आयातक नामतः भारत में सीविंग को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है।
86. जांच की अवधि के दौरान, एक्ससीएमजी ने अपनी संबंधित कंपनी नामतः सुझोऊ कन्स्ट्रक्शन मशीनरी ग्रुप इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड को घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की *** इकाईयां बेची हैं, संबंधित कंपनी सुझोऊ कन्स्ट्रक्शन मशीनरी ग्रुप इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड ने भारत को सीधे तौर पर संबंधित कंपनी सीविंग के माध्यम से संबद्ध वस्तुओं का *** इकाईयां बेची हैं। संबंधित एक निर्यातक नामतः सुझोऊ कन्स्ट्रक्शन मशीनरी ग्रुप इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड ने समुद्री भाड़ा, बीमा, पोर्ट और अन्य संबंधित खर्च, क्रेडिट लागत के आधार पर समायोजन का दावा किया है।
87. एक्ससीएमजी और मूल्य चेन में शामिल अन्य पक्षकारों ने संगत परिशिष्टों में पीसीएन वार सूचना उपलब्ध कराई। उपर्युक्त समायोजनों और पीसीएन वार सूचना का प्राधिकारी द्वारा सत्यापन किया गया है और स्वीकार किया गया है। प्राधिकारी ने परिशिष्ट 5 में सूचित किए गए व्यापारियों की लाभप्रदता की भी जांच की है। तदनुसार, एक्ससीएमजी के लिए एक्स-फैक्टरी स्तर पर संबद्ध वस्तुओं के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है और उसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

88. चीन जन.गण. के सभी अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। निर्यात कीमत का निर्धारण सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लेन-देनवार आयात आंकड़ों के आधार पर किया गया है। चूंकि ये सीआईएफ निर्यात कीमत हैं, अतः इनका समायोजन एक्स फैक्ट्री निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए समुद्री भाड़ा, बीमा, पोर्ट खर्च, बैंक प्रभार, अंतरदेशीय भाड़े, क्रेडिट लागत, पोर्ट और अन्य प्रभारों जैसे खर्च के लिए किया गया है।

पाटन मार्जिन

89. यह ध्यान दिया गया है कि विषय जांच में कई सहयोगी उत्पादक और निर्यातक एक-दूसरे से संबंधित हैं और संबंधित कंपनियों का एक समूह बनाते हैं। डंपिंग मार्जिन के निर्धारण के लिए संबंधित निर्यातक उत्पादकों और निर्यातकों को एक एकल इकाई के रूप में विचार करना और इस प्रकार उनके लिए एक एकल डंपिंग मार्जिन स्थापित करना प्राधिकरण की एक सतत प्रथा रही है। यह विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि व्यक्तिगत डंपिंग मार्जिन की गणना करने से एंटी-डंपिंग उपायों की रोकथाम को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे संबंधित निर्यातक उत्पादकों को सबसे कम व्यक्तिगत डंपिंग मार्जिन वाली कंपनी के माध्यम से भारत में अपने निर्यात को सक्षम करने से उन्हें अप्रभावी बना दिया जा सकता है। उपरोक्त के अनुसार, संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों को एक एकल इकाई माना गया है और एक एकल डंपिंग मार्जिन को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसकी गणना सहयोगी संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों के डंपिंग मार्जिन के भारित औसत के आधार पर की गई थी।
90. संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण निम्नानुसार किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है।

पाटन मार्जिन तालिका

उत्पादक/निर्यात का नाम	प्रति यूनिट सीएनवी (अम.डॉ.)	प्रति यूनिट एनईपी (अम.डॉ.)	प्रति यूनिट पाटन मार्जिन (अम.डॉ.)	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन % रेंज
गुआंक्सी लियुगोंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	80-90
कैटरपिल्लर (किंगड्रोऊ) कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	50-60
कैटरपिल्लर(सुझोऊ) कंपनी लिमिटेड	***	***	(***)	(***)	(30-40)
कैटरपिल्लर ग्रुप	***	***	***	***	40-50
लिभेर मशीनरी (डालियान) कंपनी लिमिटेड	***	***	(***)	(***)	(30-40)
शानडोंग लिंगोंग कन्स्ट्रक्शन मशीनरी (एसडीएलजी)	***	***	***	***	70-80
मैसर्स एक्ससीएमजी कन्स्ट्रक्शन मशीनरी कंपनी लिमिटेड – टेक्नोलॉजी ब्रांच	***	***	***	***	100-110
कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	110-120

ज. क्षति के आकलन तथा कारणात्मक संबंध की जांच की पद्धति

91. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में “....पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए...” घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। इसके अलावा, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती।

92. प्राधिकारी ने नीचे दिए गए पैराग्राफों में घरेलू उद्योग की स्थिति पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच की है।

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

93. इसके संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. प्राधिकारी द्वारा ऐसे समायोजन के लिए कोई कानूनी आधार अथवा पिछला दृष्टांत नहीं है। इस पर जांच की अवधि के दौरान बेचे जाने के लिए जांच की अवधि के पूर्व किए गए आयातों के लिए सामान्य व्यापार की कार्य-पद्धति मानी जाती है और कोई भी समायोजन इस आधार पर नहीं किया जा सकता है। जांच की अवधि के लिए आयात में कोई भी समायोजन मात्रा के विश्लेषण, एनआईपी के परिकलन, कीमत में कटौती का मूल्यांकन/कम कीमत पर बिक्री और पाटन के मार्जिन को प्रभावित नहीं करेगा।
- ii. प्राधिकारी ने जनवरी, 2021-मार्च, 2022 तक 15 महीने की जांच की अवधि को अस्वीकार किया है और 21 अप्रैल – 22 मार्च के रूप में जांच की अवधि का निर्धारण किया है। अब चूंकि प्राधिकारी ने पहले ही जनवरी, 2021 – मार्च, 2021 के दौरान आयातों को पाटन के निर्धारण से बाहर कर दिया है, अतः इन आयातों का समायोजन उसके बाद नहीं किया जा सकता है।
- iii. यदि 2020-21 में तथा जांच की अवधि में चीन जन.गण. से सकल आयातों को मिलाया जाता है और उसे दोनों वर्षों में समान रूप से बांट दिया जाता है तब चीन जन.गण. से आयात की मात्राओं में अभी भी कोई पूर्ण वृद्धि नहीं हुई है। वास्तव में, जांच की अवधि में आयातों का समायोजन करने के बाद भी, चीन जन.गण. से आयात की मात्रा में 2018-19 में 100 सूचकांकों से जांच की अवधि में 78 सूचकांकों तक लगातार गिरावट हुई है।
- iv. संबद्ध देश से आयातों में आधार वर्ष 2018-19 के दौरान 100 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान काफी गिरकर 43 हो गया है। आयातों में गिरावट यह दर्शाता है कि आयातों में पूर्ण वृद्धि के द्वारा मात्रा के प्रभाव में कोई क्षति नहीं हुई है।
- v. आयात घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में 100 से गिरकर 75 सूचकांकों और भारत में मांग के अनुपात में 100 से 58 सूचकांकों तक पहुंच गया है। कुल आयातों के बाजार हिस्से में 2018-19 में सूचकांकों से जांच की अवधि में 59 सूचकांकों तक गिरावट आई है। घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा क्षति की जांच की अवधि के दौरान स्थिर रहा है।
- vi. मांग में संकुचन के बावजूद आयातों के हिस्से में बहुत अधिक हद तक गिरावट आई है जो मात्रा के प्रभाव का नहीं होना दर्शाता है।
- vii. आधार वर्ष और पूर्व वर्षों में भी जब कोई पाटन नहीं हुआ था, जांच की अवधि में समान स्तरों पर कीमत में सकारात्मक कटौती हुई थी। यह दर्शाता है कि कीमत में कटौती पाटन का परिणाम नहीं है बल्कि यह आयात किए गए व्हील लोडरों और घरेलू उद्योग के उत्पादों के बीच सीधे तुलना के अभाव के कारण हुई है।
- viii. यदि जांच की अवधि के दौरान कीमत में सकारात्मक कटौती होती भी है तब यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। आवेदन में कीमत में कटौती और कम कीमत पर बिक्री का परिकलित मार्जिन

40-60 प्रतिशत के दायरे में आता है, यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग अपनी आदर्शतम कीमत पर अपने उत्पादों की बिक्री कर रहा था जो क्षति रहित कीमत के समतुल्य है। चूंकि मात्रा संबंधी कोई प्रभाव नहीं है और घरेलू उद्योग को क्षति का कोई साक्ष्य नहीं है, अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कंपनी को कोई क्षति नहीं हुई है।

- ix. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार, पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि (पीओआई) के दौरान घरेलू उद्योग के कच्चे माल, उत्पादन क्षमताओं और यूटिलिटी का सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया जाना चाहिए। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि 1 अप्रैल, 2021 से आरंभ होकर, विचाराधीन उत्पाद सीईवी स्टेज- IV उत्सर्जन मानदंडों के अंतर्गत निर्मित किया जाना अपेक्षित था। उस तिथि के पहले, लागू उत्सर्जन मानदंड सीईवी स्टेज III था। कुछ हितवद्ध पक्षकार इसे स्वीकार करते हैं कि क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने में अनुबंध-III की अनुप्रयोज्यता के संबंध में कोई विवेकाधिकार नहीं है। यदि सीईवी स्टेज IV उत्सर्जन मानदंडों के कार्यान्वयन के कारण जांच की अवधि के दौरान कच्चे माल की उपयोगिता, यूटिलिटी और उत्पादन क्षमताओं में अंतर भी था तब क्षति रहित कीमत का निर्धारण अनुबंध-III के अनुसार ही किया जाना चाहिए।
- x. आयातों के पहुंच मूल्य में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 24 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। यदि घरेलू उद्योग को क्षति वास्तव में सस्ते आयातों के कारण हुई होती तब वे बड़ी हुई आयात कीमतों के अनुरूप कीमत रखने के लिए अपनी कीमत में कम से कम 24 प्रतिशत वृद्धि कर सकते थे। यह तथ्य कि घरेलू उद्योग की कीमत वृद्धि केवल 17 प्रतिशत है, यह सुझाव देता है कि आयातों के अलावा कारक उनकी कीमत निर्धारण को प्रभावित कर रहे हैं।
- xi. लागत में परिवर्तन में वास्तव में जांच की अवधि में 97 प्रतिशत तक कमी आई है, जबकि उनकी बिक्री कीमत में 2000 प्रतिशत से अधिक तक वृद्धि हुई है। इस कारण से, वर्तमान मामले में कीमत ह्रास का कोई साक्ष्य नहीं है।
- xii. विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग की सीआईएफ कीमतें उन कीमतों से बहुत अधिक हैं, जिन्हें चीन के लिए विचाराधीन उत्पाद के वास्ते दर्शाया गया है और अन्य देशों की तुलना में भी अधिक हैं, जिनका सीआईएफ निर्यात मूल्य आवेदन के एक्जिबिट 1.4 में दर्शाया गया है।
- xiii. भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल सात घरेलू उत्पादक हैं। घरेलू उद्योग को क्षति, यदि कोई हो, भारत में संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण है।
- xiv. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 3 सूचकांकों तक वृद्धि हुई है और अन्य घरेलू उद्योग उत्पादकों के बाजार हिस्से में 32 सूचकांकों तक वृद्धि हुई है। अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री में जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक हद तक अर्थात् पूर्व वर्ष के दौरान 60 की तुलना में 98 तक वृद्धि हुई है।
- xv. जनवरी, 2021 से मार्च, 2021 की तिमाही के दौरान आयातों में असामान्य वृद्धि हुई थी, जिसके फलस्वरूप आयात किए गए व्हील लोडरों की बिक्री और परिणामतः जांच की अवधि में बाजार हिस्से में असामान्य वृद्धि हुई। इस कारण से, आयातों का बाजार हिस्सा अस्थायी रूप से जांच की अवधि में बाजार हिस्से की तुलना में अधिक थी। ऐसी स्थिति में भी, आयात किए गए व्हील लोडरों के बाजार हिस्से में पिछले वर्षों की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि नहीं हुई है।
- xvi. यह तथ्य कि घरेलू उद्योग इस परिदृश्य में अपने बाजार हिस्से में सुधार करने में सक्षम रहा है जहां मांग में बहुत अधिक हद तक संकुचन हुआ है, दर्शाता है कि आयातों के कारण कोई क्षतिकारक प्रभाव नहीं पड़ा है।
- xvii. बाजार में मांग में गिरावट के बावजूद, घरेलू उद्योग की बिक्री मांग में गिरावट के अनुरूप कम नहीं हुई थी। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग अपने बाजार हिस्से को बनाए रखने में सक्षम था।
- xviii. घरेलू उद्योग 2018-19 में लाभ अर्जित कर रहा था। हालांकि, घरेलू उद्योग को 2019-20 से हानि हो रही है। घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई हानि में 2020-21 में वृद्धि हुई है लेकिन उसमें 2020-21 में (877) सूचकांकों से (1788) सूचकांकों तक सुधार आया है।
- xix. चीन जन.गण. से आयातों में 2018-19 की तुलना में 2019-20 में गिरावट आई। हालांकि घरेलू उद्योग को 2018-19 की तुलना में 2019-20 में हानि हुई। यद्यपि, हानि में वृद्धि चीन जन.गण. से आयातों में वृद्धि के समय हुई, 2020-21 में बढ़े हुए आयातों का प्रभाव जांच की अवधि में और न कि 2020-21 में घरेलू उद्योग द्वारा महसूस किया गया था। ऐसा इसलिए हुआ है कि व्हील लोडरों का अधिक मात्रा में आयात जनवरी, 2021 से मार्च 2021 के बीच किया गया था और उन्हें फिर जांच की अवधि के दौरान बेचा गया था। हालांकि, घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई हानि में 2020-21 की तुलना में जांच की अवधि में काफी हद तक कमी आई।

- xx. चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयात के संबंध में वास्तविक क्षति का कोई खतरा नहीं है।
- xxi. यह स्पष्ट भी नहीं है कि इस प्रकार से 2018-19 की तुलना में 2020-21 में मालसूची में वृद्धि 6 गुना अधिक थी जब उसी अवधि के दौरान जेसीबी की घरेलू बिक्री स्थिर थी और उसमें केवल 7 सूचकांकों की गिरावट आई।
- xxii. चूंकि बीएस III अनुकूल व्हील लोडरों और सीईवी स्टेज IV अनुकूल व्हील लोडरों के बीच कीमत और लागत में बहुत अधिक अंतर है, इसलिए यह उपयुक्त नहीं है कि दो अलग अलग उत्पाद श्रेणियों अर्थात् बीएस III अनुकूल व्हील लोडरों (जांच की अवधि के पूर्व घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित और जांच की अवधि के दौरान बेचे गए) की तुलना में सीईवी स्टेज IV अनुकूल व्हील लोडरों (जांच की अवधि के दौरान आयातित) की तुलना करना उपयुक्त नहीं है।
- xxiii. घरेलू उद्योग के आयात आंकड़ों तथा आर्थिक मापदंडों का मासिक/तिमाही आधार पर मूल्यांकन आयातों के प्रभाव का वस्तुनिष्ठ रूप से मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक है। मासिक/तिमाही आधार पर आंकड़ों का मूल्यांकन जांच की अवधि के पूर्व निर्मित बीएस-III मानदंडों का अनुपालन करने वाले व्हील लोडरों की पुनः बिक्री के कारण किसी विपथन से बचने के लिए आवश्यक है।
- xxiv. क्षति का आकलन बिल्कुल अनुबंध-II और गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार किया जाना चाहिए, जो इस बात की पुष्टि करता है कि क्षति के मार्जिन का आकलन करने और कम कीमत पर बिक्री करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादी वास्तविक क्षति अथवा वास्तविक क्षति के खतरे का आकलन करने के लिए कम कीमत पर बिक्री/क्षति का मार्जिन का संदर्भ नहीं लेने का अनुरोध करते हैं।
- xxv. जांच की अवधि घरेलू उद्योग के लिए सुधार की अवधि है क्योंकि इसकी हानि में बहुत हद तक गिरावट आई है जो घरेलू उद्योग के आयातों और वित्तीय हालत के बीच संबंध के अभाव को दर्शाता है।
- xxvi. यह अनुरोध किया जाता है कि घरेलू उद्योग की निवेश जुटाने की क्षमता पर बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ा है। इस तथ्य से यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग ने गुजरात में वडोदरा के पास एक कारखाना में 100 मिलियन यूरो निवेश किया है और अप्रैल, 2022 से उत्पादन शुरू किया है। घरेलू उद्योग ने 'इन्वेस्ट राजस्थान 2022' में भाग लिया है और राजस्थान में नया निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- xxvii. लगाई गई पूंजी में न बताई गई वृद्धि हुई है। लगाई गई पूंजी में 2028-19 में 100 सूचकांक से जांच की अवधि में 179 सूचकांक तक वृद्धि हुई है। हालांकि जांच की अवधि के दौरान क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई है।
- xxviii. जांच की अवधि में लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ है और यह प्रायः 2019-20 के स्तर पर है जब स्वीकार्य रूप में कोई पाटित आयात नहीं हुए हैं।
- xxix. जांच की अवधि में, घरेलू उद्योग ने वरिष्ठ स्तर पर काफी संख्या में लोगों की (लगभग 400 लोग) की छंटनी की है क्योंकि संगठन के शीर्ष स्तर में काफी लोग थे। यह सभी खंडों के लिए हुआ और व्हील लोडरों तक सीमित नहीं था। वेतन में आधार वर्ष की तुलना में अच्छा सुधार देखा गया है। औजार और वेतन घरेलू उद्योग को किसी क्षति को नहीं दर्शाता है।
- xxx. कर्मचारियों की संख्या में आधार वर्ष 2018-19 के दौरान 100 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान 79 तक गिरावट आई है जबकि वेतन में आधार वर्ष 2018-19 के दौरान 100 से जांच की अवधि के दौरान 128 तक वृद्धि हुई है। हालांकि कर्मचारियों की संख्या और वेतन चीन जन.गण. से आयात के कारण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होता है।
- xxxi. घरेलू बिक्री में वित्तीय वर्ष 2021-22 के आरंभ में घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध कैटलॉग मालसूची के कारण उत्पादन की तुलना में वृद्धि हुई। जांच की अवधि के दौरान आयात की मात्रा में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और मांग की तुलना में गिरावट आई।
- xxxii. घरेलू उद्योग के लिए अंतिम मालसूची में स्पष्ट गिरावट आई है। वास्तव में, 2020-21 में घरेलू उद्योग के पास विशाल मालसूची थी जिसे यह जांच की अवधि के दौरान बेचने में सक्षम हो पाया है। जांच की अवधि के अंत में अंतिम मालसूची आधार वर्ष में अंतिम मालसूची से तुलनीय है। अंतिम मालसूची जांच की अवधि के अंत में घरेलू उद्योग की मालसूची के असाधारण तरीके से जमा होने को नहीं दर्शाता है।

- xxxiii. प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे अर्द्ध-वार्षिक आधार पर मालसूची के स्तरों का आकलन करें क्योंकि घरेलू बिक्री सरकार के विनियमों और बैकलॉग मालसूची से प्रभावित हुई थी।
- xxxiv. लाभप्रदता के मापदंड में जांच की अवधि के दौरान सुधार देखा गया क्योंकि कोविड-19 का प्रभाव कम हो गया और संबद्ध देशों सहित सभी स्रोतों से आयातों में बहुत अधिक हद तक गिरावट आई।
- xxxv. प्रतिदिन उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में 2019-20 के दौरान गिरावट आई और उसके बाद 2020-21 के दौरान उसमें वृद्धि हुई। कर्मचारियों की संख्या और भुगतान किए गए वेतन में बैकलॉग इन्वेंटरी की मांग और बिक्री में धीमापन आने के कारण जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई।
- xxxvi. घरेलू उद्योग की क्षमता जांच की अवधि के दौरान और क्षति की अवधि के दौरान स्थिर रही। घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में 2019-20 और जांच की अवधि में गिरावट आई। जांच की अवधि के दौरान उत्पादन में बैकलॉग मालसूची की पुनः बिक्री के कारण गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने निर्यात बाजार की मांग को पूरा करने के लिए अपनी मौजूदा क्षमता का उपयोग नहीं किया है, इसके फलस्वरूप क्षमता का कम उपयोग हुआ है।
- xxxvii. घरेलू उद्योग ने इस तथ्य के लिए कोई औचित्य नहीं दिया था कि क्यों क्षति की अवधि के दौरान अपने क्षमता के उपयोग आंकड़ों में बहुत अधिक अंतर हुआ है। इसके साथ ही, क्षति के सभी आरोपों के बावजूद क्षति की अवधि में लाभप्रदता में सुधार हुआ।
- xxxviii. घरेलू उद्योग ने अच्छा प्रदर्शन किया है और जांच की अवधि के दौरान उनके घाटे, नकद लाभ और आरओसीई सभी में सुधार हुआ। घरेलू उद्योग ने स्वयं यह दावा किया है कि 'निर्माण उपकरण उद्योग 2021 में 25 प्रतिशत तक बढ़ सकता है, 2022 में कोविड महामारी से पहले के उच्चतम स्तर को फिर से प्राप्त कर सकता है।'
- xxxix. घरेलू उद्योग ने न तो आंकड़ा प्रस्तुत किया है और न ही विकास में किसी गिरावट का दावा किया है।

ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

94. घरेलू उद्योग ने इसके संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- घरेलू उद्योग प्राधिकारी से क्षति के निष्पक्ष और सटीक आकलन के उद्देश्य से जांच की अवधि तक जनवरी – मार्च, 2021 तिमाही के आयातों का उपयुक्त रूप से समायोजन करने के लिए अनुरोध करता है।
- जांच की अवधि में वर्ष 2020-21 से आयातों की मात्रा में गिरावट उत्सर्जन विनियमों में परिवर्तनों के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 की अंतिम तिमाही में बहुत अधिक मात्राओं में किए गए आयातों के कारण है।
- सीईवी स्टेज IV उत्सर्जन मापदंडों के अनिवार्य उपयोग को लागू करने के फलस्वरूप भारतीय बाजार में व्यापक स्तर पर भंडारण और बिक्री की स्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें अनेक क्रेताओं/वितरकों ने जनवरी – मार्च, 2021 की तिमाही में विचाराधीन उत्पाद की बहुत अधिक मात्राओं का आयात किया और उसे मालसूची के रूप में स्टोर किया। उसी भंडार को तब अप्रैल, 2021 से नवंबर, 2021 तक की अपेक्षाकृत लंबी अवधि के दौरान बेचा गया था। तदनुसार, जनवरी – मार्च, 2021 की अवधि में आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद को अंततः बाद की अवधि में बेचा गया था।
- अधिकांश आयात(जांच की अवधि का) जनवरी – मार्च, 2021 में हुआ जबकि उसके फलस्वरूप बाजार में विच्छेद, कीमत में कटौती और क्षतिकारक प्रभाव केवल प्रस्तावित जांच की अवधि के महीने में देखा गया था क्योंकि भंडारण किया हुआ आयात कम कीमतों पर घरेलू वाणिज्यिक बाजार में आना शुरू हुआ।
- मात्रा के प्रभाव का एक सरल विश्लेषण जो इस संदर्भ पर विचार नहीं करता है जिसमें आयात किए गए हैं, तथ्यों की वस्तुपरक जांच नहीं होगी और इस कारण से जांच प्राधिकारी के व्यापक दायित्व का उल्लंघन होगा।
- जांच की अवधि के दौरान आयात केवल वित्तीय वर्ष 2020-21 की अंतिम तिमाही में आयातकों द्वारा शामिल की गई मालसूची के कारण सीमित थी। पाटित आयातों को इस अवधि के दौरान घरेलू बाजार में कम कीमतों पर बेची गई थी और इसने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई।
- क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के घाटे में वृद्धि का कारण (i) संबद्ध आयातों की मात्रा में तीव्र वृद्धि और (ii) घरेलू उद्योग की कम कीमतों, जिस पर आयात किए जा रहे थे, के कारण लागत में वृद्धि के अनुपात में अपनी

कीमतों में वृद्धि करने में अक्षमता के साथ पाटित आयातों के द्वारा प्रदर्शित कीमत में कटौती को नहीं माना जा सकता है।

- viii. संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 में 26 सूचकांकों तक वृद्धि हुई है।
- ix. वर्ष 2020-21 में आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई। विशेषकर, जनवरी से मार्च, 2021 की तिमाही में किए गए आयात का भंडार जांच की अवधि के दौरान बिक्री के लिए जमा था। हालांकि, पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादों की लागत में 30 सूचकांक तक वृद्धि हुई जबकि घरेलू उद्योग पिछले वर्ष की तुलना में केवल 5 सूचकांक तक ही अपनी कीमतों को बढ़ा सका। यह आधार वर्ष की तुलना में इस उत्पाद की लागत में 30 सूचकांकों की वृद्धि को देखते हुए आधार वर्ष की तुलना में 4 सूचकांकों तक अपनी कीमतों को बढ़ाने में सक्षम हुआ था।
- x. चीन के निर्यातक पिछले वर्षों में भी पाटन में लगे रहे हैं तथा बाजार हिस्से में कटौती करते रहे हैं। इसके कारण, घरेलू उद्योग को भारी क्षति हुई है।
- xi. घरेलू उद्योग के उत्पादन की तुलना में चीन जन.गण. से आयातों की मात्रा में 2018-19 में 100 सूचकांकों से वर्ष 2020-21 में 113 सूचकांकों तक वृद्धि हुई है और उसके बाद वर्ष 2020-21 के जनवरी – मार्च, 2021 की अंतिम तिमाही में बढ़े हुए आयातों के कारण जांच की अवधि में 77 सूचकांकों तक गिरावट आई।
- xii. चीन जन.गण. से आयात घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री कीमत से कम कीमतों पर हो रही है और इस प्रकार घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में बहुत अधिक कटौती हो रही है और उसे क्षति हो रही है। गिरती हुई इन कीमतों के फलस्वरूप हानि में वृद्धि हुई है जिसके लिए प्रत्यक्ष रूप से चीन जन.गण. से कम कीमत पर आयात जिम्मेदार हैं।
- xiii. घरेलू उद्योग बाजार में आयातों की पाटित कीमतों के कारण अपनी कीमतों में वृद्धि करने में सक्षम नहीं था। बिक्री कीमत क्षति रहित कीमत से बहुत अधिक हद तक कम है।
- xiv. जबकि कीमत में कटौती 2019-20 में पिछले वर्ष की तरह उसी दायरे में रही, पिछले वर्ष की तुलना में इन उत्पादों को बेचने की कीमत में 10 सूचकांकों तक वृद्धि हुई थी।
- xv. आयात क्षति रहित कीमत की तुलना में बहुत कमतर कीमत पर भारत में हो रहे हैं। इसके अलावा, कम कीमत पर इन आयातों ने घरेलू उद्योग के प्रदर्शन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया और उसके कारण घरेलू उद्योग को उचित बिक्री कीमत प्राप्त करने से रोका गया जिसके कारण भारी वास्तविक क्षति हुई।
- xvi. बनाने और बेचने की लागत में घरेलू उद्योग के लिए बहुत अधिक वृद्धि अर्थात् आधार वर्ष 2018-19 की तुलना में जांच की अवधि में 30 सूचकांकों तक वृद्धि हुई है। उसी अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग संबद्ध देश से आयातों के कारण अपनी लागत में समानुपातिक रूप से वृद्धि के साथ विचाराधीन उत्पाद की बिक्री कीमत में बढ़ोतरी नहीं कर सका। इसके अलावा, कीमत ह्रास में पाटित आयातों के कारण जांच की अवधि में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई।
- xvii. वर्ष 2020-21 के लिए स्पष्ट मांग/खपत की गणना यथा उपलब्ध आयात आंकड़ों के आधार पर की गई थी और वह सही नहीं है क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में आयात जनवरी- मार्च, 2021 की अंतिम तिमाही में किए गए थे जिन्हें अन्ततोगत्वा बाद की अवधि अर्थात् (अप्रैल से नवंबर, 2021) में बेचा गया था। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 की अंतिम तिमाही के आयात आंकड़ों का उपयुक्त रूप से समायोजन वास्तविक मांग का आकलन करने के लिए किया जाना चाहिए।
- xviii. आधार वर्ष की तुलना में मांग में मामूली गिरावट हुई है। मांग में मामूली गिरावट इस तथ्य के कारण हुई है कि वर्ष 2018-19 में देश में अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं में बहुत अधिक निवेश किए जाने के कारण संरचना उपकरण (पीयूसी सहित) के लिए मांग में वृद्धि देखी है।
- xix. विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में जनवरी-मार्च, 2021 की अंतिम तिमाही में किए गए अधिक आयातों के कारण वर्ष 2020-21 और आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में इस देश में संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग की तुलना में बहुत अधिक तीव्र गति से गिरावट आई। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि घरेलू उद्योग संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के पाटन के कारण बाजार में अपने उत्पादों की बिक्री करने में सक्षम नहीं है।
- xx. घरेलू उद्योग ने पिछले वर्ष 2020-21 की तुलना में बाजार हिस्सा खो दिया है।

- xxi. जबकि संबद्ध देश से आयातों में पिछले वर्ष 2020-21 की तुलना में जांच की अवधि में बाजार हिस्से को खो दिया है, वह उत्सर्जन विनियमों में परिवर्तनों के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 की अंतिम तिमाही में कम आयातों के कारण हुई है।
- xxii. चीन जन.गण. के बाजार हिस्से से आयातों के बाजार हिस्से में आधार वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 और 2020-21 में वृद्धि हुई।
- xxiii. घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता स्थिर रही है। हालांकि, क्षमता के उपयोग में पिछले वर्ष अथवा आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट आई है।
- xxiv. घरेलू उद्योग की उत्पादकता, रोजगार और वेतन में कमी आई है। वह सतत रोजगार और वेतन देने के लिए घरेलू उद्योग की संभाव्यता से बहुत कम है।
- xxv. संबद्ध देश से इन निर्यातकों द्वारा आक्रामक पाटन और कीमत निर्धारण के फलस्वरूप घरेलू उद्योग के सभी वित्तीय प्रदर्शन संकेतकों जैसे पीबीआईटी, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में बहुत अधिक गिरावट आई है।
- xxvi. तैयार वस्तु की मालसूची के स्तर में आधार वर्ष 2018-19 की तुलना में जांच की अवधि में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है।
- xxvii. विचाराधीन उत्पाद घरेलू उद्योग के लिए एक बड़े उत्पाद पोर्टफोलियो का हिस्सा है और वित्तीय प्रदर्शन में गिरावट के कारण प्रतिस्पर्धी दरों पर पूंजी जुटाने की घरेलू उद्योग की समग्र क्षमता पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ा है।
- xxviii. लियुगोंग ने यह तर्क दिया है कि चूंकि घरेलू उद्योग जांच की अवधि के बाद की अवधि के आंकड़े उपलब्ध कराने में असफल रहा है, यह वास्तविक क्षति के खतरे के संबंध में कोई दावा नहीं कर सकता है। इस संबंध में, यह अनुरोध किया जाता है कि जबकि वास्तविक क्षति के खतरे के आकलन में जांच की अवधि के बाद की अवधि के आंकड़ों का विश्लेषण शामिल हो सकता है, उसे पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध II के पैरा (vii) द्वारा अधिदेशित नहीं किया गया है।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 95. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-II के साथ पठित इस नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में “....पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए...” घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। इसके अलावा, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में हास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले तत्वों, यथा – उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।
 - i. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति के संबंध में किए गए विभिन्न अनुरोधों पर ध्यान दिया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार उसका विश्लेषण किया है।
 - ii. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि जनवरी-मार्च, 2021 की अवधि में किए गए आयातों को क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से जांच की अवधि के भाग के रूप में माना जाना चाहिए। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत सरकार ने दिनांक 30 सितंबर, 2020 की अधिसूचना के माध्यम से मौजूदा भारत स्टेज III मानदंडों से निर्माण और कृषि उपकरण में उपयोग किए गए डीजल गैर-सड़क इंजन के लिए सीईवी स्टेज IV उत्सर्जन मानदंडों का अनिवार्य प्रयोग का अधिदेश दिया। तदनुसार, 1 अप्रैल, 2021 के प्रभाव से, विचाराधीन उत्पाद का निर्माण सीईवी स्टेज IV के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से किया जाना अपेक्षित था। हालांकि, 31 मार्च, 2021 से पूर्व निर्माण और आयात किए गए उत्पाद को 30 नवंबर, 2021 तक अभी भी भारतीय बाजार में बेचा जा सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जनवरी-

मार्च, 2021 की अवधि में किए गए बहुत अधिक आयात निर्यातकों के संबंधित आयातकों द्वारा जांच की अवधि के दौरान बेचे गए होंगे। हालांकि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान आयातों के आंकड़ों के लिए जांच की अवधि के पूर्व के आयात आंकड़ों को जिम्मेदार ठहराने का कोई उदाहरण नहीं है। इस कारण से, प्राधिकारी ने बाद के पैराओं में इस क्षति का विश्लेषण उस तरीके से नहीं किया है जो प्राधिकारी की कार्य-पद्धति के अनुरूप हो।

- iii. प्राधिकारी व्हील लोडरों के अन्य घरेलू निर्माता के बाजार हिस्से में सुधार के संबंध में तथा घरेलू उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनेक अनुरोधों को नोट करते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से आयातों के बाजार हिस्से में 2018-19 के आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 तक वृद्धि हुई है परंतु जांच की अवधि में इसमें गिरावट देखी गई है। जैसा कि प्राधिकारी द्वारा ऊपर नोट किया गया है, विभिन्न आयातों/निर्यातकों ने जांच की अवधि के पूर्व की अवधि में बहुत अधिक मात्राओं में विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है जिसे जांच की अवधि के दौरान बेचा गया था।
- iv. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों में सुधार के संबंध में अनेक अनुरोध किए गए हैं। इस संबंध में, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति, यदि कोई हो, का आकलन करने के लिए आर्थिक मापदंडों की विस्तृत जांच की है।

ज.3.1 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क) मांग का आकलन

96. प्राधिकारी ने भारत में इस उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत का निर्धारण घरेलू उद्योग, समर्थक और अन्य घरेलू उत्पादकों की घरेलू बिक्री तथा सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में किया है। इस प्रकार से आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है।

विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्री	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	69	93	76
समर्थकों की घरेलू बिक्री	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	31	35	19
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	62	98
चीन – पाटित आयात	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	109	42
चीन- गैर-पाटित आयात	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	83	97	70
चीन- कुल आयात	संख्या	1308	1071	1419	552
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	108	42
अन्य देशों से आयात	संख्या	48	18	35	32
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	38	73	67
कुल मांग	संख्या	***	***	***	***

कुल मांग	सूचीबद्ध	100	84	85	73
----------	----------	-----	----	----	----

97. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि में कुल मांग में वर्ष 2020-21 तथा आधार वर्ष 2018-19 की तुलना में गिरावट आई। जैसा कि प्राधिकारी द्वारा पहले नोट किया गया है, वह जांच की अवधि के पूर्व अवधि में किए गए पर्याप्त मात्रा में आयातों के कारण हुई है जिसे जांच की अवधि के दौरान बेचा गया था। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि 2018-19 के आधार वर्ष की तुलना में मांग में गिरावट इस तथ्य के कारण हुई है कि वर्ष 2018-19 में इस देश में अवसंरचना से संबंधित परियोजनाओं में बहुत अधिक निवेशों के कारण निर्माण उपकरण (विचाराधीन उत्पाद सहित) के लिए मांग में वृद्धि देखी।

ख) संबद्ध देश के आयात की मात्रा और हिस्सा

98. संबद्ध देश से पाटित आयातों और अन्य देशों से आयातों की मात्रा के प्रभाव की जांच प्राधिकारी द्वारा निम्नानुसार की गई है:

विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
संबद्ध देश से आयात	संख्या	1308	1071	1419	552
- पाटित आयात	संख्या	***	***	***	***
- अपाटित आयात	संख्या	***	***	***	***
गैर-संबद्ध देश से आयात	संख्या	48	18	35	32
कुल आयात	संख्या	1356	1089	1454	584
निम्नलिखित के संबंध में पाटित आयात					
- उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	109	72
- भारतीय मांग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	128	57
- कुल आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	I सूचीबद्ध	100	102	101	96

99. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में बहुत हद तक गिरावट आई है। जैसा कि ऊपर नोट किया गया है, भारत सरकार ने 30 सितंबर 2020 की अधिसूचना के माध्यम से निर्माण और कृषि उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले डीजल गैर-सड़क इंजनों के लिए मौजूदा भारत स्टेज III मानकों से सीईवी स्टेज IV उत्सर्जन मानकों के अनिवार्य उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। तदनुसार, 1 अप्रैल 2021 से, पीयूसी को अनिवार्य रूप से सीईवी चरण IV के तहत निर्मित किया जाना आवश्यक था। हालाँकि, 31 मार्च 2021 से पहले निर्मित या आयातित पीयूसी को अभी भी 30 नवंबर 2021 तक भारतीय बाजार में बेचा जा सकता है। प्राधिकरण नोट करता है कि जनवरी मार्च 2021 की अवधि में किए गए पर्याप्त आयात को जांच की अवधि के दौरान निर्यातकों के संबंधित आयातक बेचा जा सकता है।
100. इसलिए, आधार वर्ष 2018-19 से जांच अवधि में संबद्ध वस्तुओं के कुल आयात में गिरावट आई। जैसा कि उपरोक्त पैराग्राफ में उल्लेख किया है, 2020-21 में आयात की गई मात्रा जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में बेची गई थी। तदनुसार, जांच की अवधि में आयात में गिरावट आई।
101. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि:
- घरेलू उद्योग के उत्पादन की तुलना में संबद्ध देश से पाटित आयातों में आधार वर्ष से वर्ष 2020-21 में वृद्धि हुई और जांच की अवधि में उसमें गिरावट आई।

- ii. गैर संबद्ध देशों से आयातों तथा अपाटित आयातों में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई।
- iii. संबद्ध देश से पाटित आयातों में पूर्ण रूप में तथा जांच की अवधि में उत्पादन और खपत की तुलना में गिरावट आई। हालांकि, आधार वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2020-21 में आयातों में वृद्धि हुई है।

ज.3.2 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

102. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को कीमत क्षति नहीं उठानी पड़ रही है। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, इस तथ्य का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों के द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों पर दबाव पड़ने वाला है अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाने वाली है, जो अन्य प्रकार से सामान्य प्रक्रिया में हुई होती।
103. तदनुसार, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत में कटौती और कीमत हास/न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और निवल बिक्री वसूली (एनएसआर) की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

क) कीमत कटौती

104. इस तथ्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से कि क्या इन आयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है, कीमत में कटौती क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत से तुलना कर की गई है। वर्तमान जांच में प्रस्तावित पीसीएन की कीमतों में बहुत अधिक अंतर के कारण, प्राधिकारी ने प्रत्येक पीसीएन के लिए पृथक रूप से कीमत में कटौती का निर्धारण किया है।

विवरण	यूनिट	2018-19			2019-20			2020-21		पीओआई			
		एआई एक्सयू	बी2वाईएम	कुल	एआई एक्सयू	बी2वाईएम	कुल	एआई एक्सयू	बी2 वाईएम	कुल	एआई एक्सयू	बी2वाई एम	कुल
आयात मात्रा	यूनिट	***	***	1308	***	***	1071	***	***	1419	***	***	552
निवल बिक्री वसूली	आईएनआर लाख/ यूनिट	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
पहुंच कीमत	आईएनआर लाख/ यूनिट	***	***	35.37	***	***	30.50	***	***	33.28	***	***	44.13
कीमत कटौती	आईएनआर लाख/ यूनिट	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	% - रेंज	40-50 %	40-50 %	40-50 %	40-50 %	40-50 %	40-50 %	30-40 %	40-50%	40-50 %	20-30%	40-50%	30-40 %

105. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि जब पाटन नहीं हुआ था तब भी कीमत में सकारात्मक कटौती हुई थी। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड पर कोई साक्ष्य नहीं है जो यह बताता हो कि क्षति की अवधि के दौरान कोई पाटन नहीं हुआ था।

106. यह भी भी तर्क दिया गया है कि चूंकि कीमत में कटौती और क्षति मार्जिन एक ही दायरे में है, यह संसूचक है कि घरेलू उद्योग अपने उत्पादों की बिक्री अपनी 'आदर्शतम कीमत' पर कर रहा है। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि एनआईपी और एनएसआर जांच के दौरान अलग-अलग प्रस्तावों का हल करते हैं और उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। यह नोट किया जा सकता है कि एनआईपी एक नोशनल कीमत है जिसकी गणना अनुबंध-III द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार की गई है। दूसरी ओर, एनएसआर वह वास्तविक कीमत है जिस पर घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की बिक्री की है। किसी भी मामले में, घरेलू उद्योग के वास्तविक आंकड़ों की जांच करने पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग के एनएसआर से कम है जिसके फलस्वरूप कीमत में सकारात्मक कटौती हुई है।

ख) कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

107. इस तथ्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से कि क्या इन आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ रहा है अथवा उसका ह्रास हो रहा है और यह कि क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण घरेलू कीमतों पर बहुत हद तक दबाव पड़ेगा अथवा घरेलू कीमतों में वृद्धि रुक जाएगी जो अन्य प्रकार से बहुत अधिक हद तक हुई होती, प्राधिकारी क्षति की अवधि के दौरान इन लागतों और कीमतों में परिवर्तन को नोट करते हैं। वर्तमान जांच में प्रस्तावित पीसीएन की कीमतों में बहुत अधिक अंतर के कारण, प्राधिकारी ने पीसीएन के लिए पृथक रूप से कीमत ह्रास/न्यूनीकरण का विश्लेषण किया है।

विवरण	यूनिट	2018-19			2019-20			2020-21					पीओआई
		एआई एक्सयू	बी2वाई एम	कुल	एआई एक्सयू	बी2वाई एम	कुल	एआई एक्सयू	बी2वाई एम	कुल	एआई एक्सयू	बी2वाई एम	कुल
आयात मात्रा	यूनिट	***	***	1308	***	***	1071	***	***	1419	***	***	552
निवल बिक्री वसूली	आईएनआर लाख/ यूनिट	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	98	94	90	99	94	93	112	113	120
पहुंच कीमत	आईएनआर लाख/ यूनिट	***	***	35.37	***	***	30.50	***	***	33.28	***	***	44.13
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	99	89	86	108	92	94	136	112	125
बिक्री लागत	आईएनआर लाख/ यूनिट	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	109	104	101	125	127	124	125	140	145

108. यह देखा गया है कि क्षति की पूरी अवधि के दौरान, संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत से कम रही है। संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में 2019-20 में गिरावट आई। हालांकि, उसी अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग की लागत में वृद्धि हुई। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 में पहुंच कीमत और बिक्री कीमत दोनों में प्रायः उसी दर से वृद्धि हुई लेकिन लागत में बहुत अधिक दर से वृद्धि हुई है। इसके अलावा, जांच की अवधि में संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत में वृद्धि घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री की कीमत में वृद्धि से अधिक है। हालांकि, बिक्री कीमत और पहुंच बिक्री की लागत की तुलना में बहुत अधिक कमतर है।
109. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि पहुंच मूल्य में घरेलू बिक्री कीमत की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक दर से वृद्धि हुई, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग पाटित आयातों के द्वारा बनाए गए कीमत दबाव के कारण अपनी कीमतों को बढ़ाने में सक्षम नहीं था।

110. घरेलू उद्योग के सूचीबद्ध आंकड़ों के आधार पर, कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया कि इस लागत में 97 सूचकांकों तक कमी आई है जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में 20 सूचकांकों तक वृद्धि हुई है। प्राधिकारी यह पाते हैं कि इस निष्कर्ष का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है।

ज.3.3 घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मानदंड

111. इस नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जांच शामिल होगी। इस नियमावली में आगे सभी संगत आर्थिक मापदंडों और सूचकांकों जिनका घरेलू उद्योग की हालत पर प्रभाव पड़ता हो, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; वे कारक जो घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा पर प्रभाव डालते हों; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव का वस्तुपरक मूल्यांकन का प्रावधान है। तदनुसार घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर यहां नीचे चर्चा की गई है:

क) क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

112. क्षति की समग्र अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री निम्नानुसार थी:

विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
क्षमता-पीयूसी	यूनिट	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पादन-पीयूसी	यूनिट	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	69	100	57
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	69	100	57
घरेलू बिक्री –पीयूसी	यूनिट	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	69	93	76

113. हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में 'परिवर्तन' के बारे में चिंताएं व्यक्त की हैं। इस संबंध में यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में उत्सर्जन मानदंडों में आसन्न परिवर्तन के कारण 2020-21 में वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग ने उस अवधि में बीएस-III और सीईवी-IV दोनों मापदंडों के अनुकूल व्हील लोडों का उत्पादन किया। यह भी देखा गया है कि:

- याचिकाकर्ता की संस्थापित क्षमता स्थिर रही है। हालांकि, घरेलू उद्योग निष्क्रिय क्षमताओं के साथ कार्य कर रहे हैं।
- विचाराधीन उत्पाद के लिए उत्पादन और घरेलू बिक्री में वर्ष 2020-21 और आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट आई है।

ख) बाजार हिस्सा

114. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि मांग में संकुचन के बावजूद संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है, जबकि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा स्थिर रहा है। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति की पूरी अवधि के दौरान संबद्ध आयातों और घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा निम्नानुसार था:

विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
चीन से आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	128	58
अन्य देशों से आयात	%	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	45	86	91
कुल आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	126	59
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	110	104
समर्थकों का बाजार हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	37	41	26
अन्य घरेलू उत्पादक	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	73	134
कुल	%	100%	100%	100%	100%

115. यह देखा गया है कि संबद्ध देश से आयातों के बाजार हिस्से में विशेष रूप से जांच की अवधि में गिरावट आई है। हालांकि, जैसा कि ऊपर में नोट किया गया है, विचाराधीन उत्पाद की पर्याप्त मात्राओं का आयात जांच की अवधि की पूर्व की अवधि में किया गया था, जिन्हें जांच की अवधि के दौरान बेचा गया था। उसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा वही रहा।

116. प्राधिकरण नोट करता है कि अन्य घरेलू उत्पादकों (लियूगोंग इंडिया और कैटरपिलर इंडिया सहित) की बाजार हिस्सेदारी में काफी सुधार हुआ है, दूसरी ओर, घरेलू उद्योग और समर्थक की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है। हालांकि, प्राधिकरण नोट करता है कि संबद्ध देश से आयात की बाजार हिस्सेदारी 2018-19 के आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 तक बढ़ी है, लेकिन POI में गिरावट देखी गई। जैसा कि प्राधिकरण ने ऊपर उल्लेख किया है, विभिन्न निर्यातकों ने पीओआई से पहले की अवधि में पर्याप्त मात्रा में पीयूसी का निर्यात किया है, जिसे पीओआई के दौरान उनके घरेलू सहयोगियों/आयातकों द्वारा बेचा गया था।

ग) लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेशों पर प्रतिफल

117. लाभप्रदता, निवेश पर प्रतिफल और नकद लाभ के संबंध में सूचना निम्नानुसार थी:

विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
बिक्री की कीमत	आईएनआर लाख/यूनिट	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	131	131
बिक्री कीमत	आईएनआर लाख/यूनिट	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	104	117
लाभ/(हानि)	आईएनआर लाख/यूनिट	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-654	-1788	-931
लाभ/(हानि)	आईएनआर लाख/यूनिट	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-453	-1665	-710
नकद लाभ	आईएनआर लाख/यूनिट	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-276	-1111	-463
पीबीआईटी	आईएनआर लाख/यूनिट	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-453	-1665	-710
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-522	-889	-423

118. हितवद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि इस घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई हानि में पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट आई है। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- क. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में बहुत अधिक हद तक गिरावट आई है और घरेलू उद्योग को हानि हो रही है।
- ख. घरेलू उद्योग ने 2019-20 से नकद हानि उठाना शुरू किया।
- ग. जबकि घरेलू उद्योग की हानि में जांच की अवधि में गिरावट आई, यह हानि बहुत अधिक स्तरों पर है।
- घ. घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित प्रतिफल ऋणात्मक है।

119. इच्छुक पार्टियों ने यह भी तर्क दिया है कि भले ही जनवरी 2021 - मार्च 2021 के बीच किए गए आयात POI में बेचे गए थे, घरेलू उद्योग का घाटा POI में कम हो गया है। इच्छुक पार्टियों ने यह भी तर्क दिया है कि जांच अवधि के दौरान लाभप्रदता मापदंडों में सुधार हुआ है, और इसलिए, यह अवधि घरेलू उद्योग के लिए सुधार की अवधि थी। इस संबंध में, घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि वह लागत में वृद्धि की तुलना में उच्च दर पर पीयूसी की बिक्री कीमत को पिछले वर्ष से थोड़ा बढ़ा सकता है, इसलिए पिछले वर्ष की तुलना में पीओआई में घाटे में गिरावट आई है। हालाँकि, चीन से डंप किए गए आयात के कारण घरेलू उद्योग की कीमतें दबी हुई रहीं और इसलिए, घरेलू उद्योग को जांच अवधि के दौरान अत्यधिक घाटा होता रहा।

घ) मालसूची

120. मालसूची के संबंध में सूचना निम्नानुसार है:

विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
आरंभिक मालसूची	यूनिट	***	***	***	***
अंतिम मालसूची	यूनिट	***	***	***	***
औसत मालसूची	यूनिट	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	166	688	646

121. हितवद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि यह स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार 2018-19 की तुलना 2020-21 में मालसूची में वृद्धि छह गुना से अधिक थी, जब घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में ही मामूली गिरावट आई थी। इस संबंध में प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना का सत्यापन किया है। इसके अलावा, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में गिरावट बहुत अधिक है। प्राधिकरण नोट करता है कि 2020-21 में उत्सर्जन मानदंडों में बदलाव के कारण, घरेलू उद्योग ने 31 मार्च, 2021 से पहले 30 नवंबर, 2021 तक घरेलू बाजार में बिक्री के लिए बीएस-III अनुपालन व्हील लोडर का भी निर्माण किया। POI की शुरुआत में, यानी 1 अप्रैल, 2021 को शुरुआती इन्वेंट्री में बढ़ोतरी हुई। हालांकि, प्राधिकरण ने यह भी नोट किया कि घरेलू उद्योग की क्लोजिंग इन्वेंट्री POI के दौरान 2021 से पहले के स्तर पर स्थिर हो गई। इसलिए, आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान औसत सूची में वृद्धि हुई है।

122. इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में गिरावट काफी है।
123. हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी से अर्द्ध-वार्षिक आधार पर मालसूची का आकलन करने का अनुरोध किया है। इस संबंध में प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों को क्षति का आकलन करने के लिए अपनी सतत कार्य-पद्धति का अनुसरण किया है। इस देखा गया है कि घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में क्षति की पूरी अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ड.) उत्पादकता, रोजगार और मजदूरी

124. क्षति की अवधि के दौरान उत्पादकता, रोजगार और मजदूरी के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:

विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
प्रति दिन उत्पादकता	यूनिट/दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	69	100	57
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	यूनिट/सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	90	109	73
रोजगार	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	77	91	79
मजदूरी	आईएनआर लाख रु. में	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	178	128

125. उत्पादकता और रोजगार में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई है। हालांकि, मजदूरी में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।
126. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि 400 कर्मचारियों की छंटनी कोविड के दौरान की गई थी। इस संबंध में, घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया है कि इनमें से अधिकांश कर्मचारियों को उसी वर्ष फिर से नियुक्त कर लिया गया था।

च) वृद्धि

127. आधार वर्ष के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	पीओआई
उत्पादन	वर्ष/वर्ष	-30.87%	44.05%	-42.38%
बिक्री	वर्ष/वर्ष	-30.82%	34.60%	-18.08%
प्रति यूनिट लाभ/(हानि)	वर्ष/वर्ष	-754.15%	173.28%	-47.94%
मालसूची	वर्ष/वर्ष	65.85%	314.71%	-6.03%
बाजार हिस्सा	वर्ष/वर्ष	-17.72%	33.50%	-5.35%
कर पूर्व लाभ/(हानि)	वर्ष/वर्ष	-552.54%	267.83%	-57.35%
नकद लाभ	वर्ष/वर्ष	-376.07%	302.43%	-58.31%
आरओआई	वर्ष/वर्ष	-621.64%	-70.49%	52.46%

128. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की वृद्धि निवेश पर प्रतिफल को छोड़कर जांच की अवधि में सभी मापदंडों पर नकारात्मक रही है। हालांकि घरेलू उद्योग का जांच की अवधि में निवेशों पर नकारात्मक प्रतिफल होना जारी है। घरेलू उद्योग की वृद्धि 2019-20 की तुलना में नकारात्मक थी।

छ) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

129. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने राजस्थान और गुजरात में नए निवेश किए हैं। यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद पर पहले ही किए गए निवेशों पर अर्जित आरओसीई ऋणात्मक है।

ज) पाटन मार्जिन का आकार

130. यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम से ज्यादा और अधिक है।

ज.4 कारणात्मक संबंध तथा गैर-आरोपण विश्लेषण

ज.4.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

131. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इसके संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. घरेलू उद्योग का क्षति का दावा बिल्कुल गलत है क्योंकि केटरपिल्लर इंडिया ने घरेलू बाजार में जांच की अवधि के दौरान घाटा करने वाली बिक्री नहीं की है।
- ii. मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी के प्रभावों के कारण संबद्ध वस्तुओं की मांग में बहुत तेजी से गिरावट आई है। मांग आधार वर्ष में 100 से गिरकर जांच की अवधि में 74 हो गई है। मांग में इस गिरावट के कारण घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट आई है जिसके फलस्वरूप मितव्यता, लागतों में वृद्धि आदि की हानि हुई है जिससे घरेलू उद्योग के उत्पादों की कीमत भारतीय बाजार के लिए अधिक है। क्षति, यदि कोई हो, मांग में तीव्र संकुचन के कारण हुई है।
- iii. उत्सर्जन मानदंडों में परिवर्तन के फलस्वरूप, घरेलू उद्योग को अपनी सुविधाओं और संघटकों के चयन को उन्नत करना पड़ा था जिसके फलस्वरूप लागत में वृद्धि हुई। वीएस-IV व्हील लोडर बहुत महंगे थे और बाजार को अपेक्षाकृत अधिक कीमत वाले उत्पाद के अनुकूल बनने में कुछ समय लगा। मानदंडों में परिवर्तन ने मांग और आपूर्ति के मोर्चे पर अस्थिरता पैदा की जिसके कारण घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों पर अस्थायी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ऐसे दुष्प्रभावों के लिए आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
- iv. प्रतिवादी विशेष रूप से यह अनुरोध करते हैं कि घरेलू उद्योग ने विशेष रूप से घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा का संदर्भ अन्य ज्ञात कारकों के रूप में नहीं लिया है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।
- v. व्हील लोडर बाजार घरेलू उत्पादकों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण मामूली मार्जिन पर काम कर रहा था। सभी घरेलू उत्पादकों की लाभप्रदता गंभीर कीमत प्रतिस्पर्धा के कारण सामान्य रही है। भारतीय बाजार में कीमत आयातों से प्रभावित नहीं होती है बल्कि स्थानीय उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा से प्रभावित होता है।
- vi. चीन जन.गण. से भारत में कुल आयातों तथा लियुगोंग इंडिया द्वारा स्वयं द्वारा उत्पादित व्हील लोडरों की घरेलू बिक्री से संबंधित जांच की अवधि के आंकड़े दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग का प्रदर्शन घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्रभावित होता है।
- vii. जब जांच की अवधि के दौरान भारत में अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री का भी विश्लेषण किया जाता है तब यह स्पष्ट होगा कि घरेलू उद्योग घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा और न कि भारत में आयातों के द्वारा प्रभावित होता है।
- viii. घरेलू उद्योग की बिक्री की मात्रा में गिरावट के बावजूद, कमीशन, डिस्काउंट, छूट आदि पर खर्च में अतर्कसंगत वृद्धि हुई है।
- ix. घरेलू उद्योग ने उच्च ह्रास लागत उठाई है। घरेलू उद्योग ने प्राथमिक रूप से ह्रास लागतों में वृद्धि के कारण 2019-20 से हानि का अनुभव किया है। ह्रास लागत 2018-19 में 100 सूचकांकों से बढ़कर

2019-20 में 179 सूचकांक तक पहुंच गया है। वर्तमान में घरेलू उद्योग के कर पूर्व लाभ (पीबीटी) में 2018-19 में 100 सूचकांकों से 2019-20 में (653) सूचकांकों तक गिरावट आई है।

- x. इसके अलावा घरेलू उद्योग क्षति की जांच की अवधि के दौरान हुई ब्याज लागत के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने में असफल हो गया है जो व्यापार सूचना सं. 05/2021 का उल्लंघन है।
- xi. वर्ष 2020-21 और जांच की अवधि के लिए, घरेलू उद्योग को अनुपात से अधिक भाड़ा, कमीशन और छूट देना पड़ा जिसने लाभप्रदता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। कमीशन, डिस्काउंट और भाड़े में ऐसी वृद्धि संभवतः (क) बैकलाग मालसूची की फिर से बिक्री किए जाने के लिए भुगतान किया गया उच्चतर कमीशन; और (ख) घरेलू उद्योग द्वारा बिक्री को बढ़ाने के लिए शुरू किए गए अधिमान्य तत्काल भुगतान और भुगतान दिवस जैसे नई पेशकश के कारण हुआ है।
- xii. इंडियन कन्स्ट्रक्शन इक्यूपमेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (“आईसीईएमए”) द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, विभिन्न उद्योग नेताओं ने इस वर्ष में और आगे सामना की गई चुनौतियों के संबंध में अपने विचार दिए हैं। उद्योग की कंपनियों ने यह कहा है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 ने आपूर्ति संबंधी बाधाओं, कोविड-19 आदि के कारण कन्स्ट्रक्शन इक्यूपमेंट इंडस्ट्री में मांग में कमी देखी है। उनमें से किसी ने यह भी कहा है कि आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। वास्तव में, श्री दीपक शेट्टी, संयोजक, आईसीईएमए स्मार्ट इन्फ्रा पैनल एंड सीईओ और घरेलू उद्योग के प्रबंध निदेशक ने चिंता के कारण के रूप में आयात के अलावा अन्य कारकों का भी उल्लेख किया है। घरेलू उद्योग का यह दावा कि उनके द्वारा उठाई गई क्षति आयातों के कारण हुई है, भी अन्य उद्योग कंपनियों के विचारों के अनुरूप नहीं है।
- xiii. आर्थिक मापदंडों में घरेलू उद्योग की बदतर स्थिति कोविड-19 महामारी से अभिव्याप्त है। वित्तीय वर्ष 2018-19 की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2019-20 बिक्री से संबंधित अधिकांश मैट्रिक्स में गिरावट दर्शाता है और उसके बाद वित्तीय वर्ष 2020-21 में इसमें उछाल आया है और तब क्षति की जांच की अवधि के दौरान इसमें मामूली गिरावट आई है। यह प्रवृत्ति कोविड-19 महामारी और उस अवधि के समय हुई है जब नए भारतीय उत्सर्जन विनियम लागू हुए थे। इसके परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को कोविड-19 महामारी के कारण और न कि संबद्ध आयातों के कारण क्षति उठानी पड़ी।
- xiv. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान किए गए पूर्व के आयात उत्सर्जन मानदंडों में परिवर्तन की प्रत्याशा में हुई थी और इस प्रकार यह दावा नहीं किया जा सकता है कि जेसीबी को कथित पाटित आयातों के कारण हानि हुई।
- xv. यह याचिका बाहरी कारकों जैसे बाजार में दबाव की स्थितियां, आंतरिक समस्याएं, कोविड-19, रुपये का अवमूल्यन, मुद्रास्फीति, वैश्विक और भारतीय बाजार में भारी मात्रा में वस्तु की कीमत वृद्धि पर विचार नहीं करता है।
- xvi. क्षति का आकलन भारत III मानदंडों को समाप्त किए जाने के बाद किया जाना चाहिए क्योंकि बीएस-III मानदंड मशीनरी की आयात/बिक्री भविष्य में नहीं की जाएगी। चूंकि पाटनरोधी शुल्क प्रगामी प्रकृति के हैं, अतः पुराने उत्सर्जन मानदंडों/कानूनी रूप से निषिद्ध प्रौद्योगिकी के साथ मशीनरी को क्षति की किसी गणना के उद्देश्य से बाहर रखा जाना चाहिए।
- xvii. घरेलू उद्योग की हानि इसकी अपनी अक्षमता और भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग की 5.5 टी(455जेडएक्स) व्हील लोडर की स्वीकार्यता की कमी, महंगे एड ओन के कारण हुई है जिसके लिए बाजार में कोई मांग नहीं थी।

ज.4.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

132. घरेलू उद्योग ने इसके संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. चीन जन.गण. को छोड़ कर अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात मात्रा के मामले में बहुत अधिक नहीं हैं और वे न्यूनतम से कम हैं। इसके अलावा, जिस कीमत पर अन्य संबद्ध देशों से आयात किए जाते हैं, घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं। इस कारण से, घरेलू उद्योग को किसी क्षति के लिए तीसरे देश से आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

- ii. घरेलू उद्योग के निर्यात प्रदर्शन ने इसकी वित्तीय प्रदर्शन को प्रभावित नहीं किया है। महत्वपूर्ण रूप से, घरेलू उद्योग का निर्यात प्रदर्शन पाटित आयातों के प्रभाव और क्षति की सीमा का निर्धारण करते समय ध्यान में नहीं रखा गया है। इस कारण से, क्षति के लिए घरेलू उद्योग के निर्यात प्रदर्शन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
- iii. प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।
- iv. घरेलू उद्योग ने क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से केवल विचाराधीन उत्पाद से संबंधित सूचना पर विचार किया है। इस कारण से, ऊपर में दर्शाई गई क्षति के लिए घरेलू उद्योग के अन्य उत्पादों के प्रदर्शन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
- v. जांच की अवधि के दौरान, विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग के प्रचालनों पर ऐसी कोई बाधाएं नहीं थी (जैसे कच्चे माल की कमी, बिजली की कमी, कर, क्षमता/निवेश बाधाएं आदि)।
- vi. संयंत्र के बंद होने के आरंभ के समय घरेलू उद्योग का विचाराधीन उत्पाद मालसूची स्तर *** यूनिट था जो उपयुक्त रूप से 30 दिनों के लिए देश की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है (वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रतिदिन औसत मांग के आधार पर)।
- vii. कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य-पद्धतियां नहीं हैं, जिन्हें घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई वास्तविक क्षति से अलग माना जा सकता है।
- viii. जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा दर्शाया गया है, इसने जांच की अवधि अथवा क्षति की अवधि के दौरान किसी ब्याज लागत नहीं उठाई है। परिणामस्वरूप, इसने प्रपत्र IV- क के भाग के रूप में उसकी सूचना नहीं दी है।
- ix. घरेलू उद्योग यह अनुरोध करता है कि लगाई गई पूंजी में मुक्त रूप से व्हील लोडरों की मालसूची के कारण वृद्धि हुई है।
- x. संयंत्र स्तर पर समग्र ह्रास में जांच की अवधि के दौरान कमी आई है।
- xi. यह अनुरोध किया जाता है कि घरेलू उद्योग से यह अपेक्षित था कि वह सीईवी स्टेज IV व्हील लोडरों का निर्माण करने के उद्देश्य से अपेक्षित टूलिंग और मशीनरी में कुछ निवेश करे। इस कारण से, लगाई गई निर्धारित परिसंपत्तियों में मामूली वृद्धि हुई थी।

ज.4.3 गैर-आरोपण विश्लेषण

133. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार, प्राधिकारी से अन्य बातों के साथ साथ यह अपेक्षित है कि वे पाटित आयातों को छोड़कर किसी ज्ञात कारकों की जांच करें जो उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रही है ताकि इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सके। इस संबंध में वे कारके जो संगत हैं, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमतों पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य-पद्धतियां और उनके बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी का विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात प्रदर्शन तथा उत्पादकता शामिल है। नीचे इस तथ्य की जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों का घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में योगदान हो सकता था।

क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा

134. प्राधिकारी नोट करते हैं कि गैर-संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर्याप्त मात्रा में नहीं हुई हैं। इसके साथ ही, जिन कीमतों पर विचाराधीन उत्पाद का आयात गैर-संबद्ध देशों से किया गया था, संबद्ध देश की कीमतों से बहुत अधिक है।

ख) निर्यात कार्य-निष्पादन और कैप्टिव खपत

135. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य-निष्पादन ने उसके आर्थिक मापदंडों को प्रभावित नहीं किया है। घरेलू उद्योग के निर्यात कार्य-निष्पादन पर पाटित आयातों के प्रभाव तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति की सीमा का निर्धारण करते समय नहीं किया गया है।

ग) प्रौद्योगिकी का विकास

136. मौके पर सत्यापन के समय घरेलू उद्योग ने यह दर्शाया कि उत्सर्जन मानदंडों में परिवर्तन घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं था।

घ) कंपनी के अन्य उत्पादों का कार्य-निष्पादन

137. घरेलू उद्योग ने क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से विचाराधीन उत्पाद से संबंधित सूचना पर ही विचार किया है। इस कारण से, ऊपर में दर्शाई गई क्षति घरेलू उद्योग के अन्य उत्पादों के कार्य-निष्पादन का कारण नहीं हो सकता है।

ड.) विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य-पद्धतियां और उनके बीच प्रतिस्पर्धा

138. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य-पद्धतियां नहीं हैं, जिन्हें घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति से अलग माना जा सकता है।

च) मांग में संकुचन तथा खपत के पैटर्न में परिवर्तन

139. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यथा-निर्धारित संबद्ध वस्तुओं की मांग में जांच की अवधि में गिरावट आई है। हालांकि, जैसा कि ऊपर में उल्लेख किया गया है, यह प्रमुख रूप से जांच की अवधि की बाद की अवधि में अधिक मात्राओं में आयातों के कारण हुई है, जिसे जांच की अवधि के दौरान बेचा गया था। इस कारण से उत्सर्जन विनियम में परिवर्तन के कारण जांच की अवधि में मांग संबंधी आंकड़े को विरूपित किया गया था। इस प्रकार, मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा सकता था।
140. प्राधिकारी व्हील लोडरों के अन्य घरेलू निर्माता के बाजार हिस्से में सुधार तथा घरेलू उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के संबंध में इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनेक अनुरोधों को नोट करते हैं। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य घरेलू उत्पादकों (लियुगोंग इंडिया और केटरपिल्लर इंडिया सहित) के बाजार हिस्से में बहुत अधिक सुधार हुआ है, दूसरी ओर, घरेलू उद्योग और समर्थक के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। हालांकि प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से आयातों के बाजार हिस्से में 2018-19 के आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 तक वृद्धि हुई है। लेकिन जांच की अवधि में गिरावट देखी है। जैसा कि, प्राधिकारी द्वारा ऊपर में नोट किया गया है, विभिन्न आयातकों/निर्यातकों ने जांच की अवधि की पूर्व अवधि में बहुत अधिक मात्राओं में विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है, जिन्हें जांच की अवधि के दौरान बेचा गया था।
141. ऑन साइट सत्यापन के दौरान, यह दर्शाया गया था कि ह्रास की लागत के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई। यह भी सत्यापित किया गया था कि घरेलू उद्योग ने कोई ब्याज लागत नहीं उठाया था। यह भी नोट किया गया था कि कमीशन और भाड़े जैसे कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाई है।

झ. क्षति मार्जिन की मात्रा

142. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण यथा-संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर किया है। विचाराधीन उत्पाद की क्षति रहित कीमत जांच की अवधि के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए विधिवत सत्यापित उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को लेकर निर्धारित किया गया है। क्षति मार्जिन परिकलित करने के लिए संबद्ध देशों से पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए क्षति रहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षति रहित कीमत निर्धारित करने के लिए क्षति की अवधि में कच्चे मालों और उपयोगिताओं के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण अथवा अनावर्ती खर्चों को उत्पादन लागत से बाहर रखा गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी पर उपयुक्त आय (22 प्रतिशत की दर से कर-पूर्व) (अर्थात् औसत निवल अचल परिसंपत्तियां और औसत कार्यशील पूंजी) की नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित किए गए अनुसार क्षति रहित कीमत निकालने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी।
143. पहुंच कीमत तथा ऊपर में निर्धारित एनआईपी के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा यथा-निर्धारित प्रस्तावित क्षति मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है। इसके अलावा, अलग क्षति मार्जिन का निर्धारण पीसीएन के लिए किया गया है।

क्षति मार्जिन

उत्पादक/निर्यातक का नाम	प्रति यूनिट	प्रति यूनिट	प्रति यूनिट	क्षति	क्षति
-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------	-------

	एनआईपी (यूएस.डा.)	पहुंच मूल्य (यूएस.डा.)	क्षति मार्जिन (यूएस.डा.)	मार्जिन %	मार्जिन % रेंज
गुआंक्सी लियुगोंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	50-60
कैटरपिल्लर (किंगडोऊ) कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	30-40
कैटरपिल्लर(सुझोऊ) कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	(40-50)
कैटरपिल्लर ग्रुप	***	***	***	***	10-20
लिभेर मशीनरी (डालियान) कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	(40-50)
शानडोंग लिंगोंग कन्स्ट्रक्शन मशीनरी (एसडीएलजी)	***	***	***	***	30-40
मैसर्स एक्ससीएमजी कन्स्ट्रक्शन मशीनरी कंपनी लिमिटेड – टेक्नोलॉजी ब्रांच	***	***	***	***	70-80
कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	70-80

ज. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

ज.1 हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

144. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात की गई टिप्पणियां निम्नानुसार हैं:

- प्राधिकारी से अंतिम जांच परिणाम में कंपलीटली नॉकड डाउन (सीकेडी) या कलपुर्जे के रूप में व्हील लोडर और बैट्री प्रचालित व्हील लोडर को पीयूसी के दायरे से बाहर रखने की पुष्टि करने का अनुरोध किया जाता है।
- रेटेड पेलोड एक टेक्निकल और मानक मापदंड है जिसे व्हील लोडर के सभी विनिर्माताओं द्वारा प्रयोग किया जाता है। किसी उत्पादक की घोषित रेटेड पेलोड क्षमता पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। किसी उत्पादक के लिए अपने व्हील लोडर की रेटेड पेलोड क्षमता को अधिक बताने या कम बताने का कोई प्रोत्साहन नहीं है, क्योंकि किसी विशिष्ट रेटेड पेलोड वाले व्हील लोडर विशिष्ट उद्योग खंड में प्रयोग होंगे।
- केवल रेटेड पेलोड प्रयोक्ताओं के लिए एक निर्णायक मापदंड है। रेटेड पेलोड संबंधित उद्योग खंड में व्हील लोडर की प्रयोज्यता का भी निर्णय लेने में निर्णायक है। अतः रेटेड पेलोड के महत्व को यह कहते हुए कम करना गलत है कि यह एक स्वप्रमाणित मापदंड है।
- जेसीबी ने दावा किया कि उसके मॉडल में भी "लगभग 6535 किलोग्राम की रेंज में एक रेटेड पेलोड क्षमता होगी" (जैसा प्रकटन विवरण के पैरा 5(3) में नोट किया गया है) – यह स्पष्ट नहीं है कि प्राधिकारी ने अपनी जांच में कैसे कहा है कि जेसीबी मॉडल लगभग 7000 किलोग्राम उठा सकता है।
- यदि ऐसा कोई नमूना या सैद्धांतिक प्रदर्शन मापदंड है तो 7000 किलोग्राम की घोषित रेटेड पेलोड क्षमता लगभग 8300 किलोग्राम की क्षमता को उठा सकती और प्रचालित कर सकती है। इस प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित व्हील लोडर और 7000 किलोग्राम की रेटेड पेलोड क्षमता वाले व्हील लोडर के बीच पर्याप्त अंतर रहेगा। घरेलू उद्योग के तथाकथित सैद्धांतिक पेलोड की गुआंक्सी लियुगोंग के घोषित रेटेड पेलोड के साथ तुलना करना मनमाना है।

- vi यह देखा जा सकता है कि रेटेड पेलोड क्षमता (7000 किलोग्राम की अधिक की) बाहर रखने की मांग करने का एक अनिवार्य मापदंड है दूसरे शब्दों में यदि आयातित व्हील लोडर शर्त (ख)(ग) और (घ) को पूरा करता है परंतु उसने 7000 किलोग्राम या उससे कम की घोषित रेटेड पेलोड क्षमता है तो उसे पीयूसी के दायरे के भीतर शामिल किया जाएगा। उसे इस आधार पर पीयूसी के दायरे से बाहर नहीं रखा जाएगा कि उसका सैद्धांतिक पेलोड 8300 किलोग्राम है। यद्यपि रेटेड पेलोड क्षमता 7000 किलोग्राम में या उससे कम है। इस प्रकार प्राधिकारी को पूरी जांच में रेटेड पेलोड क्षमता को समान महत्व देना चाहिए और वह एक ही समय पर कड़ा और नरम रख नहीं अपना सकते हैं।
- vii. इस अवलोकन के संबंध में कि 7000 किलोग्राम की रेटेड पेलोड क्षमता वाले व्हील लोडर देश में ऐसी कीमत पर आयातित किये गये हैं जो 5585 किलोग्राम की रेटेड पेलोड क्षमता के व्हील लोडर से काफी कम है तो प्रतिवादी नोट करते हैं कि 7000 किलोग्राम की रेटेड पेलोड क्षमता वाले व्हील लोडर की कीमत इन दोनों उत्पादकों के बीच तकनीकी महत्व के आकलन के समय संगत मापदंड नहीं हो सकता है।
- viii. प्राधिकारी ने केवल ऐसे मापदंडों पर विचार किया जैसे रेटेड पेलोड, इंजन ग्रास पावर, दांये और बांये पहिये के बीच दूरी और आगे और पीछे के व्हील एक्सेल के बीच दूरी। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे आटोमेटिक/मैनुअल ट्रांसमिशन, ब्रेक – वेट ब्रेक/ड्राइव ब्रेक और गेर पंप/पिस्टन पंप जैसे अन्य मापदंडों पर विचार करें।
- ix. 5585 किलोग्राम की पिलोड क्षमता वाले 7000 किलोग्राम वाले पिलोड को उठाने में प्रयोग पर सांविधिक प्रतिबंधों पर ध्यान दिलाने वाले विस्तृत अनुरोधों की प्राधिकारी ने जांच नहीं की है।
- x. एसडीएलजी ने 5585 किलोग्राम की पिलोड क्षमता वाले व्हील लोडर के 7000 किलोग्राम के पिलोड को उठाने में प्रयोग संबंधी कानूनी प्रतिबंध को विशेष रूप से दर्शाने वाला विस्तृत अनुरोध दायर किया है। इन अनुरोधों को प्राधिकारी द्वारा न तो रिकार्ड और न तो इनकी जांच की गई।
- xi. मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत जेसीबी इंडिया लि० के व्हील लोडर 5585 किलोग्राम से अधिक लादान को ले जाने के लिए कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। यह कानूनी सीमा उन्हें 7000 किलोग्राम वाले पिलोड क्षमता वाले व्हील लोडर से अलग बनाती है और उसे समान वस्तु नहीं माना गया है।
- xii आटोमेटिक/मैनुअल ट्रांसमिशन, वेट ब्रेक – ड्राइव / गेर पंप/पिस्टन पंप के बीच लागत / कीमत में भारी अंतर (अर्थात लगभग 40 प्रतिशत है) जीसीपीएल प्राधिकारी को गापेनीय आधार पर वास्तविक लागत अंतर बताना चाहती है।
- xiii. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के आंकड़ों के आधार पर सामान्य मूल्य परिकलित किया है जो पूर्वोक्त मापदंडों अर्थात ट्रांसमिशन, ब्रेक और पंप के कारण आयातित व्हील लोडेड से तुलनीय नहीं हैं। उक्त जांच परिणाम गलत हैं क्योंकि इन मापदंडों का व्हील लोडर की लागत पर काफी प्रभाव पड़ता है।
- xiv. प्राधिकारी ने एसकेडी व्हील लोडर के लिए स्वतंत्र रूप से सामान्य मूल्य और क्षति मार्जिन की तुलना करने का अनुरोध किया है और सीबीयू व्हील लोडर के साथ उनकी तुलना के बजाय सटीक तुलना के लिए आवश्यक समायोजन किये हैं।
- xv. पीओआई की पहली दो तिमाहियों की मांग/आपूर्ति ऐसी आपवादिक परिस्थितियों से ग्रस्त थी जिसने असाधारण बाजार दशाएं उत्पन्न की – उसी को क्षति के दावे के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। अतः पीओआई को अवश्यम बदला जाए।
- xvi. कोविड, उत्सर्जन मानकों में बदलाव आदि जैसे विभिन्न कारकों पर क्षति के आकलन के समय विचार किया जाना चाहिए।
- xvii. मानकों में बदलाव के फलस्वरूप लागत में वृद्धि हुई है। व्हील लोडर अधिक मंहगे हो गए हैं और बाजार के लिए उच्चतर कीमत के उत्पादों को अपनाने में समय लगा। मानकों में बदलाव से मांग/आपूर्ति में आई रुकावट के लिए आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

- xviii. कोविड-19 महामारी के कारण मांग में भारी गिरावट आई थी जिसके कारण उत्पादन में गिरावट आई। इस प्रकार इससे पैमाने की किफायतों का घाटा, लागत में बढ़ोतरी आदि हो गई और बाद में घरेलू उद्योग के उत्पाद मंहगे हो गये।
- xix. घरेलू उत्पादकों के बीच आपस में प्रतिस्पर्धा की अनदेखी की गई है और इसकी वजह से हुई क्षति के लिए आयातों को जिम्मेदार ठहराया गया है।
- xx. व्यापक परिकल गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराये गये हैं – 20 प्रतिशत शुल्क लगाने से ठेकेदार के लाभ में *** प्रतिशत की गिरावट आएगी और 40 प्रतिशत लगाने से लाभप्रदता में *** प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। हितबद्ध पक्षकार प्राधिकारी को गोपनीय आधार पर वास्तविक परिकलन देना चाहते हैं।
- xxi. शुल्क लगाया जाना प्रयोक्तओं के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि पीयूसी को खनन, पत्तन प्रचालन और सड़क निर्माण जैसे अनुप्रयोगों में प्रयुक्त करना चाहिए।
- xxii. सीक्यूएल को प्राधिकारी से कोई प्रश्नावली प्राप्त नहीं हुई थी। इसे सीसीएमई से जांच के बारे में पता चला।
- xxiii. भागीदार कंपनी का नाम कैटरपिलर (किंगडोम) लिमिटेड और न कि कैटरपिलर (किंगडोम) लिमिटेड है।
- xxiv. कैटरपिलर ग्रुप का नाम आवेदन में ज्ञात निर्यातकों की सूची में नहीं दिया गया है। पीसीएन संबंधी एक सुनवाई रखी गई परंतु कैटरपिलर समूह को आश्चर्य हुआ जब उसमें भागीदार पक्षकारों ने उसे नहीं बुलाया गया। स्पष्ट अनुरोध करने के बावजूद उसे 3 नवंबर, 2022 को पीसीएन सुनवाई में भागीदारी की अनुमति नहीं दी गई।
- xxv. कैटरपिलर समूह ने 2 नवंबर, 2022 को पीसीएन पद्धति पर आपत्ति की थी और 4 नवंबर, 2022 के पत्र द्वारा पीसीएन पद्धति संबंधी एक बैठक हेतु अनुरोध किया था। तथापि, इसे स्वीकार नहीं किया गया। 17 नवंबर, 2022 को प्राधिकारी ने जांच शुरूआत के समय प्रस्तावित पीसीएन की पुष्टि की थी।
- xxvi. सीआईपीएल व्हील लोडर का एक घरेलू उत्पादक है क्योंकि वह भारत में संविदा विनिर्माण के अंतर्गत उत्पादन करता है। वह व्हील लोडर के विनिर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यकलाप करता है। अतः सीआईपीएल एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग के रूप में योग्य होगा।
- xxvii. सीएमएस बांदा, महाराष्ट्र ने विनिर्माणकर्ता है और वह आयातक नहीं है या चीन में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक/आयातक से संबंधित नहीं है। सीएमएस हिंदुस्तान ब्रांड के अंतर्गत व्हील लोडर का पर्याप्त मात्रा में विनिर्माण करता है और वह अपने खंड में बाजार की अग्रणी कंपनी में से एक है। इस प्रकार सीएमएस पात्र उत्पादक है और उसे जांच शुरूआत पूर्व पोलिंग पर विचार करना अपेक्षित था तथा घरेलू उद्योग के रूप में जेसीबी की स्थिति पर ध्यान देना जरूरी था। इसी जांच की शुरूआत के लिए पोलिंग एक्ट पूर्व शर्त है।
- xxviii. एलएंडटी और टाटा हिटैची जो संबद्ध वस्तु के आयात या उत्पादन में शामिल नहीं हैं, को घरेलू उद्योग के दायरे में शामिल करना चाहिए।
- xxix. गुआंगसी लियुगांग ने पीओआई से पहले वर्ष के दौरान भारत को पर्याप्त निर्यात किया परंतु पीओआई के दौरान नहीं।
- xxx. प्राधिकारी से किसी उत्पादक की पात्रता का निर्णय लेने में संगत कारकों की जांच नहीं की है। इन कारकों का एक वस्तुनिष्ठ आकलन दर्शाएगा कि लियुगांग इंडिया एक पात्र घरेलू उद्योग है।
- xxxi. लेवी का विरोध करने वाले उत्पादकों के लिए कोई विशिष्ट प्रश्नावली नहीं है। सीएमएस ने कतिपय सूचना देकर एक पत्र प्रस्तुत किया है। निष्कर्ष का कोई कारण घरेलू उद्योग में विचार करने के लिए पात्र घरेलू उत्पादक से सीएमएस को बाहर रखने का कोई कारण नहीं बताया गया है।
- xxxii. कैटरपिलर समूह इंकार करता है कि इसने भारत में व्हील लोडर का पाटन किया है। एक निर्धारण किया गया कि कैटरपिलर कंपनी के निर्यात पाटित कीमतों पर नहीं हुए हैं। इसलिए कंपनियों के विरुद्ध जांच समाप्त की जाए।

- xxxiii. विभिन्न आर्थिक मापदंड बदल गये हैं। याचिकाकर्ता ने 14 अप्रैल, 2023 को मौखिक सुनवाई के बाद उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित अनुरोधों में इन परिवर्तनों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है। उक्त मापदंडों में बदलाव संबंधी कोई सूचना अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उनकी टिप्पणियों हेतु प्रस्तुत और परिचालित नहीं की गई है।
- xxxiv. प्राधिकारी ने देखा है कि घरेलू विनिर्माताओं के बाजार हिस्से में सुधार हुआ है। घरेलू कंपनियों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है। तथापि प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष दिया है कि घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।
- xxxv. कोई मात्रात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है इसलिए आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हो सकती है।
- xxxvi. प्राधिकारी ने नोट किया है कि आयातों के बाजार हिस्से में पीओआई में कमी आई है जबकि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा समान बना रहा है। यह संसुक्ति इस तथ्य का संकेत नहीं करती कि जेसीबी नुकसान उठा रहा है क्योंकि उसका बाजार हिस्सा अपरिवर्तित रहा है। वास्तव में अन्य उत्पादकों से बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है।
- xxxvii. घरेलू उद्योग के घाटों में भारी गिरावट आई है और वह रिकवरी के चरण में है।
- xxxviii. यदि घरेलू उद्योग द्वारा पीओआई में उठाये गये घाटे 2020-21 की तुलना में अधिक थे तो यह दावा करना सही होगा कि आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही थी। तथापि, पीओआई पूर्व अवधि की तुलना में पीओआई में घरेलू उद्योग के घाटे में भारी गिरावट आई है।
- xxxix. तिमाही वार मूल्यांकन का अनुरोध किया गया था क्योंकि चीन उत्पादकों/निर्यातकों ने पीओआई के दौरान भारत को केवल सीईवी चरण IV के अनुरूप व्हील लोडर भेज थे। जबकि बीएस III अनुपालन लोडर और सीईवी चरण IV अनुपालन के व्हील लोडर विभिन्न तिमाहियों के दौरान भारतीय बाजार में बेचे गये थे। इस विसंगति के कारण तिमाही वार क्षति आकलन का अनुरोध किया गया।
- xl. अप्रैल, 2021 – जून, 2021 की अवधि को कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रभाव को समाप्त करने के लिए पीओआई से बाहर रखा जाना चाहिए। प्राधिकारी ने इस दावे का कोई उत्तर नहीं दिया है कि पीओआई में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर की प्रतिकूल प्रभाव को वास्तविक क्षति के आकलन से बाहर रखना चाहिए।
- xli. घरेलू उद्योग के पास भारी मालसूची है जिसे वह पीओआई में समाप्त नहीं कर सका।
- xlii. कैटलपिलर समूह के लिए परिकलित क्षति मार्जिन काफी अधिक है जो अनुचित एनआईपी के कारण हो सकत है।
- xliii. घरेलू उद्योग को बिक्री लागत में इस भारी वृद्धि के कारण घाटा उठाना पड़ा है जो इस्पात की कीमतों और अन्य इनपुट लागतों में भारी वृद्धि के कारण हुआ है।
- xliv. यदि पीओआई में लागू व्हील की दर पर विचार किया जाए तो इसके परिणामस्वरूप एनआईपी का अप्रत्यक्ष उच्च निर्धारण होगा।
- xlvi. प्राधिकारी से एनआईपी के निर्धारण को समायोजित करने का अनुरोध किया जाता है ताकि स्टील की कीमतों में असामान्य और अस्थायी वृद्धि के परिणामस्वरूप एनआईपी का अत्यधिक और अवास्तविक निर्धारण न हो।
- xlvi. जेसीबी अपनी बिक्रियों को ईष्टतम बनाने की व्यापार रणनीति के रूप में अधिक बिक्रियां और और विपणन व्यय करता है। उक्त असाधारण व्यय एनआईपी और परिकलित सामान्य मूल्य में प्रदर्शित होंगे जिससे बाद में उच्च पाटन और क्षति मार्जिन निकलेगा। अतिरिक्त व्ययों की भरपाई के लिए समुचित समायोजन किये जा सकते हैं।
- xlvi. पाटनरोधी शुल्क, यदि कोई हो, की सिफारिश दो वर्षों के लिए करनी चाहिए।
- xlvi. प्राधिकारी को अवशिष्ट श्रेणी की तुलना में भागीदारी उत्पादकों को शुल्क की कमतर दर प्रदान करनी चाहिए।

- xlix. प्राधिकरण द्वारा निर्धारित गैर-हानिकारक मूल्य अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है और वास्तविक स्थिति पर आधारित नहीं है। प्राधिकरण को उस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ को अपनाना चाहिए जब डंपिंग का आरोप नहीं लगाया गया था और 22% आरओसीई नहीं था। 22% को अपनाने से घरेलू उद्योग को अनुचित सुरक्षा मिलती है।

ब.2 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

145. प्रकटीकरण के बाद घरेलू उद्योग द्वारा की गई टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

- i. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि मौके पर जांच सत्यापन के दौरान यह पता चला था कि 5585 किलोग्राम के व्हील लोडर लगभग 7000 किलोग्राम के पेलोड को उठा और प्रचालित कर सकते हैं।
- ii. घरेलू उद्योग ने बताया कि किसी व्हील लोडर पर उसकी स्वघोषित रेटेड पेलोड क्षमता की तुलना में अधिक या कम लोड उठाने पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा आटोमोटिव उद्योग मानक सहित किसी कानूनी निकाय द्वारा कोई कानूनी अवरोध नहीं है और यह बताया कि 5585 किलोग्राम से अधिक के व्हील लोडर को जांच के दायरे से बाहर नहीं रखना चाहिए।
- iii. कोई व्हील लोडर केंद्रीय मोटन वाहन नियमावली 1989 के नियम 2(सीएबी) के अर्थ के भीतर “निर्माण उपकरण वाहन” या “गैर-परिवहन वाहन” के रूप में पात्र होता है। कोई प्रमाणन या पंजीकरण दस्तावेज वाहनों की इस श्रेणी (अर्थात् निर्माण उपकरण) के लिए पेलोड/लादान भार को घोषित करने के लिए अपेक्षित नहीं है। यह नोट किया जाए कि निर्माण उपकरण वाहन से संबंधित सभी परीक्षण गैर लादित स्थिति में केंद्रीय मोटन वाहन नियमावली 1989 के अनुसार किये जाते हैं जो आटोमोटिव प्रौद्योगिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र द्वारा व्हील लोडर के लिए जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र के नमूने के रूप में दर्शाया गया है।
- iv. व्हील लोडर के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र में (या अन्य निर्माण उपकरण वाहन) के लिए लादान भार विनिर्दिष्ट नहीं है। अतः मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 113(3)(ख) व्हील लोडर पर लागू नहीं है। इस प्रकार व्हील लोडर को केवल रेटेड पेलोड क्षमता के आधार पर बाहर रखने के संभावित परिणामस्वरूप पाटनरोधी शुल्क लागू करना बेकार हो जाएगा, क्योंकि तुलनीय व्हील लोडर में अलग रेटेड पेलोड क्षमताएं हो सकती हैं।
- v. वाणिज्यिक प्रतिस्थापनीयता स्थापित करने के लिए अलावा यह तथ्य कि लियुगांग मॉडल (7000 किलोग्राम की रेटेड पेलोड क्षमता) की कीमत घरेलू उद्योग के मॉडल से काफी कम है। इसका यह अर्थ भी है कि लियुगांग उत्पाद को का असाधारण कम हानिकारक कीमत पर बेचा जा रहा है और वह घरेलू उद्योग के उत्पाद से सीधे प्रतिस्पर्धा कर रही है।
- vi. 4500 किलोग्राम और 2000 किलोग्राम के कम की मॉडल की रेटेड पेलोड क्षमता वाले व्हील लोडर के संबंध में ये 4500 किलोग्राम के पेलोड क्षमता वाले व्हील लोडर से तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अतः इन्हें जांच के उत्पाद के दायरे में शामिल किया जाएगा।
- vii. इसी प्रकार घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि 2000 किलोग्राम से कम की पेलोड क्षमता वाले व्हील लोडर 3300 किलोग्राम की पेलोड क्षमता वाले व्हील लोडर से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए बाहर रखने जाने चाहिए।
- viii. यह नोट किया गया है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने अपवर्जन मापदंडों के साथ में पठन के कारण अनुचित रूप से पीयूसी के दायरे में किसी मॉडल को शामिल करने का कोई साक्ष्य नहीं दिया है। तदनुसार, यह पाया गया है कि केवल एक या दो मापदंडों पर आधारित अपवर्जन किसी लागू शुल्क की प्रवंचना के लिए संदिग्ध है और इसलिए पीयूसी के भाग के रूप में “और” अपवर्जन दशाओं को रखने का प्रस्ताव है।
- ix. केवल एक मापदंड (जैसे रेटेड पेलोड क्षमता) के आधार पर निर्धारित उत्पाद के दायरे के परिणामस्वरूप ऐसे व्हील लोडर बाहर हो सकते हैं जो घरेलू उद्योग के उत्पादों के प्रतिस्थानीय हों। अतः ऐसी स्थिति से बचने के लिए सभी चार मापदंडों का एक साथ मूल्यांकन करना अनिवार्य है। इसमें दोहराया गया है कि एक व्हील लोडर जटिल इंजीनरी उत्पाद होता है जिसे एकल मापदंड/कारक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए।
- x. घरेलू उद्योग यह भी दोहराता है कि प्रत्येक अपवर्जन मापदंड के लिए अभिज्ञात दायरा मनमाना नहीं है और बाजार शोध पर आधारित है।

- xi. बैट्री प्रचालित व्हील लोडर पीयूसी के दायरे में आने के लिए सभी चार विशेषताओं को पूरा करता है। घरेलू उद्योग दोहराता है कि पीयूसी में सभी व्हील लोडर इनके यांत्रिक ऊर्जा डिलीवरी प्लेटफार्म (अर्थात् यांत्रिक कंबसन इंजन या बैट्री पावर्ड इंजन/मोटर) पर विचार किये बिना सभी व्हील लोडर को शामिल करता है। इंजन या बैट्री पावर्ड मोटर केवल एक प्लेटफार्म है जो व्हील लोडर के प्रचालन के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। इसमें एक मात्र अंतर यह है कि आंतरिक कंबसन इंजन तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है जबकि बैट्री पावर्ड मोटर भंडारित विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तदनुसार, ऐसे व्हील लोडरों को जांच के उत्पाद दायरे में शामिल करना चाहिए। किसी प्रयोक्ता के दृष्टिकोण से उत्पादों का अंतिम प्रयोग आपूर्ति श्रृंखला, विकास और परीक्षण अवसंरचना में अंतर पर विचार किया गया, समान है।
- xii. प्राधिकारी ने नोट किया कि चूंकि घरेलू उद्योग ने कलपुर्जों के पाटन का आरोप नहीं लगाया है इसलिए व्हील लोडर की सीकेडी यूनिट को शामिल करने से कलपुर्जों अंजाने में शामिल हो सकते हैं और इस तरह पीयूसी का विस्तार कर सकता है।
- xiii. घरेलू उद्योग प्राधिकारी की प्रस्तावित परिभाषा से सहमत है: “एस्केडी रूप में किसी व्हील लोडर में मशीन बॉडी/इंजन में लगा चैसिस, ट्रांसमिशन या एकल यूनिट की एक्सेल शामिल हैं जो एक या उससे अधिक अन्य कलपुर्जों में फिट हो या नहीं हो सकते हैं”। प्रस्तावित परिभाषा घरेलू उद्योग सहित विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों सहित व्यक्त विचारों पर आधारित है। महत्वपूर्ण रूप से प्रस्तावित परिभाषा यह सुनिश्चित करती है कि व्हील लोडर के विनिर्माण में प्रयुक्त भाग और कलपुर्जों को अंजाने में पीयूसी के दायरे में शामिल किया गया है।
- xiv. प्राधिकारी ने दोहराया है कि पीसीएन पद्धति को प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना फा. सं. 6/4/2022, दिनांक 17 नवंबर, 2022 के माध्यम से प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप दिया गया था और अधिसूचित पीसीएन पद्धति के आधार पर हितबद्ध पक्षकारों ने प्रश्नावली के उत्तर दिये थे। प्राधिकारी ने नोट किया है कि विशिष्ट समय सीमा की समाप्ति के बाद किये गये अनुरोधों पर प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, प्राधिकारी ने पीसीएन को अंतिम रूप देने के बाद से पहले प्राप्त टिप्पणियों पर ध्यान दिया है।
- xv. बैट्री प्रचालित व्हील लोडर को पीयूसी के दायरे में शामिल करना चाहिए।
- xvi. अंतिम पीसीएन पद्धति उत्पाद के केडब्ल्यू (विद्युत) के आधार पर आयातित और समान वस्तुओं की तुलना की अनुमति देती है।
- xvii. यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि पीसीएन मापदंडों को विभिन्न उत्पाद उप श्रृंखलाओं के बीच उचित कीमत तुलना संभव बनाने के लिए अभिज्ञात किया गया है। अतः पीसीएन तुलना के लिए चयनित कोई मापदंड यह दर्शाने योग्य होना चाहिए और उत्पाद की लागत और कीमत पर वास्तविक प्रभाव को दर्शाने वाला होना चाहिए।
- xviii. मापदंडों की अलग-अलग समग्र कीमत तुलनीयता पर प्रभाव के अनुसार केवल 2.44 प्रतिशत तक पीयूसी की कीमत में अंतर दर्शाने के लिए जांच की गई है।

ट्रांसमिशन, ब्रेक और पंप के आधार पर विभिन्न व्हील लोडर मॉडलों की तुलना					
क्र. सं.	मापदंड	श्रेणी	मॉडल/वेरिएंट	कीमत (आएनआर)	अंतर (आएनआर)
1	ट्रांसमिशन	मैनुअल	एवटेक टी22	***	
		ऑटोमेटिक	4डब्ल्यूजी115	***	***
2	ब्रेक	गीला	एमटी-एल3055	***	
		सूखा		***	***
3	पंप्स	पिस्टन		***	
		गेर		***	***
लागत में कुल अंतर				आईएनआर/यूनिट	***
व्हील लोडर की बिक्री कीमत				आईएनआर/यूनिट	***
बिक्री कीमत की तुलना में लागत में कुल अंतर				%	0-5%

- xix. घरेलू उद्योग प्राधिकारी से बैट्री चालित व्हील लोडर को पीयूसी के दायरे में शामिल करने का अनुरोध करता है।
- xx. प्राधिकारी ने यह सही नोट किया है कि जेसीबी इंडिया लि० पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और 5(3) के अंतर्गत घरेलू उद्योग के रूप में विचार किये जाने का पात्र है। यह भी सही नोट किया गया है कि लियुगांग इंडिया प्रा. लिमिटेड और कैटरपिलर इंडिया प्रा. लिमिटेड चीन के उत्पादक/निर्यातक के साथ अपने संबंध को देखते हुए घरेलू उद्योग के लिए पात्र नहीं हैं।
- xxi. अधिकांश आयात (पीओआई के) पीओआई पूर्व अवधि में हुये हैं जबकि परिणामी बाजार विद्युती, कीमत कटौती और क्षतिकारी प्रभाव केवल पीओआई के दौरान महसूस किया गया था क्योंकि भंडारित आयात कम कीमतों पर घरेलू वाणिज्यिक बाजार में प्रविष्ट होना शुरू हो गया। घरेलू उद्योग प्राधिकारी से यह पता लगाने का अनुरोध करता है कि पाटित आयातों की मात्रा में कमी विकृत है और बाजार की सही स्थिति नहीं दर्शाती है।
- xxii. घरेलू उद्योग अप्रयुक्त क्षमताओं के साथ प्रचालन कर रहा है और यह कि पीयूसी का उत्पादन और बिक्री पूर्ववर्ती और आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में कम हुआ है।
- xxiii. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा तीव्र पाटन के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई है और यह कि लाभप्रदता में भारी गिरवट आई है।
- xxiv. प्राधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि घरेलू उद्योग की मालसूची सत्यापित की गई है और यह कि संगत प्रक्रिया के अनुसार विश्लेषण किया गया है। उसने यह भी देखा है कि घरेलू उद्योग द्वारा छंटनी किये गये 400 कर्मचारियों में से अधिकांश को पुनः नियोजित किया गया है।
- xxv. यह नोट किया गया है कि तीसरे देशों से आयात, निर्यात का निष्पादन और आबद्ध खपत, प्रौद्योगिकी में विकास, कंपनी के अन्य उत्पादों का निष्पादन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं, मांग में संकुचन, घरेलू उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा और मूल्य ह्रास लागत जैसे कारकों की वजह से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।
- xxvi. तकनीकी ज्ञान और अन्य अपेक्षित दस्तावेज/सूचना के प्रावधान की वजह से घरेलू उद्योग को घरेलू बाजार और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) राष्ट्रों में की गई बिक्रियों का एक पूर्व निर्धारित प्रतिशत रॉयल्टी के रूप में भुगतान करना अपेक्षित है। घरेलू उद्योग अनुरोध करता है कि यद्यपि देय रॉयल्टी बिक्री के आधार पर होती है फिर भी वह टीटीए के अनुसार तकनीकी ज्ञान के प्रावधान के लिए देय होती है।
- xxvii. प्राधिकारी ने नोट किया है कि संबद्ध लागत और अलग उत्पाद की कीमत के अनुसार पीसीएन अलग-अलग होता है और इसलिए उन्होंने प्रत्येक पीसीएन के लिए कीमत कटौती पाटन और क्षति आकलन अलग-अलग किया है। उक्त के आलोक में घरेलू उद्योग प्राधिकारी से मूल्यानुसार आधार पर शुल्क की सिफारिश करने का अनुरोध करता है।

अ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- i. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई प्रकटप पश्चात टिप्पणियों/अनुरोधों तथा दोहरावों की जांच की है जिनकी इस अंतिम परिणाम में संगत पैराओं में पहले ही उपयुक्त और पर्याप्त ढंग से की गई है। हितबद्ध पक्षकारों की गई प्रकटन पश्चात टिप्पणियों में पहली बार उठाये गये और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गये मुद्दों की जांच की गई है।
- ii. व्हील लोडर की रेटेड पेलोड क्षमता से संबंधित कतिपय तर्कों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि रेटेड पेलोड क्षमता पीयूसी के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है और इसलिए इसे पीसीएन का एक मापदंड माना गया है। इसके अलावा, वह नोट करते हैं रेटेड पेलोड क्षमता एक स्वघोषित मापदंड है।
- iii. यद्यपि 7000 किलोग्राम की घोषित पेलोड क्षमता वाला व्हील लोडर घोषित पेलोड से अधिक भार उठा सकता है। तथापि, 5585 किलोग्राम और 7000 किलोग्राम रेटेड पेलोड क्षमता वाले व्हील लोडर में प्राधिकारी द्वारा यथा सत्यापित विभिन्न तकनीकी निर्देशन में पर्याप्त अतिव्यापन होता है। 5585 किलोग्राम और 7000 किलोग्राम रेटेड पेलोड क्षमता वाले व्हील लोडर 7000 किलोग्राम के भार को

उठा और प्रचालित कर सकते हैं और उन्हें समान स्थल पर समान कार्य के लिए लगाया जा रहा है। घरेलू उद्योग ने दर्शाया है कि 5585 किलोग्राम और 7000 किलोग्राम के पेलोड क्षमता के व्हील लोडर समान स्थल पर समान बाजार खंड में प्रयोग किये जा रहे हैं। तकनीकी विनिर्देशन अतिव्यापन के अलावा वाणिज्यिक प्रतिस्थापनीयता भी एक ऐसा कारक है जिस पर विचार किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि 7000 किलोग्राम के व्हील लोडर को ऐसी कीमत पर आयात किया जा रहा है जो 5585 किलोग्राम की रेटेड पेलोड क्षमता वाले घरेलू रूप से उत्पादित व्हील लोडरों की घरेलू बिक्री कीमत से कम है। अतः यह स्पष्ट है कि 5585 किलोग्राम की रेटेड पेलोड क्षमता वाले व्हील लोडर तकनीकी, वाणिज्यिक रूप और कार्यात्मक रूप से 7000 किलोग्राम रेटेड पेलोड क्षमता वाले व्हील लोडरों से प्रतिस्थापनीय हैं। किसी भी तरह प्राधिकारी दोहराते हैं कि आयातित और समान उत्पाद को बिल्कुल समान होना अपेक्षित नहीं है। जबकि एक दूसरे के समान होना आवश्यक है।

- iv. इस तर्क के संबंध में कि 5585 किलोग्राम की रेटेड पेलोड क्षमता के व्हील लोडर 7000 किलोग्राम के भार को उठा सकते हैं और प्रचालित कर सकते हैं, प्राधिकारी संमति करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा ध्यान दिलाया गया प्रावधान निर्माण उपकरण वाहनों जैसे व्हील लोडर पर लागू नहीं होते हैं। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पंजीकरण प्रमाण पत्र में लादे गये भार संबंधी कोई विनिर्देशन/मापदंड शामिल नहीं हैं और इसलिए हितबद्ध पक्षकारों की दलील सही नहीं है।
- v. कैटरपिलर को पीसीएन पद्धति पर अपनी टिप्पणियां देने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलने के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरूआत अधिसूचना भारत के सरकारी ई-राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को इसकी पहुँच उपलब्ध थी। इसके अलावा, संगत दूतावास को पाटनरोधीन नियमावली के अनुसार सूचित किया गया था। जांच शुरूआत अधिसूचना से हितबद्ध पक्षकारों को जांच शुरूआत से तीस दिनों के भीतर रिकार्ड में प्रस्तावित पीसीएन पद्धति संबंधी अपनी टिप्पणी देने के अनुमति थी। उक्त के आलोक में प्राधिकारी पाते हैं कि पीसीएन पद्धति संबंधी आपत्तियों को दर्ज कराने का पर्याप्त अवसर नहीं दिये जाने संबंधी कैटरपिलर की दलील निराधार है।
- vi. कतिपय हितबद्ध पक्षकारों ने विहित समय सीमा के भीतर प्रस्तावित पीसीएन पद्धति संबंधी टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं। ऐसी टिप्पणियों को पर्याप्त रूप से समझने और समाधान करने के लिए प्राधिकारी ने 3 नवंबर, 2022 को संबद्ध जांच में पीसीएन पद्धति को शामिल करने संबंधी एक चर्चा आयोजित की थी। हितबद्ध पक्षकारों को पीसीएन पद्धति संबंधी अपनी टिप्पणियां देने के लिए 7 नवंबर, 2022 तक का समय बढ़ाया गया था। पत्राचार के संबंध में कैटरपिलर प्राधिकारी द्वारा जारी सूची के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रस्तावित पीसीएन पद्धति परिचालित करने में विफल रहा जिससे हितबद्ध पक्षकारों को समीक्षा करने और अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अवसर मिल पाता। तदनुसार, प्राधिकारी ने केवल उन हितबद्ध पक्षकारों को अनुमति दी है जिन्होंने विहित समय सीमा के भीतर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं और चर्चा में उपस्थित रहने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपनी टिप्पणियां परिचालित की हैं। विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों और अनुरोधों पर आवश्यक विचार करने के बाद पीसीएन का अधिसूचना फा. सं. 6/4/022, दिनांक 17 नवंबर, 2022 के द्वारा इसे अंतिम रूप दिया था।
- vii. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोई पाटनरोधी जांच एक समयबद्ध प्रक्रिया है और विशिष्ट समय सीमा के बीत जाने के बाद किये गये अनुरोध पर ध्यान देना अपेक्षित नहीं है। फिर भी प्राधिकारी ने वर्तमान अंतिम जांच परिणाम के संगत खंड में पीसीएन पद्धति संबंधी अतिरिक्त टिप्पणियों पर ध्यान दिया है।
- viii. प्राधिकारी दोहराते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि ये अतिरिक्त मापदंड पीयूसी की कीमत तुलना में उल्लेखनीय अंतर करते हैं जिससे जांच के इस स्तर पर भी अलग पीसीएन मापदंड आवश्यक हो जाता है। दूसरे शब्दों में यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि पीसीएन में इन मापदंडों के अभाव से पाटन या क्षति का आकलन विकृत हो जाएगा। दूसरी ओर घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए संगत आंकड़े प्रस्तुत किये हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सुझाये गये इन संयुक्त अतिरिक्त मापदंडों के आधार पर व्हील लोडर की लागत में अंतर कुछ खास नहीं है। तदनुसार, हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की जांच के बाद प्राधिकारी पीसीएन पद्धति में सुधार करना उचित नहीं मानते हैं।

- ix. एसकेडी रूप में पीयूसी की परिभाषा के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्हें उनके द्वारा प्रस्तावित परिभाषा संबंधी कोई बड़ी टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। वह यह भी देखते हैं कि सीकेडी रूप में व्हील लोडर को परिभाषित करने की ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है क्योंकि सीबीयू और एसकेडी (यथा परिभाषित) रूप में उनसे अलग सभी व्हील लोडर इस जांच के दायरे के भीतर शामिल नहीं हैं।
- x. घरेलू उद्योग की स्थिति से संबंधित अनुरोधों के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि लियुगांग इंडिया और कैटरपिलर इंडिया लियुगांग इंडिया दोनों घरेलू उत्पादक हैं परंतु पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग के रूप में पात्र नहीं हैं। उनके संबंधित निर्यातकों द्वारा किये गये निर्यातों के आकलन से पता चलता है कि ऐसे निर्यात काफी अधिक हैं और क्षति अवधि में ये काफी अधिक बने रहे हैं। वर्तमान जांच की विचित्र परिस्थितियों को देखते हुए प्राधिकारी ने इस बात की समग्र जांच के लिए क्षति अवधि में भी संबंधित निर्यातकों द्वारा निर्यातों का आकलन किया है कि क्या घरेलू उत्पादकों और निर्यातकों के बीच संबंध उन्हें पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग होने से अपात्र बनाता है। उल्लेखनीय है कि पीओआई के दौरान लियुगांग इंडिया द्वारा बिक्रियों का 30 प्रतिशत से अधिक व्हील लोडर के रूप में था जिन्हें पीओआई से पहले आयातित किया गया था।
- xi. इस तर्क के संबंध में क्रिएटिव मैनुफैक्चरिंग सॉल्यूशंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (सीएमएस) को पात्र घरेलू उद्योग माना जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सीएमएस कैटरपिलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कैटरपिलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए एक जॉब वर्कर है और जॉब वर्कर को पाटनरोधी जांच के लिए घरेलू उत्पादक नहीं माना जा सकता है। किसी भी तरह यह नोट कि जाए कि कैटरपिलर इंडिया प्रा० लि० को घरेलू उत्पादक माना गया तो जो पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग नहीं है।
- xii. विभिन्न आर्थिक मापदंडों में सुधार के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी आर्थिक मापदंडों के खराब होने प्राधिकारी के लिए यह ज्ञात करने के लिए आवश्यक नहीं है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से क्षति हुई है।
- xiii. मांग में गिरावट के कारण घरेलू उद्योग को हो रही क्षति के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को तब सर्वाधिक घाटा हुआ है जब पीयूसी की मांग सापेक्ष रूप से अधिक थी। अतः हितबद्ध पक्षकार मांग में गिरावट और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध साबित करने में विफल रहे हैं।
- xiv. उत्सर्जन मानकों में परिवर्तन के कारण घरेलू उद्योग को हो रही क्षति के बारे में प्राधिकारी दोहराते हैं कि घरेलू उद्योग ने यह दर्शाया है कि उसे मौके पर सत्यापन के दौरान ऐसे किसी परिवर्तन की वजह से कोई क्षति नहीं हुई है।
- xv. एनआईपी की गणना के संबंध में दावों के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि एनआईपी के पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर परिकलित किया गया है।
- xvi. एनआईपी की गणना के लिए तकनीकी जानकारी के लिए भुगतान की गई रॉयल्टी की अस्वीकृति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुति के संबंध में, इसे एडीडी नियम, 1995 के अनुबंध-III और प्राधिकरण के निरंतर अभ्यास के अनुसार अस्वीकार कर दिया गया है। घरेलू उद्योग से यह स्थापित करने के लिए रॉयल्टी समझौते की प्रति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था कि क्या रॉयल्टी व्यय विचाराधीन उत्पाद की तकनीकी जानकारी के लिए किया गया है। हालाँकि, यह प्राधिकरण को उपलब्ध नहीं कराया गया था। यह भी नोट किया गया कि रॉयल्टी का भुगतान संबंधित पार्टी को बिक्री के निर्दिष्ट प्रतिशत पर किया गया था। चूंकि घरेलू उद्योग ने पूरी तरह से सहयोग नहीं किया है, एनआईपी की गणना सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और एडीडी नियमों के नियम 6(8) के अनुसार की गई है।
- xvii. एनआईपी की गणना के लिए नियोजित पूंजी पर 22% रिटर्न के संबंध में इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए अनुरोध के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि एनआईपी की गणना एंटी-डंपिंग नियमों के अनुबंध III और प्राधिकरण के निरंतर अभ्यास के अनुसार की गई है।

ट. भारतीय उद्योग के मुद्दे

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

- i. इसके संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

- ii. पाटनरोधी शुल्क लागू करना प्रयोक्ताओं के लिए हानिकारक और जनहित के विरुद्ध होगा, क्योंकि व्हील लोडर का प्रयोग खनन, पत्तन प्रचालन, सड़क निर्माण आदि में होता है।
- iii. पत्तन पर किये जाने वाले प्रचालन जैसे बल्क सामग्री/कारगो हैंडलिंग में व्हील लोडर के लिए अपना काम समयबद्ध ढंग से करना अपेक्षित है। यदि व्हील लोडर पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तो उससे पूंजी लागत बढ़ जाएगी जिससे कार्य को पूरा करने के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा कम संख्या में व्हील लोडर तैनात किये जाएंगे। इस प्रकार सेवा प्रदाता व्यवसाय अव्यवहार्य हो जाएगा।
- iv. इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्क के वृद्धिकारी प्रभाव से अंतिम प्रयोक्ताओं तक पत्तन क्षेत्र से सामग्री के आवागमन पर प्रभाव पड़ सकता है। इससे बर्फ पर वैसल के मोड़ने का समय प्रभावित होगा जिससे काफी व्यय और अन्य पत्तन संभलाई प्रभाव लग जाएंगे।
- v. इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्क लगाने से सरकारी राजकोष पर अतिरिक्त बहिरवाह/नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और कोयले की अधिक कीमत और विद्युत (थर्मल पावर प्लांट), इस्पात आदि जैसे डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोगों की बढ़ी हुई कीमत के रूप में सरकारी वित्तपोषित संस्थान प्रभावित हो सकते हैं।
- vi. व्हील लोडर कोयला खनन सहित विभिन्न खनन प्रचालनों के अनेक स्तरों में योगदान देते हैं। खनन प्रचालनों के व्यापक स्तर अधिक बोझ को हटाना, ब्लॉस्टिक, स्टॉक पाइलिंग, परिवहन होते हैं। व्हील लोडर का अधिकांशतः प्रयोग स्टॉक पाइलिंग और परिवहन कार्यकलापों में होता है। व्हील लोडर की ऑन रोड कीमत में वृद्धि से अंतिम प्रयोक्ताओं के लिए मशीनों की स्वामित्व की सामग्र लागत पर प्रभाव पड़ेगा। अंतिम प्रयोक्ता विशेष रूप से ऐसी कंपनियां हैं जो ऐसे कार्यकलापों में ठेकेदार के रूप में शामिल हैं। स्वामित्व की लागत पर प्रभाव निम्नलिखित उत्तरदायी कारणों की वजह से पड़ सकता है:
 - ऋणों की सर्विसिंग – डाउनपेमेंट, ईएमआई
 - संसाधन और क्षमता अवरोध
 - अतिरिक्त प्रचालन और रख-रखाव लागत
 - संविदा कीमतें आमतौर पर गैर परक्राम्य होती हैं – दीर्घावधिक संविदाएं
 - वित्तीय संस्थानों के ईको सिस्टम पर वृद्धिकारी प्रभाव से ऋण चुकाने में गलती या एनपीए भी हो सकते हैं।
 - कोयला लोडिंग निविदाओं के लिए यह बोली लगाने में ठेकेदारों हेतु एक प्रवेश अवरोध के रूप में कार्य करेगा।
- vii. मौजूदा दर पर ठेकेदार घाटे में चला जाएगा और उसके प्रचालन अव्यवहार्य हो जाएंगे। *** प्रतिशत की दर से शुल्क लगाने से ठेकेदार की लाभप्रदता पर *** प्रतिशत तक जबकि 40 प्रतिशत शुल्क से *** प्रतिशत तक की गिरावट आएगी।
- viii. मौजदा विनिमय दर के अनुसार भारतीय रुपये की दृष्टि से शुल्क का प्रभाव लगभग ***/यूनिट है। लोडर के औसत उपयोगी जीवन को 7-8 वर्ष मानने पर डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर शुल्क का प्रभाव काफी अधिक है अर्थात् *** से ***आएनआर प्रति वर्ष है। (वित्त लागत और करों को छोड़कर)

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

146. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

- i. वर्तमान जांच में जनहित संबंधी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इसकी प्रयोक्ता ने वर्तमान जांच में भागीदारी नहीं की है। इसके अतिरिक्त लियुगांग इंडिया को छोड़कर किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने आर्थिक हित प्रश्नावली भी प्रस्तुत नहीं की है। उल्लेखनीय है कि लियुगांग द्वारा भी किसी जनहित के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिलाया गया है। अतः किसी हितबद्ध पक्षकार के लिए इस समय जनहित का मुद्दा लाना संभव नहीं है।

- ii. व्हील लोडर माइनिंग और पत्तन पर समग्र निवेश का काफी छोटे हिस्से होते हैं और इसलिए बड़े हुये शुल्क का प्रभाव और भी नगण्य होगा।
- iii. पीयूसी को अनेक उद्योगों और क्षेत्रों में प्रयोग करने के कारण प्रभाव पड़ेगा। पीयूसी का अनुप्रयोग आमतौर पर क्वेजी / क्रसर, बड़े पैमाने पर निर्माण, अवसरचन परियोजनाओं, खनन, पत्तन और अन्य उद्योगों में होता है। अतः डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोगों पर शुल्कों का प्रभाव ऐसी परियोजनाओं के पैमाने और आकार के अनुसार अलग-अलग होगा जिनमें पीयूसी तैनात है।
- iv. पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को प्रति यूनिट आधार पर परिकलित नहीं किया जा सकता है। इसे प्रति टन लागत आधार पर परिकलित किया जाना चाहिए।
- v. क्रसर के प्रचालन पर 20 प्रतिशत शुल्क लगाने से केवल लगभग 0.4 प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। वर्ष 2020 के लिए ऑफ – हाइवे शोध रिपोर्ट के अनुसार क्रसर उद्योग (या क्वेरी उद्योग) सबसे बड़ा खंड है और पीयूसी की कुल मांग से लगभग 43 प्रतिशत को दर्शाता है।
- vi. शेष खंडों जैसे खनन, सड़क और निर्माण, पत्तन और अन्य उद्योगों के लिए व्हील लोडर समग्र निवेश का काफी छोटा हिस्सा है और इसलिए बड़े हुये शुल्क का प्रभाव और अधिक नगण्य होगा।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- i. आरंभ में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीयूसी के किसी भी प्रयोक्ता ने संगत प्रयोक्ता/आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर देकर, मौखिक सुनवाई में भाग लेकर या कोई अनुरोध प्रस्तुत करके वर्तमान जांच में सहयोग नहीं किया है। इसके आधार पर रिकार्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं रखा गया है जो यह संकेत करता हो कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से पीयूसी के प्रयोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- ii. आर्थिक हित प्रश्नावली केवल लियुगांग इंडिया और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई है। लियुगांग इंडिया ने जनहित से संबंधित कोई चिंता नहीं जताई है। तथापि, घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए विस्तृत परिकलन प्रस्तुत किये हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से प्रयोक्ता उद्योग पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा।
- iii. एक आयातक मेसर्स गेनवेल कमोसेल्स प्रा. लिमिटेड ने भी इस दावे के लिए गणनाएं प्रस्तुत की हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से प्रयोक्ता उद्योग पर काफी अधिक प्रभाव पड़ेगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि गेनवेल कमोसेल्स ने प्रचालक स्तर (प्रायः हायर परचेजर) पर गणनाएं प्रस्तुत की हैं और घरेलू उद्योग द्वारा यथा प्रस्तुत खनन या पत्तन प्रचालनों के लागत प्रचालनों पर प्रस्तुत नहीं की हैं। इसके अलावा, गेनवेल ने सूचना का स्रोत जैसे व्हील लोडर की कार्य अवधि, विचारित ब्याज लागत, ईंधन खपत मानक, डीजल की कीमतों आदि जैसी शुल्क के अंतिम प्रयोक्ता पर प्रभाव, यदि कोई हो, को ज्ञात करने वाली सूचना प्रस्तुत नहीं की है। गेनवेल कमोसेल्स ने अनुरोध किया है कि वह जांच के इस स्तर पर प्राधिकारी को गोपनीय आधार पर विस्तृत गणनाएं प्रदान कर सकता है। यह समझना चाहिए कि पाटनरोधी जांच समयबद्ध प्रक्रिया होती है और इस स्तर पर किसी नयी सूचना पर प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
- iv. तदनुसार, प्राधिकारी ने 7 वर्षों के दौरान स्वामित्व की लागत और अन्य वार्षिक लागतों (जैसे कर्मचारी, मरम्मत, रख-रखाव, ईंधन) के लिए आवंटन किया है। यह पाया गया था कि व्हील लोडर पर 20-40 प्रतिशत शुल्क का प्रभाव ठेकेदार (हायर परचेजर) के लिए नगण्य है।
- v. दरअसल, प्राधिकारी नोट करते हैं कि व्यापार उपचार उपायों का उद्देश्य संबद्ध वस्तु के अनुचित आयातों के विरुद्ध समुचित शुल्क लगाकर घरेलू उत्पादकों के लिए समान अवसर की प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करके घरेलू बाजार में समान प्रतिस्पर्धा बहाल करना है। इसी के साथ प्राधिकारी इस तथ्य को भी जानते हैं कि ऐसे शुल्कों का प्रभाव केवल पीयूसी के घरेलू उत्पादकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे पीयूसी के प्रयोक्त तथा उपभोक्ता भी प्रभावित होते हैं। इसके अलावा, शुल्क लागू होने से देश के भीतर प्रतिस्पर्धा संबंधी समस्याएं आ सकती हैं।

ठ. निष्कर्ष

147. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाये गये मुद्दों और किये गये अनुरोधों तथा इस जांच परिणाम में दर्ज किये गये अनुसार प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराये गये तथ्यों की जांच करने के बाद प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि :

- i. संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित वस्तु एडी नियमावली 1995 के नियम 3(घ) के अनुसार एक दूसरे के समान वस्तु हैं।
- ii. घरेलू उद्योग एडी नियमावली 1995 के नियम 2(ख) के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करता है और आवेदन एडी नियमावली 1995 के नियम 5(3) की स्थिति संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है।
- iii. आवेदन में ऐसी सभी सूचना शामिल है जो एडी नियमावली 1995 के नियम 5(2) के अनुसार पाटनरोधी जांच की शुरूआत के लिए संगत और आवश्यक साक्ष्य हैं जो एडी नियमावली 1995 के नियम 5(3) के अनुसार पाटन और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के निर्धारण के लिए वर्तमान जांच की शुरूआत हो, न्यायसंगत ठहराते हैं।
- iv. संबद्ध देश से पीयूसी के आयात पाटित कीमतों पर हुए हैं।
- v. घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के पाटन के कारण वास्तविक क्षति उठानी पड़ी है।
- vi. जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से डंप किए गए आयातों में पूर्ण और सापेक्ष दोनों दृष्टियों से गिरावट आई है। हालांकि, आधार वर्ष 2018-19 की तुलना में 2020-21 में आयात बढ़ा है। हो सकता है कि ये आयात जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में बेचे गए हों, जिससे जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को नुकसान हुआ हो। .
- vii. डंप किए गए आयातों के लिए गणना की गई कीमत कटौती जांच अवधि के दौरान सकारात्मक और उच्च है।
- viii. संबद्ध आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत से कम रही है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत को उस दर पर बढ़ाने में असमर्थ था जिस दर पर पीओआई के दौरान बिक्री की लागत में वृद्धि हुई थी।
- ix. पीयूसी के लिए उत्पादन और घरेलू बिक्री में पिछले वर्ष और आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में गिरावट आई है।
- x. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में काफी गिरावट आई है, और घरेलू उद्योग को घाटा हो रहा है। घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित रिटर्न नकारात्मक है।
- xi. घरेलू उद्योग की वृद्धि जांच अवधि में सभी मापदंडों पर नकारात्मक रही है।
- xii. यह वास्तविक क्षति संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण हुई है और ऐसे कोई अन्य कारक नहीं हैं जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हों।

ड. सिफारिशें

148. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई और सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित की गई तथा घरेलू उद्योग, अन्य घरेलू उत्पादकों, संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के उत्पादकों/निर्यातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन क्षति और कारणात्मक संबंध से संबंधित सूचना प्रदान करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार जांच शुरू करने और पाटनरोधी नियमावली के नियम 17(1)(क) के अंतर्गत यथा अपेक्षित पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 के अनुसार जांच करने के बाद और संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति सिद्ध करने के बाद प्राधिकारी संबद्ध देश से संबद्ध आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।
149. विचाराधीन उत्पाद की प्रकृति और बड़ी संख्या में शामिल पीसीएन को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण का मानना है कि विषय वस्तु के आयात मूल्य के सीआईएफ मूल्य के प्रतिशत के रूप में एंटी-डंपिंग शुल्क की सिफारिश करना उचित होगा।
150. इसके अलावा, एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 17 (1) (बी) में बताए गए कम शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण डंपिंग के मार्जिन या मार्जिन के कम के बराबर निश्चित एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश करता है। चोट, केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी होने की तारीख से, ताकि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाए गए सीआईएफ मूल्य के

प्रतिशत के बराबर राशि के बराबर निश्चित एंटी-डंपिंग शुल्क केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पाँच (5) वर्ष अवधि के लिए लगाए जाने की सिफारिश की जाती है-

शुल्क तालिका

क्र. सं.	सीमा शुल्क टैरिफ लाइन	वस्तुओं का विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	शुल्क (यूएस\$ में सीआईएफ मूल्य का %)
1	2	3	4	5	6	7
1	84295900 और 84295100	व्हील लोडर्स*	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई	गुआंगशी लियुगांग मशीनरी कंपनी लिमिटेड	55.18%
2	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई	कैटरपिलर (किंगडो) कंपनी लिमिटेड	18.84%
3	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई	कैटरपिलर (सुडो) कंपनी लिमिटेड	18.84%
4	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई	लिबेरर मशीनरी (डालियान) कंपनी लिमिटेड	शून्य
5	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई	शानडांग लिंगांग कंस्ट्रक्शन मशीनरी कंपनी लिमिटेड ("एसडीएलजी")	34.74%
6	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई	मैसर्स एक्ससीएमजी कंस्ट्रक्शन मशीनरी कंपनी लिमिटेड	77.68%
7	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई	कोई अन्य उत्पादक	82.71%

*"व्हील लोडर एक स्वप्रचालित व्हील माउंटेड उपकरण है जिसमें एक आर्टिकुलेशन जोड़ होता है जिसमें फ्रंट एंड लोडिंग तंत्र होता है।

पूरी तरह निर्मित इकाई (सीडीयू) या सेमी नॉकड डाउन एसकेडी के रूप में आयातित व्हील लोडर जांच के दायरे में शामिल हैं। तथापि, कंपलीटली नॉकड डाउन (सीकेडी) या कलपुर्जे के रूप में व्हील लोडर के आयात जांच के दायरे से बाहर हैं।

इस सिफारिश के प्रयोजनार्थ एसकेडी रूप में किसी भी लोडर में इंजन, ट्रांसमिशन के साथ फिट मशीन बॉडी/चेसिस, या एक सिंग यूनिट में एक्सेल शामिल है जिसे एक या उससे अधिक अन्य घटकों के साथ फिट किया अथवा नहीं किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण: यदि चेसिस / मशीन बॉडी को इंजन, ट्रांसमिशन या उसमें लगे एक्सेल के बिना आयात किया जाता है तो उसमें कोई पाटनरोधी शुल्क देय नहीं होगा।

निम्नलिखित उत्पाद जांच के दायरे से बाहर हैं:

151. निम्नलिखित विनिर्देशन के व्हील लोडर जांच के दायरे से बाहर रखे जाने हैं:

- (क) 7000 किलोग्राम से अधिक रेटेड पेलोड क्षमता और
- (ख) 180 किलोवाट से अधिक क्लास इंजन पॉवर और
- (ग) राइट और लेफ्ट व्हील (व्हील ट्रीट / ट्रैक) के बीच केंद्र से मापित दूरी 2280 मिलीमीटर से अधिक; और
- (घ) अगले और पिछले पहिये के एक्सेल (व्हील बेस) के बीच मापित दूरी 3350 मिलीमीटर से अधिक।
- उक्त सभी मापदंड "और" शर्तें हैं दूसरे शब्दों में किसी उत्पाद को पीयूसी के दायरे से केवल तभी बाहर किया गया है यदि वह उक्त सभी शर्तों को एक साथ पूरा करें।
- (ड) पूर्णतः ताकड़ डाउन (सीकेडी) या घटक रूप में व्हील लोडर जांच के दायरे से बाहर हैं।
- (च) बैट्री प्रचालित व्हील लोडर भी जांच के दायरे से बाहर हैं।

ढ. आगे की प्रक्रिया

152. प्राधिकारी की सिफारिश के विरुद्ध कोई अपील सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 29th September, 2023

Case No. AD(OI) –04/2022

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of "Wheel Loaders" originating in or exported from China PR.

F. No. 6/4/2022-DGTR.—1. Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time ("AD Rules, 1995");

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. M/s JCB India Limited (hereinafter referred to as the "domestic industry") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority"), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 (hereinafter referred to as the "Customs Tariff Act") and the AD Rules, 1995 for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of the "wheel loaders" ("product under consideration", or the "subject goods" or "wheel loaders") originating in or exported from China PR. ("subject country").
2. The Authority, on the basis of sufficient *prima facie* evidence submitted by the applicant, issued a public notice vide Notification No. 6/4/2022-DGTR dated September 30, 2022, published in the Gazette of India, initiating the subject investigation in accordance with Section 9A of the Customs Tariff Act read with Rule 5 of the AD Rules, 1995 to determine the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duties, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The following procedure has been followed with regard to this investigation:
 - i. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the AD Rules, 1995.

- ii. The Authority issued a public notice dated September 30, 2022, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject country.
- iii. The Authority sent a copy of the initiation notification on October 4, 2022, to the Embassy of the subject country in India, the known producers and exporters from the subject country, the known importers/users of the subject imports and other interested parties, as per the information provided by the applicant. The interested parties were requested to provide relevant information in the form and manner prescribed in the initiation notification and to make their submissions known in writing within the time limit prescribed by the initiation notification.
- iv. The Authority also provided a copy of the non-confidential version of the application filed by the applicant to the known producers/exporters, known importers/users and to the Embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules, 1995 through its email dated October 4, 2022.
- v. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from their country to submit their responses to the questionnaire within the time limit prescribed by the initiation notification. The Embassy of the subject country was also sent a copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters along with the names and addresses of the known producers /exporters from the subject country.
- vi. The Authority issued Economic Interest Questionnaire to the Chinese Embassy, all the known exporters, importers and the domestic industry. The Economic Interest Questionnaire was also shared with the Administrative Line Ministry.
- vii. The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in the subject country in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules, 1995:
 - i Guangxi LiuGong Machinery Co. Ltd.
 - ii Shandong Lingong Construction Machinery Co. Ltd.
 - iii Caterpillar (Qingzhou) Ltd.
 - iv Liebherr Machinery (Dalian) Co., Ltd.
 - v Volvo Construction Equipment China
 - vi Lonking International
- viii. On November 3, 2022, the Authority conducted a discussion on the methodology to be adopted for Product Control Numbers (“PCN”) in the subject investigation. Interested parties were provided time until November 7, 2022, to file their comments on the PCN methodology.
- ix. Accordingly, the Authority finalized the PCN methodology in the subject investigation *vide* notification dated November 17, 2022. Upon the request of the exporters, the Authority granted an extension of two weeks to file the questionnaire responses. Thereafter, interested parties were provided time until December 2, 2022, to file a response to the questionnaires circulated by the Authority.
- x. In response to the above notification, the following producers/ exporters from the subject country have submitted the exporter questionnaire response:
 - i Liebherr Machinery (Dailian) Co. Ltd. (“Liebherr Dailian”)
 - ii Liebherr (China) Co. Ltd. (“Liebherr China”)
 - iii Liebherr Export AG (“Liebherr Switzerland”)
 - iv Liebherr Werk-Bischofshofen GmbH (“Liebherr Austria”)
 - v XCMG Construction Machinery Co., Ltd. Technology Branch,
 - vi Xuzhou Construction Machinery Group Import and Export Co., Ltd.
 - vii Shandong Lingong Construction Machinery Co., Ltd.
 - viii Caterpillar (Qingzhou) Ltd.
 - ix Caterpillar (Suzhou) Co. Ltd.
 - x Caterpillar Inc.

- xi Caterpillar SARL Singapore Branch
- xii Guangxi LiuGong Machinery Co. Ltd.
- xi. The producers/exporters from the subject country who have not submitted the questionnaire response or have not cooperated in the investigation have been treated as non-cooperative in the investigation.
- xii. The Authority also sent questionnaires to the known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules, 1995.
- xiii. The following importers/users submitted the importer/user questionnaire responses:
 - i Liebherr India Private Limited (“Liebherr India”)
 - ii Schwing Stetter (India) Pvt Ltd
 - iii Volvo CE India Private Limited
 - iv LiuGong India Pvt. Ltd.
 - v Gainwell Commosales Pvt. Ltd.
 - vi GMMCO Ltd.
- xiv. Additionally, an association from China PR, namely, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (“CCCME”) participated in the investigation.
- xv. The Directorate General of Systems & Data Management (DG Systems) was requested to provide transaction-wise details of the imports of the subject goods for the injury period and the period of investigation. The same was received by the Authority and considered at the stage of initiation of the investigation as well as for the present final findings.
- xvi. In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, 1995 the Authority provided an opportunity to the interested parties for presenting their views orally regarding the subject investigation through a public hearing held in hybrid mode, on April 6, 2023. The interested parties who presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any. The interested parties were further directed to share the non-confidential version of the written submissions submitted by them with the other interested parties.
- xvii. The non-injurious price (hereinafter referred to as the ‘NIP’) has been determined based on the cost of production and reasonable return on capital employed for the subject goods in India, based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the AD Rules, 1995 so as to ascertain whether anti-dumping duties lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- xviii. The information submitted by the domestic industry has been examined and verified during on site-verification to the extent deemed necessary and has been relied upon for the present final findings.
- xix. The examination and verification of the information submitted by the cooperating producers/exporters from the subject country was also carried out to the extent deemed necessary and have been relied upon for the purpose of the present final findings .
- xx. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is April 1, 2021 – March 31, 2022. The injury period for the present investigation is 1st April 2018 – 31st March 2019, 1st April 2019 – 31st March 2020, 1st April 2020 – 31st March 2021 and the POI.
- xxi. The Authority made available the non-confidential version of the evidence presented by various interested parties on mutual basis in the manner prescribed through Trade Notice no. 01/2020 dated 10th April 2020. The information/submissions provided by the interested parties on a confidential basis were examined concerning the sufficiency of such confidentiality claims. On being satisfied concerning the sufficiency of the confidentiality claims filed by the interested parties, the Authority has considered such information/submissions as confidential. In case of non-acceptance of confidentiality claims, the interested parties were directed to submit the non-confidential version of the same and circulate it to the other interested parties.
- xxii. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties at this stage, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation.
- xxiii. “***” in these disclosure statement represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under Rule 7 of AD Rules, 1995.

xxiv. The exchange rate for the POI adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US \$= Rs. 75.26.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1 Submissions Made By The Other Interested Parties (Exporters, Importers And Users)

4. The other interested parties have made the following submissions with respect to the product under consideration:

- a. It is the consistent practice of the Authority to exclude those products from the scope of the PUC that are not produced by the domestic industry and/or not imported into India.
- b. The domestic industry does not produce wheel loaders of rated payload of 7,000 KG.
- c. Wheel loaders with a rated payload of 7,000 KG is used in specific industries like mining and shipping ports. Due to limited domestic demand, it is not commercially viable to produce them in India. The few interested parties have imported wheel loaders with a payload rating of 7,000 KG from China, as they are not manufactured domestically in India.
- d. The diesel engine wheel loaders with a capacity of 7,000 KG have different technical specifications compared to domestically produced wheel loaders with a payload of 5,500 KG. Replacing 7,000 KG wheel loaders with 5,500 KG wheel loaders would result in inefficiencies and adverse consequences in terms of cycle time, fuel consumption, site efficiency, allied machinery efficiency, safety concerns, productivity, and maintenance cost. The 7,000 KG wheel loaders are used for bulk loading within a limited time frame, achieving higher material movement with lower fuel consumption compared to the 5,500 KG wheel loaders. There is no possibility of circumvention of anti-dumping duty by importing 7,000 KG wheel loaders.
- e. If a lower-rated capacity wheel loader could realistically substitute a higher-rated payload wheel loader, the market would only have one type of rated payload capacity. Consumers would have rejected the higher-rated wheel loaders if the lower-rated ones could perform the same tasks.
- f. The domestic industry has not provided clear information about the difference between "theoretical payload" and "rated payload" or disclosed these specifications in their product brochure.
- g. Some interested parties have argued that the petition does not categorically state that any of the domestic industry's products have any patents and registered design, either of themselves or their supporters or of their importers and exporters. In this regard, it has been argued that in the past, products have been excluded from the scope of the PUC only because the same was patented.
- h. The domestic industry has itself submitted that wheel loader with rated payload of more than 7000 Kg should be excluded from the scope of the PUC and has thereby accepted that wheel loaders with more than 7000 Kg are not substitutable with wheel loader with rated payload of 5585 Kg produced by the domestic industry.
- i. The fact that JCB is producing wheel loader of rated capacity of 3650 Kg as well as 3350 Kg, itself shows that precise rated payload capacity is an important parameter and even a variation of 300 Kg can result in a separate category of wheel loader and can be a determinative factor for the users.
- j. Certain interested parties have objected to the concurrent (or 'and') conditions for exclusion. It has been argued that the additional conditions for exclusion along with the rated payload, may inadvertently include wheel loaders with a rated payload of 7,000 KG and above within the scope of the product under consideration (PUC), even though they are not produced by the applicant.
- k. No third party has specified that wheel loaders with a payload over 7,000 KG must have certain specifications such as engine power, wheel tread, and wheel-base. Accepting these conditions as necessary for excluding wheel loaders creates a mandatory product standard and an artificial distinction between Loaders with a payload over 7,000 KG.
- l. It is difficult for customs authorities to determine if imported wheel loaders in a semi-knocked down condition fulfil the additional conditions regarding wheel base, wheel tread, and engine power.
- m. The applicant does not produce electrical wheel loaders (battery operated). Electrical wheel loaders have not been imported into India during the POI.
- n. Electrical wheel loaders have limitations in terms of geographical locations, extreme temperatures, and charging requirements, which may affect uninterrupted productivity.

- o. Electrical wheel loaders lack the necessary legal framework and certification for registration with the Road Transport Office (RTO) and cannot be used on roads, unlike diesel engine wheel loaders.
- p. The purchase cost of electrical wheel loaders is approximately three times higher than that of diesel engine wheel loaders, and they contribute to reduced carbon footprints and noise pollution compared to their diesel counterparts. Failure to exclude electrical wheel loaders would discourage the use of emission-free electric alternatives, even when they are suitable for specific applications.
- q. Electrical wheel loaders have a different production process, technology, parts, and specifications compared to diesel engine wheel loaders, resulting in lower emissions and noise. Electrical wheel loaders require specific infrastructure like charging stations and adequate electricity supply, while diesel engine wheel loaders do not.
- r. Ministry of Road Transport and Highways is the leading user of wheel loaders for infrastructure/construction purposes and promotes environmentally friendly solutions such as battery-operated wheel loaders. The Ministry of Power in consultation with NITI Aayog is also promoting electric vehicles and has introduced guidelines for charging infrastructure for electric vehicles.
- s. The initiation notification as well as PCN notification categorizes the product based on engine power (only wheel loaders powered by the engine are considered). In battery-operated wheel loaders, there is no engine to power the loader. Thus, non-fossil fuel-based wheel loaders like battery-operated electric wheel loaders are inherently different product categories altogether.
- t. Guangxi Liugong Machinery has produced and sold electrical wheel loader during the POI.
- u. The scope of the PUC does not include parts and components of wheel loaders. It is unclear whether semi-knocked down (SKD) or completely knocked down (CKD) forms are included within the scope of the PUC.
- v. The domestic industry claimed to have categorized imports in the PUC or non-PUC without any explanation on the identification and quantification of wheel loaders in SKD form and CKD form.
- w. It is suggested that wheel loaders in SKD (semi-knocked down) form should be defined as consisting of the machine body or chassis (including the engine, gear box, frame, and axle) assembled with certain separately imported items. These items include the bucket, cabin, tool kit, mufflers, handrails, and ladders.
- x. CKD refers to a product that has been completely disassembled form. In effect, the product in SKD and CKD are the same product and the difference is merely the level of assembly. Therefore, there is no clarity on the exclusion of wheel loaders in CKD form from the import data.
- y. There is no investigation till date wherein the PUC in SKD form has been included and the PUC in CKD form is excluded from the PUC.
- z. There is strong apprehension that the domestic industry has imported the PUC in CKD form and excluded wheel loaders in CKD form only to become eligible as the “domestic industry”.
- aa. The wheel loader imported in SKD form undergoes substantial value addition for assembling as a completely built unit. It requires value addition on account of assembling, skilled manpower, energy consumption, quality control/testing, sales, and distribution, amongst others. In addition, CBU (complete built unit) and SKD differ in terms of transportation costs, product quality, etc. Other things being equal, the cost composition of CBU and SKD are different, and the value/price of CBU is automatically higher than the SKD unit.
- bb. Wheel loaders in the SKD form should not be compared with the wheel loader in the CBU form. Any such comparison would not result in a fair injury analysis.
- cc. The Caterpillar Entities submitted their objections to the proposed Product Control Number (PCN) methodology to the Authority via email on November 2, 2022. They followed up with another letter on November 4, 2022, requesting a meeting with the Authority regarding the PCN methodology. However, their request for a meeting was not accepted. On November 17, 2022, the Authority confirmed the PCN classification that was proposed during the initiation of the investigations. Therefore, it has been argued that they have not been provided a fair opportunity.
- dd. The cost/price difference between a wheel loader with automatic transmission, wet brake, and piston pump compared to a wheel loader with manual transmission, dry brake, and gear pump is approximately 40%.

C.2 Submissions Made On Behalf Of The Domestic Industry

5. The following submissions have been made on behalf of the domestic industry with regards to the product under consideration:

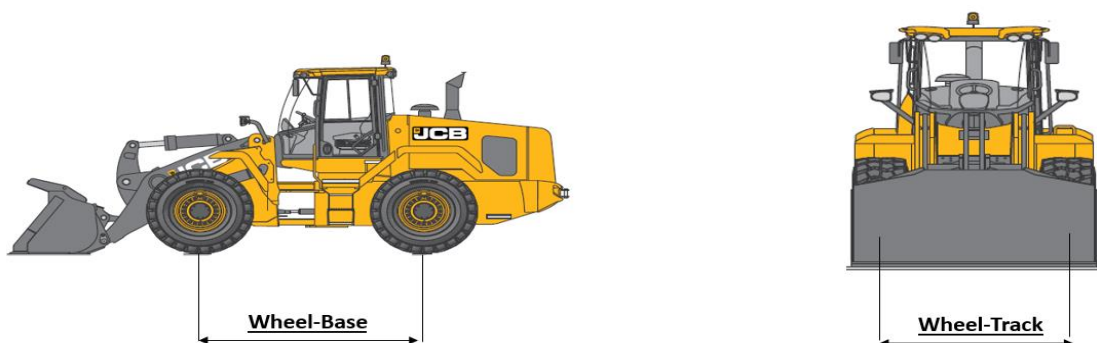
- a. The PUC is a construction equipment, which is used for varied applications such as loading, shifting, heaping, and dozing bulk or discrete materials, using buckets or other attachments. The scope of the PUC includes wheel loaders with additional features that provide for functions beyond the essential functions of loading, shifting, and dozing of materials, etc.
- b. A wheel loader is a self-propelled wheel mounted equipment with an articulation joint, having front loading mechanism. The product under consideration is commonly known as "wheel loading shovel/wheel loader/front-end loader/wheeled loading shovel/wheeled loader".
- c. A wheel loader is also fitted with hydraulically operated arms on the front with lift and lower operations. Further, a wheel loader is equipped with a front-mounted bucket, which is supported by a tilting cylinder for operating the bucket and other attachments on the front based on application.
- d. The PUC is used across different sectors, including material handling, and loading in crushers, ready-mix-concrete plants, mining, ports, process industries, and other general engineering and industrial applications.
- e. The rated payload capacity is a self-declared parameter by the manufacturer which is neither accredited by any external party nor regulated by any law in force. Since the rated payload capacity of wheel loaders is self-declared, the possibility of importers or foreign producers attempting to evade the imposed duties by modifying the declared payload capacity cannot be ruled out.
- f. Gross engine power is a parameter that measures the output power of the engine that operates a wheel loader. The tuning of an engine can be modified to increase the gross power in exchange for lower efficiency, or vice-versa. Accordingly, to a certain degree, gross engine power can also be modified to avoid anti-dumping duties, without any substantial changes in the physical dimensions.
- g. Even though rated payload capacity and gross engine power are crucial parameters relevant to a wheel loader, any party looking to exploit the exclusion parameters can easily make minor changes to their claimed payload capacity or tune their engine differently to get their product excluded from the product scope. However, the size of a machine (i.e., the other two parameters of exclusion) is more difficult to modify.
- h. The exclusion should be tested on the basis of all four parameters mentioned above. In absence of the same, exclusion based on only one or two parameters is susceptible to circumvention of any imposed duties, ultimately undermining the intended effect of the duties.
- i. The domestic industry also submits that it is a settled position of WTO law that the determination of 'like products' must be done on a case-to-case basis, by examining relevant factors.
- j. It is also the consistent practice of the Authority to consider the following factors in examining whether the domestic product is like article to the imported product: (a) product specifications, which include physical & chemical characteristics, (b) manufacturing process & technology, (c) raw materials, (d) functions & uses, (e) pricing, (f) distribution & marketing and (g) tariff classification of the goods.
- k. As affirmed by the Hon'ble CESTAT in *Merino Panel Products Ltd. v. Designated Authority* (2016) (334) ELT 552, commercially and technically substitutable products are 'like products' and must be included with the scope of the PUC in an anti-dumping investigation.
- l. Other jurisdictions such as the European Commission and the United States also rely on factors such as basic physical and technical characteristics, end-uses, and interchangeability to determine 'likenesses' of the products.
- m. The domestic industry manufactures wheel loaders with a declared rated payload capacity of up to 5,585 KG, which is commercially and technically substitutable with wheel loaders having a declared rated payload capacity of 7,000 KG.
- n. The domestic industry's wheel loader of rated payload capacity 5,585 KG directly competes with wheel loaders having rated payload capacity of 7,000 KG in terms of price ranges, end-use, and applications.

- o. If the rated payload capacity is adjusted to account for differences in methodology, at the higher capacity levels of the PUC definition, the difference would be only about 5~8% when a consistent methodology (i.e., payload based on engine power) is used to assess the models of the domestic industry and LiuGong for the purpose of determining the rated payload capacity.
- p. The domestic industry has calculated the theoretical payload capacity of its competing wheel loader (with reported rated payload capacity of 5,585 KG). Upon computation of a theoretical payload capacity using the same engine power to payload ratio as LiuGong's model, the domestic industry's model would also have a rated payload capacity in the range of about 6,533 KG. The domestic industry demonstrated the same during the on-site verification.
- q. Wheel loaders produced by the domestic industry and wheel loaders of rated payload capacity of 7,000 KG do not have any differences in engine power, dimensions, hydraulic pump, etc.
- r. The wheel loaders produced by the domestic industry cater to the same market segment as wheel loaders with 7,000 KG of payload capacity.
- s. The price at which LiuGong's 870H model is imported is significantly lower compared to the selling price of the domestic industry. Further, the fact that the price of LiuGong's 870H model (7,000 KG rated capacity) is significantly lower than the domestic industry's 455ZX model (5585 KG rated capacity) also implies that the LiuGong product is being sold at extraordinarily low and injurious prices, and directly competing with the domestic industry's product.
- t. The domestic industry produces and sells models having rated payload capacity 3,650 KG and 5,585 KG. Both models are substitutable with the wheel loaders with a payload capacity of 4,500 KG technically and commercially.
- u. The domestic industry submits that a wheel loader with a payload capacity of less than 2,000 KG is substitutable with a wheel loader having a payload capacity of 3,000 KG.
- v. The wheel loaders in CBU form contain the engine number, model number, brand, and other relevant details, in transaction-wise import data. Therefore, the imports of wheel loaders in CBU form are easily identifiable.
- w. It may be noted that often machine bodies or chassis are not imported as single assemblies. Therefore, adopting the definition of wheel loaders in SKD form provided by the Caterpillar Group may result in the imposition of anti-dumping duty being rendered redundant.
- x. A wheel loader in SKD form may be defined as a shipment consisting of the machine body/chassis fitted with an engine, transmission, or axle in a single unit, which may or may not be fitted with one or more other components. Wheel loaders imported in the SKD form require minimal processing, assembly, and the use of resources.
- y. The imports in SKD form are generally imported in 5–8-line items. Notably, these line items are imported on same day, and has same import declaration number. The product description of these line items clearly mentions the number of imported machines, model number, brand of the machine, and the form of import, i.e., SKD/kits.
- z. Wheel loaders in CKD form would be wheel loaders imported in the form of parts and components. Typically, all parts and components required to manufacture a machine may not be imported at the same time, or as a part of the same transactions/shipments. It may prove to be difficult to identify the components and parts meant for wheel loaders from the transaction-wise import data, unless the model number, brand name, and other product details are clearly mentioned in the import transaction description.
- aa. Wheel loaders imported in the CKD form require substantial assembly operations in India. Since wheel loaders are heavily engineered and complex products, assembling all the components from a CKD form requires significant manpower, skills, and other resources.
- bb. The efficiency of the domestic industry's 455ZX is comparable (in different conditions and operations) to the efficiency of LiuGong's 870H model in terms of output and fuel efficiency. Site efficiency depends on the type and quantity of allied vehicles/types of machinery deployed is dependent on the project in terms of size, location, and operations, therefore, these cannot be considered as a differentiating factor of the machine.

- cc. The domestic industry's wheel loader with 5,500 KG payload meets all site safety parameters as prescribed. In addition, it is fitted with cabin with roll over protection system and an emergency brake system.
- dd. Maintenance and repair costs should be considered from life-cycle perspective with factors of component life, pricing, duty cycle and maintenance practices being the key ones.
- ee. No upgradation is required for a wheel loader of rated payload capacity of 7,000 KG to perform the tasks of a wheel loader of rated payload capacity of 5,500 KG, and vice versa. Accordingly, no certification shall be required by the Automotive Research Association of India.
- ff. The PUC includes all wheel loaders irrespective of their mechanical energy delivery platform (i.e., internal combustion engine or battery-powered engine/motors). The engine or battery-powered motor is merely a platform meant to provide energy for the operation of the wheel loader. While the technology, production process, part and components may be different, electric wheel loaders are technical substitutable with conventional wheel loaders.
- gg. The requirement of different infrastructure and charging stations per-se does not result in two products unlike to each other. Additionally, merely an interim break in the operations of a battery-operated wheel loader (for charging) does not imply that they are different from a conventional wheel loader or have different utilities. Further, the difference in emission and noise levels does not automatically result in two products being unlike each other.
- hh. While the initial cost of an electric wheel loader may be higher, the overall cost of owning & operating costs for a conventional wheel loader and electric-powered wheel loaders are comparable.
- ii. From the perspective of a user, the end-use of a battery operated and conventional wheel loader is the same, irrespective of differences in supply chain, development, and testing infrastructure.
- jj. In the past, the Authority has refused to exclude grades of products which have neither been imported into nor manufactured in India, since the grades were substitutable by the grades offered by the domestic industry in the given investigation.
- kk. The Caterpillar Group and Caterpillar India were intimated about the investigation in time. It may also be noted that the Authority has invited all the registered interested parties for a discussion on the proposed PCN structure. Subsequently, all interested parties filed their questionnaire responses on the basis of which PCN were finalized by the Authority.
- ll. Due to the absence of any imports of electric wheel loaders during the POI, there is no need to modify the PCN methodology. The final PCN methodology allows for a comparison of imported and like articles on the basis of the kW (power) of the products. Therefore, the power of the battery operating a wheel loader can also be reported in terms of kW.
- mm. The impact of all three parameters, i.e., transmission, brakes, and pumps (even when considered jointly) only affects the pricing of the PUC by merely 0-5%.

C.3 EXAMINATION BY THE AUTHORITY

- 6. The PUC in the present investigation is "wheel loaders" which is a self-propelled wheel-mounted equipment with an articulation joint, having front end loading mechanism.



7. The following specifications of the Wheel loaders are to be excluded from the scope of the investigation:
 - i. Rated payload capacity of more than 7,000 KG;
 - ii. Gross engine power above 180 kW;
 - iii. Measured distance at the centre between right and left wheel (wheel tread/track) above 2,280 mm;
 - and**
 - iv. Measured distance between the front and back wheel axles (wheelbase) above 3,350 mm.
8. All the above parameters are ‘and’ conditions. In other words, a product is excluded from the scope of the PUC only if it satisfies all of the above conditions concurrently.
9. In the following paragraphs, the Authority has addressed each of the interested parties’ concerns.

Wheel loaders with rated payload capacity above 5,500 KG, 4,500 KG, and under 2,000 KG

10. The Authority notes that the main argument from the interested parties is that wheel loaders with rated payload capacity of 5,500 KG, as produced by the domestic industry, cannot be substituted with wheel loaders with rated payload capacity of 7,000 KG. It has been argued that wheel loaders of different rated payload capacities have different end-uses and costs.
11. The Authority notes that the rated payload capacity is a company-declared parameter wherein different producers of the subject goods use differing methodologies to report their rated payload capacity. Therefore, comparable wheel loaders have different rated payload capacities, depending upon the methodology followed by the producing company. Further, the Authority notes that the rated payload capacity of wheel loaders is not required to be certified by any competent body or agency under any law. Accordingly, merely differing rated payload capacity is not sufficient to render two products “unlike”. In view of the above, the exclusion of wheel loaders merely on the basis of rated payload capacities of the wheel loaders may result in any imposed anti-dumping duty being rendered redundant.
12. Additionally, at the on-site verification, the domestic industry demonstrated that the wheel loader produced by the domestic industry, having a declared rated payload capacity of 5585 KG, can lift and operate with a payload of about 7,000 KG, whereby the two products can substitute each other. Further, it was also submitted that the wheel loaders of the declared payload capacity 7,000 KG and 5,585 KG are being interchangeably used by certain customers for the same application at same site.
13. Furthermore, it was also noted that various models of rated payload capacity of 7,000 KG have been imported into the country at a price much lower than the wheel loaders of rated payload capacity of 5,585 KG sold by the domestic industry. In view of the above, it is noted that the exclusion of wheel loaders having declared rated payload capacity more than 5,585 KG is not justified.
14. With regard to the other submissions made by interested parties in relation to wheel loaders having rated payload capacity of 4,500 KG and under 2,000 KG, the Authority notes that the products covered within the scope of the PUC in an investigation need not be interchangeable. The products included are only required to be comparable.
15. Accordingly, for the purpose of fair comparison of the various types of wheel loaders, the Authority has finalized the PCN methodology, on the basis of the comments received from the interested parties, vide Notification dated F. No. 6/4/2022 dated November 17, 2022.
16. In view of the above, the Authority finds that all wheel loaders are included within the scope of the PUC, except the ones specifically excluded by the Authority.

‘And’ Conditions

17. The Authority notes that the following specifications of the wheel loaders are to be excluded from the scope of the investigation:
 - a. Rated payload capacity of more than 7,000 KG;
 - b. Gross engine power above 180 kW;
 - c. Measured distance at the center between right and left wheel (wheel tread/track) above 2,280 mm;
and
 - d. Measured distance between the front and back wheel axles (wheelbase) above 3,350 mm.

18. The Authority notes that the domestic industry has argued that any party looking to exploit the exclusion parameters can make minor changes to their claimed payload capacity or tune their engine differently to get their product excluded from the product scope. However, the size of a machine (i.e., the other two parameters of exclusion) is more difficult to modify. Therefore, exclusion based on only one or two parameters is susceptible to circumvention of any imposed duties.
19. In this regard, the Authority notes after examining the arguments of interested parties that the lack of 'and' exclusion conditions may lead to any imposed anti-dumping duties being rendered redundant. Rated payload capacities and gross engine power are modifiable parameters which may be tweaked. However, the other two parameters of exclusion (i.e., wheel track and wheel tread) may be more difficult to modify. Also, the Authority notes that none of the interested parties have provided any instance of a model unfairly being classified as the PUC due to the concurrent exclusion parameters.
20. Accordingly, the Authority proposes to retain the 'and' exclusion conditions as part of the scope of the PUC.

Battery Operated Wheel Loaders

21. Parties have argued that battery-operated wheel loaders must be excluded from the scope of the PUC since neither have they been imported during the POI, nor have they been produced by the domestic industry.
22. The Authority notes that neither has the domestic industry manufactured the battery-operated wheel loaders, nor have they been imported. It is also noted that the price difference, end-use and other technical parameters of a battery-operated wheel loader are significantly different from that of a conventional wheel loader.
23. It is the consistent practice of the Authority to exclude grades that have neither been manufactured and sold by the domestic industry nor have been imported into India. Accordingly, the Authority decides to exclude battery operated wheel loaders from the scope of the PUC.

Inclusion of 'SKD' Units of Wheel Loaders

24. The Authority notes that wheel loaders can be imported in three forms: (i) Completely Built Up ("CBU"), (ii) Semi Knocked Down ("SKD"), and (iii) Completely Knocked Down ("CKD").
25. A CBU wheel loader is a fully assembled machine which does not require any further modification or assembly in India. Once imported, the CBU wheel loader is ready to be sold to, and used by, consumers. wheel loaders in SKD form are partially assembled machines which require minimal resources in terms of technical know-how, capital investments, labour etc., and wheel loaders in CKD form are machines which are imported in the form of parts and components.
26. The Authority notes that the domestic industry has not alleged dumping for components. It has also been submitted that inclusion of CKD forms of the PUC might lead to the indirect inclusion of parts and components of a wheel loader. Therefore, it was decided to exclude CKD forms of the PUC from the scope of the PUC.
27. On the other hand, since wheel loaders in SKD form are near complete CBU, any exclusion of wheel loaders in SKD form would lead to the exclusion of dumped imports of wheel loaders. Therefore, wheel loaders in SKD form are included in the scope of the PUC.
28. However, the Authority acknowledges that wheel loader in SKD form must be defined in order to provide clarity to importers and also to customs officials at the time of clearance. The Authority notes that the Caterpillar Group and the domestic industry have proposed definitions for wheel loaders in SKD form. The Authority has considered these proposed definitions, and deems it appropriate to define SKD forms of wheel loaders as:

"A wheel loader in SKD form consists of the machine body/chassis fitted with an engine, transmission, or axle in a single unit, which may or may not be fitted with one or more other components.

Explanation: If chassis/machine body is imported without an engine, transmission or axle fitted into it, no anti-dumping duties shall be payable."

PCN Methodology

29. At the outset, the Authority notes that the initiation notification allowed interested parties to place their objections to the proposed PCN methodology on record within 30 days of initiation. Accordingly, certain interested parties had filed comments on the proposed PCN methodology within the prescribed deadline, i.e.,

October 30, 2022. To adequately understand and address such comments, the Authority conducted a discussion on the PCN methodology to be adopted in the subject investigation on November 3, 2022. Interested parties were further provided time until November 7, 2022, to file their comments on PCN Methodology. The Authority allowed all the interested parties to attend the hearing who had filed their comments within the prescribed deadline.

30. After due consideration of the comments and submissions received from various interested parties, the Authority had finalized by the Authority vide Notification dated F. No. 6/4/2022 dated November 17, 2022. The finalized PCN Methodology is as follows:

S.No.	Criteria	Range	PCN Code
1.	Rated payload	Up to 4,000 KG	A
		Above 4,000 KG	B
2.	Engine gross power	Up to 140 kW	1
		More than 140 kW	2
3.	Measured distance at the centre between right and left wheel (Wheel tread/track)	Less than 2,100 mm	X
		2,100 mm and above	Y
4.	Measured distance between the front and back wheel axles (Wheelbase)	Up to 3,000 mm	U
		More than 3,000 mm	M

31. Pursuant to such notification, various interested parties filed their questionnaire responses on the basis of the notified PCN methodology.
32. In light of the above, the Authority finds that the contention of the Caterpillar with regard to not being provided adequate opportunity to place its objections to the PCN methodology on record is unfounded. The initiation notification was published in the official Gazette of India and all the interested parties, including Caterpillar. Despite the same Caterpillar failed to provide its comments on the PCN methodology within the prescribed timelines. The Authority notes that that an anti-dumping investigation is a time-bound process, and submissions made after the expiry of specific deadlines are not required to be addressed. Nevertheless, the Authority has addressed additional comments on the PCN methodology below.
33. With regard to the additional PCN parameters (such as transmission, brakes and pumps) proposed by certain interested parties, the Authority notes that the interested parties have provided no evidence to establish that these additional parameters make a notable difference to the price comparison of the PUC warranting a separate PCN parameter. In other words, no evidence has been provided to establish that the inclusion of these additional parameters would enable a fairer comparison of dumping or injury. On the other hand, the Domestic Industry has provided substantive data to demonstrate that the difference in cost of Wheel Loaders on the basis of these additional parameters suggested by the interested parties is not significant. Accordingly, after examining the submissions of the interested parties, the Authority did not deem it necessary to modify the PCN methodology.
34. Additionally, the Authority also notes that battery-operated Wheel Loaders are excluded from the scope of the PUC. Therefore, there is no need to modify the PCN methodology for the same.

Like article and Scope of the PUC

35. After considering the information on record, the Authority holds that there is no known difference between the subject goods produced by the Indian industry and that exported from the subject country. Subject goods produced by the domestic industry and those imported from the subject country are comparable, in terms of product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Wheel loaders produced by the domestic industry are technically and commercially substitutable to the imported wheel loaders. The Authority holds that the product under consideration produced by the applicant domestic industry is a “like article” to the subject product under consideration imported from the subject country.
36. Therefore, the Authority defines the PUC as follows:

“The PUC in the present investigation is “wheel loader” which is self-propelled wheel-mounted equipment with an articulation joint, having front end loading mechanism.

Wheel loader imported in the form of completely built unit (CBU) or semi-knocked down (SKD) are included within the scope of the investigation. However, imports of wheel loader in completely knocked down (CKD) or component form are excluded from the scope of the investigation.

For the purposes of this recommendation, a wheel loader in SKD form consists of the machine body/chassis fitted with an engine, transmission, or axle in a single unit, which may or may not be fitted with one or more other components.

Explanation: If chassis/machine body is imported without an engine, transmission or axle fitted into it, no anti-dumping duties shall be payable.

The following products are excluded from the scope of the investigation:

- I. *The wheel loaders of the following specifications are to be excluded from the from the scope of the investigation:*
 - a) *Rated payload capacity of more than 7,000 KG;*
 - b) *Gross engine power above 180 kW;*
 - c) *Measured distance at the center between right and left wheel (wheel tread/track) above 2,280 mm; and*
 - d) *Measured distance between the front and back wheel axles (wheelbase) above 3,350 mm.*

All the above parameters are ‘and’ conditions. In other words, a product is excluded from the scope of the PUC only if it satisfies all of the above conditions concurrently.
- II. *Wheel Loader in Completely Knocked Down (CKD) or component form are excluded from the scope of the investigation.*
- III. *Battery-operated wheel loaders are also excluded from the scope of the investigation.”*

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1 Submissions Made By The Other Interested Parties

37. The other interested parties have made the following submissions with respect to the domestic industry and standing:
 - a. Rule 2(b) of the AD Rules, 1995 provides that those domestic producers who are related to exporters, importers or who are themselves importers of the product under consideration may be excluded when determining the scope of the domestic industry. However, such producers are not automatically excluded from the scope of the domestic industry. The use of the term “may” in Rule 2(b) of the AD Rules, 1995 provides discretion to the Authority to decide whether a company who is related to exporters or importers and/or who is importing the PUC should be included or excluded from the scope of the domestic industry. For the purpose of exercising discretion, the Authority takes into account several factors such as volume of imports during the POI, essential business of the entity in India, type of imports, reasons for imports etc.
 - b. LiuGong India and Caterpillar India are domestic producers of the PUC. They argued that they must be considered eligible as domestic industry.
 - c. Guangxi LiuGong has not exported substantial quantities of the subject goods to India during the POI. There were substantial exports by Guangxi LiuGong to India during the years prior to the POI and not during the POI. Exports by Guangxi LiuGong to India are not substantial during the POI in absolute terms. Exports by Guangxi LiuGong to India during the POI are also not substantial in comparison to total imports from China PR.
 - d. It is the settled practice of the Authority to consider imports of the subject goods during the POI for assessing the eligibility of domestic producer as a domestic industry.
 - e. Imports into India during POI by LiuGong India are primarily of the subject goods not produced in India. Wheel loaders with rated payload of 7,000 KGs are not manufactured in India. In this regard, the respondents also note that wheel loaders with rated payload of 7,000 KGs are used in specific industry segments such as mining. It is not commercially viable to produce wheel loaders with

rated payload of 7,000 KG in India. Therefore, LiuGong India had to import wheel loaders with rated payload of 7,000 KG in order to meet the demand of consumers in India.

- f. LiuGong India imported goods in 2019-20 and 2020-21, but their production volume during and after that period demonstrates that they are a domestic producer of wheel loaders, not an importer. They have enhanced their skills and technical capabilities to increase in-house production, making them one of the top wheel loader producers in India.
- g. LiuGong India imported wheel loaders from Guangxi LiuGong in China PR before March 31, 2021, to comply with the revised emission norms and ensure a continuous supply to their customers. The development of specific components with the required technology was time-consuming and posed a bottleneck for many manufacturers.
- h. LiuGong India is a domestic producer as evident by its total investment in domestic production and employment.
- i. The examination of post POI data regarding exports by Guangxi Liugong and imports by LiuGong India will further support the claim that LiuGong India is primarily a domestic producer and should be considered as eligible domestic industry.
- j. Since components of wheel loaders are not covered within the scope of the PUC, imports of some key components from China PR will not prejudice the status of LiuGong India as an eligible domestic industry.
- k. The ownership of Guangxi LiuGong is irrelevant for determining the eligibility of LiuGong India as a domestic industry under Rule 2(b) of the AD Rules, 1995.
- l. The claim that the individual dumping margin should not be determined for Guangxi LiuGong if LiuGong India is considered as eligible domestic industry, is without any legal basis.
- m. Caterpillar India Pvt Ltd. (hereinafter referred to as “**Caterpillar India**”)’s exclusion is unjustified because it is neither an importer of the dumped article nor involved in its sale or marketing in India. Its production represents a substantial portion of the total domestic production, and excluding it would create a ‘domestic industry’ that does not accurately represent Indian producers.
- n. Caterpillar India’s wheel loaders are manufactured under contract manufacturing arrangements. Caterpillar India provides various support activities to the contract manufacturer, including technology, know-how, designs, brand use, and quality management.
- o. Creative Manufacturing Solutions (India) Private Limited (CMS), located in Maharashtra, manufactures wheel loaders under the brand name ‘Hindustan’. CMS is not an importer or related to any importer/exporter of the subject goods from China. CMS is a significant producer with a substantial quantity of wheel loaders and is considered a market leader in its segment.
- p. Even if Caterpillar India is considered related to a foreign exporter, the exclusion from the scope of ‘domestic industry’ is not automatic under Rule 2(b) of the AD Rules, 1995.
- q. It is submitted that just because Caterpillar India is a domestic producer, it is not compulsorily required to support the anti-dumping investigation. Caterpillar India has not made loss making sales during the POI.
- r. Caterpillar India is not engaged in “deliberate and co-ordinated market targeting behaviour”. Every producer, seller, dealer is at liberty to devise its sales marketing plan, so as to optimise its sales. Further, Caterpillar India sells the products made in India, whereas the imports are of products made in China. They are bound to be different.
- s. The Caterpillar Entities and Caterpillar India have clarified that there is no shareholding relationship between them and the dealers, and vice versa. They also confirm that there are no common directors between the Caterpillar Entities or Caterpillar India and the dealers. The sales and purchases between the parties are conducted on an arm’s length basis, indicating independent transactions.
- t. Furthermore, the Caterpillar Entities or Caterpillar India do not exercise direct or indirect control over any of the dealers. Similarly, the dealers are not under the direct or indirect control of any third party. Additionally, there is no shared control between the Caterpillar Entities or Caterpillar India and the dealers over a common third party.

- u. It is submitted that the importers are independent companies, and merely because they have appointed common counsels, does not mean that they are related to each other.
- v. The required polling, as mandated by Rule 5 of the AD Rules, 1995, has not been conducted. As a domestic producer, their opposition to the investigations should be considered under Rule 5.
- w. While conducting the test of “a major proportion” provided under Rule 2 (b), the Authority is obliged to take into account the “total domestic production” in India. The reference to “total domestic production” is clearly to the entire domestic production and not to the production by any part of the domestic producers.
- x. JCB India Ltd. has an affiliated company (JCB Construction Equipment Shanghai Co., Ltd.) in China PR.
- y. JCB India Ltd. has not identified all Indian producers of the PUC (CASE Construction India and Doosan Bobcat India). This has resulted in an incorrect estimation of total Indian production in India.
- z. Eimco Elecon (India) Ltd. has only provided a support letter without the required data. The support of Eimco Elecon (India) Ltd. must be disregarded when determining the domestic industry standing and the injury suffered by the domestic industry.

D.2 Submissions Made On Behalf Of The Domestic Industry

38. The following submissions have been made on behalf of the domestic industry with regard to the domestic industry:
- a. Out of the total eligible domestic production, the production share of the domestic industry is approximately 70%. Additionally, the domestic industry, along with the supporters constitutes about 74% of the total eligible production. In view of the same, the domestic industry meets the requisite threshold to constitute domestic industry for the purposes of the present application.
 - b. It has been the consistent practice of the Authority to exclude related domestic producers from the scope of the domestic industry to ensure a fair and just investigation.
 - c. Caterpillar India is a subsidiary of Caterpillar Inc, which is a US-based multinational company. Caterpillar (Qingzhou) Ltd. (“Caterpillar Qingzhou”), an exporter of the PUC from China PR, is also a wholly owned subsidiary of Caterpillar Inc. Caterpillar (Suzhou) Co. Ltd. (“Caterpillar Suzhou”), a producer and exporter of the PUC from China PR, is also a wholly owned subsidiary of Caterpillar Inc. Caterpillar India, Caterpillar Qingzhou and Caterpillar Suzhou are jointly controlled by Caterpillar Inc.
 - d. The related exporters of Caterpillar Inc. have exported the PUC to India during the POI in substantial quantities under the brand name of “SEM”.
 - e. Gainwell Commosales Pvt. Ltd. and GMMCO Ltd. are the official dealers of all Caterpillar products, including Caterpillar India, Caterpillar Qingzhou and Caterpillar Suzhou. There is a clear nexus between the parties.
 - f. Merely being a domestic producer in India does not make Caterpillar India eligible to participate in the determination of the domestic industry standing at the pre-initiation stage.
 - g. The domestic industry further submits that Caterpillar India failed to provide a questionnaire response in the subject investigation.
 - h. The fact that Caterpillar India is opposing the imposition of anti-dumping duties without any substantive reason, despite being a domestic producer, shows that its relationship with the Chinese exporters has affected its behaviour as a domestic producer.
 - i. LiuGong India is a subsidiary for which 99.9% of shares are held by Guangxi LiuGong Machinery Co. Ltd. LiuGong India has also imported the PUC in substantial quantities from its parent company in China during the injury period, including the POI. Given the regulatory changes in the market, it is also noted that LiuGong India has made substantial sales of the product during the POI which were imported in the period from January 2021 to March 2021 (last quarter of FY 2020-21).
 - j. The behaviour of LiuGong India clearly demonstrates that its operations are more akin to an importer rather than a domestic producer. Additionally, LiuGong India shielded itself from the

effects of dumping by participating in high-volume imports, whereby it is not eligible to constitute domestic industry in the present investigation.

- k. LiuGong India is interested in benefitting from the dumping of the PUC, as its importer. The inclusion of LiuGong India as a domestic industry would substantially distort the Authority's investigation process.
- l. Since Caterpillar India and LiuGong India are ineligible to be qualified as the domestic industry for the purposes of Rule 2(b) of the AD Rules, 1995, there are five eligible producers, namely, JCB India Limited, L&T Construction & Mining Machinery, Tata Hitachi, Eimco Elecon (India) Ltd, and BEML Limited, which qualify for determining the eligible domestic production under Rules 2(b) and 5(3)(a) of the AD Rules, 1995.
- m. Polling in accordance with Rule 5(3)(a) of the AD Rules, 1995 is required to be conducted only for eligible domestic producers. Accordingly, the Authority was not required to invite Caterpillar India for polling prior to the initiation.

D.3 Examination By The Authority

39. The present petition is filed by JCB India Ltd, and has been supported by M/s BEML Ltd. and M/s Eimco Elecon (India) Ltd. The domestic industry has declared that it has not imported the subject goods and is not related to any foreign producer who has exported the subject goods to India during the POI. Apart from the applicant and supporters, there are four more domestic producers of the PUC. Of these four, two of the producers, i.e., L&T and Tata Hitachi, have not participated in the present investigation. With regard to the remaining two producers, the domestic industry has argued that Caterpillar India and LiuGong India are ineligible to constitute the 'domestic industry' in this investigation within the meaning of Rule 2(b) of the AD Rules, 1995.

40. Rule 2(b) of the AD Rules, 1995 defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

41. Therefore, domestic producers may be excluded from the scope of the domestic industry in two situations:

- a. When the domestic producer is related to the exporter or importer of the alleged dumped article, in this case, wheel loaders from China; or
- b. When the domestic producer is an importer of the dumped article themselves.

42. Further, the Explanation to Rule 2(b) defines 'related parties' as:

“Explanation. -For the purposes of this clause, producers shall be deemed to be related to exporters or importers only if,-

- (a) one of them directly or indirectly controls the other; or*
- (b) both of them are directly or indirectly controlled by a third person; or*
- (c) together they directly or indirectly control a third person subject to the condition that there are grounds for believing or suspecting that the effect of the relationship is such as to cause the producers to behave differently from non-related producers.*

Note: For the purpose of this Explanation, a producer shall be deemed to control another producer when the former is legally or operationally in a position to exercise restraint or direction over the latter.”

43. The Authority acknowledges that it has the discretion to determine, on the basis of various factors, whether a related domestic producer is eligible to be domestic industry. However, it notes that related domestic producers must be rendered ineligible unless an exception case is made out by such a domestic producer.

44. The Authority notes that both Caterpillar India and LiuGong India are 'related' to exporters of the PUC from the subject country:
- a. Caterpillar India is a subsidiary of Caterpillar Inc, which is a US-based multinational company. Caterpillar (Qingzhou) Ltd., an exporter of the PUC from China PR, is also a wholly owned subsidiary of Caterpillar Inc. Caterpillar (Suzhou) Co. Ltd., a producer and exporter of the PUC from China PR, is also a wholly owned subsidiary of Caterpillar Inc. Therefore, Caterpillar India, Caterpillar Qingzhou and Caterpillar Suzhou are jointly controlled by Caterpillar Inc. Accordingly, Caterpillar Inc., is legally in a position to exercise restraint or direction over both entities particularly Caterpillar India. This relationship falls within the meaning of Explanation (b) of Rule 2(b). Additionally, Caterpillar India has not demonstrated that it is not controlled (legally or operationally) by Caterpillar Inc.
 - b. LiuGong India is a subsidiary for which 99.9% of shares are held by Guangxi LiuGong Machinery Co. Ltd., which is a Chinese producer and exporter of the PUC. Accordingly, Guangxi LiuGong Machinery Co. Ltd. is legally in a position to exercise restraint or direction over LiuGong India. This relationship falls within the meaning of Explanation (a) of Rule 2(b). Further, LiuGong India has not demonstrated that it is not controlled by Guangxi LiuGong Machinery Co. Ltd.
45. The Authority notes that both Caterpillar and LiuGong have both exported the subject goods from the subject country in substantial quantities through the injury period. In particular, Caterpillar has exported 30-40% of the total imports of the subject goods from the subject country into India during the POI. LiuGong has exported almost half the total imports of the PUC from the subject country into India in 2020-21.
46. The Authority notes that LiuGong India has requested the Authority to assess post-POI data to examine its eligibility as domestic industry. In this regard, the Authority notes that as per its consistent practice, it has not assessed the post-POI data for the purposes of assessing the standing of the domestic industry.
47. Therefore, the Authority holds that both LiuGong India and Caterpillar India's related entities have regularly exported the PUC to India. No exceptional circumstances have been established by LiuGong India and Caterpillar India for their relationship with the exporters.
48. Additionally, the Authority also notes that Caterpillar India also failed to file a questionnaire response as a domestic producer. LiuGong India has also only filed its response as an importer, and not a domestic producer. Therefore, The Authority holds that these producers have not provided any concrete reasons for opposing the investigation other than their relationship with exporters of the subject goods.
49. In view of the above, the Authority holds that both Caterpillar India and LiuGong India do not qualify as domestic industry within the meaning of Rule 2(b).
50. With regard to the argument regarding polling, the Authority notes that polling is required to be conducted only for eligible domestic producers. However, Caterpillar India and LiuGong India were considered as not eligible for such polling under Rule 2(b) of the AD Rules, 1995.
51. With regard to the standing of JCB India Ltd. as the domestic industry in the present investigation, the Authority holds that it constitutes 70% of the eligible domestic production. Further, the application is also supported by BEML Ltd. and Eimco Elecon (India) Ltd. Accordingly, the domestic industry along with the supporter accounts for a major share of the eligible Indian production.
52. Therefore, for the purpose of this investigation, JCB India Ltd. constitutes the domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the AD Rules, 1995 and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the AD Rules, 1995.

E CONFIDENTIALITY

E.1 Submissions Made By The Other Interested Parties

53. The other interested parties have made the following submissions with respect to the product under consideration:
- a. Caterpillar India asserts that the investigation is being conducted based on the DG Systems data, despite the application relying on import data from an unnamed private agency.
 - b. DG Systems does not qualify as an "interested party" and therefore cannot claim confidentiality under the rule. Even if the information is considered confidential, a non-confidential summary should be provided to the involved parties, which has not been done in this case.

- c. Rule 6(7) of the AD Rules, 1995 requires evidence submitted by one party to be made available to the other parties, but the DG Systems data has not been shared, depriving Caterpillar India of the opportunity to comment on it.
- d. Without disclosing the name of the agency and providing a non-confidential summary of the import data, the information in the application cannot be considered sufficient or accurate for the purpose of initiating the investigation.
- e. Failure to provide a non-confidential version of the information or disclose the agency's name is a violation of the principles of natural justice.
- f. The domestic industry has claimed excessive confidentiality by not disclosing the name of the source of information used as a basis for the initiation of the present investigation. The domestic industry has not even mentioned the source of imported data nor cited any reason for claiming the same as confidential. It is submitted that the import data sourced by the domestic industry pertains to Chinese exporters and therefore, the same cannot be claimed as confidential from the responding exporters.

E.2 Submissions Made On Behalf Of The Domestic Industry

- 54. The following submissions have been made on behalf of the domestic industry with regard to the product under consideration:
 - a. The domestic industry had requested for import data from the DGCIS, however, the same was not made available. Therefore, the domestic industry relied on the import data from private sources. Further, the domestic industry submits that it has provided the import data sorting methodology which includes the tariff heading, product description, and the manner in which the quantity/values have been determined.
 - b. Various interested parties have not filed their questionnaire responses in line with Trade Notice No. 10/2018 dated September 7, 2018.

E3 Examination By The Authority

- 55. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the AD Rules, 1995 provides as follows:

“(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorisation of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalised or summary form, it may disregard such information.”

- 56. The Authority made a non-confidential version of the information provided by various interested parties available to all interested parties for inspection through the public file containing non-confidential version of evidence submitted by various interested parties and also through e-mail communication between various parties.
- 57. Submissions made by the domestic industry and other opposing interested parties with regard to confidentiality, to the extent considered relevant, were examined by the Authority and addressed accordingly. The Authority notes that the information provided by the interested parties on confidential basis was duly examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on

confidential basis. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

F. MISCELLANEOUS

F.1 Submissions Made By The Other Interested Parties

58. The other interested parties have made the following submissions with respect to the miscellaneous issues:
- a. The domestic industry has failed to submit a properly substantiated application that would allow the Authority to form an initial view on the presence of dumping, injury, and a causal link between the alleged dumped imports and the injury. The evidence provided in support of the application is deemed inaccurate and inadequate under Rule 5(2) of the AD Rules, 1995.
 - b. In the case of *Union of India and Others v. Adani Exports Ltd and Another* (2002) 1 SCC 567, the Hon'ble Supreme Court held that the question of jurisdiction should be first decided before going into the merits of any case.
 - c. The POI is not appropriate due to several exceptional circumstances that significantly impacted the market conditions during that period. These circumstances include the second wave of the COVID-19 pandemic affecting India in the first quarter of FY 2021-22, a contraction in demand due to delays in infrastructure and government projects, changes in emissions norms from Bharat Stage-III (BS-III) to Bharat Stage-IV (BS-IV) by the Ministry of Road Transport and Highways, significant price fluctuations in steel and other materials, non-availability or restricted availability of critical production materials, and the diversion of oxygen from industrial to medical use, which affected fabrication activities and the production of wheel loaders and their components in the country. The POI, once decided, cannot be changed at a later stage.
 - d. The POI can be revised before the initiation of the investigation and no request for a change shall be considered after the initiation of the investigation. Also, the examination of post POI data shall be communicated in the initiation notification. However, no such communication was made in the initiation notification of the present investigation about the same. Thus, post POI data cannot be examined in the present investigation.

F.2 Submissions Made On Behalf Of The Domestic Industry

59. No miscellaneous submissions have been made by the domestic industry.

F.3 Examination By The Authority

60. With regard to the contention that the initiation notice was violative of Rule 5 of the AD Rules, 1995, the Authority notes that the investigation was initiated only after examination of the evidence provided by the domestic industry. Only when all the requirements under Rule 5 were met, the investigation was initiated by the Authority.
61. With regard to the contention that the POI is inappropriate given the change in emission-norms, contraction in demand, significant price fluctuations, and other external factors, the Authority notes that the existence of external factors during the said period does not make it ineligible for being selected as a POI. In its assessment of injury, it has considered the effect these external factors had on the performance of the domestic industry, if any, during the POI. Any such effects have not been attributed to the imports of the PUC from the subject country.
62. With regards to the jurisdictional issue that has been raised by Liebherr Group that the Authority should first decide on the issue of standing before proceeding with the other facts of the investigation. It is noted that the case was initiated only after the determination that the applicant industry has a standing to qualify as the domestic industry as per the statutory threshold in terms of Rule 5(3) of the AD Rules. It is further noted that the Authority in this final finding has again deliberated in the beginning i.e., from para 39 to 52 itself on the standing of the domestic industry and has held that the domestic industry has a standing as per the statutory threshold. In view of the same, the Authority notes that it doesn't find any merit on the issue of jurisdictional challenge to proceed with the investigation and its determination thereto.

G. MARKET ECONOMY TREATMENT (MET), NORMAL VALUE, EXPORT PRICE & DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

G.1 Submissions Made By The Other Interested Parties

63. The other interested parties have made the following submissions with respect to the this:

- a. Guangxi LiuGong, the producer, and exporter of the subject goods in China PR, has submitted the Exporter Questionnaire Response within the specified timeframe.
- b. LiuGong India, a related entity of Guangxi LiuGong in India, has submitted Part IV of the Exporter Questionnaire Response. All parties involved in exports to India and imports into India have participated in the investigation.
- c. The estimated dumping margin and injury margin presented by the domestic industry in the petition should not be relied upon for determining dumping and injury related to exports made by Guangxi LiuGong.
- d. Section 9A(6A) of the Customs Tariff Act allows for the determination of the dumping margin for cooperating producers/exporters based on the information they submit. The margin of dumping is to be calculated based on the records of normal value and export price maintained by the exporter or producer.
- e. Certain interested parties disagreed with the market economy treatment given to China PR, and requested the Authority to not use surrogate country methodology, use appropriate normal value calculation and at the very least, use data provided by the company instead of applying analogue country data in the investigation.
- f. China's Accession Protocol expired on December 11, 2016. Such practice was to be expired from then on. "Surrogate country" methodology should not be used in calculating the normal value for this case. The Appellate Body Report in *EC - Fastener* provides strong justification for China PR to automatically obtain the market-economy status once the Article 15 of the Protocol expires.
- g. The normal value for China PR should first be determined based on price or constructed value in the third country, or the price from such a third country to other countries. In case the normal value cannot be computed based on third country price, the same be computed on any other reasonable basis, including the price paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin.

G.2 Submissions Made On Behalf Of The Domestic Industry

64. The following submissions have been made on behalf of the domestic industry with regard to the product under consideration:

- a. It is submitted that sub-paragraph (2) of paragraph 8, Annexure I of the AD Rules, 1995 stipulates that a country shall be considered as a non-market economy ("NME") for the purpose of the anti-dumping investigation if the same has been treated as an NME in three (3) previous years preceding the investigation period unless the producers/exporters cooperating in the investigation produces sufficient evidence establishing that it operates under market economy principles.
- b. It is submitted that none of the exporters or producers from China has filed for market economy treatment in the present investigation. Therefore, there is no evidence on record to prove that exporters of the PUC from China PR operate under market economy principles for the purposes of the present investigation.
- c. Section 15(d) sets forth three different timelines: (i) China stops being a non-market economy for the purpose of trade remedial investigations in India once it establishes under Indian law that it is a market economy; (ii) certain sectors or industries stop being treated as non-market economy sectors for the purpose of trade remedial investigations in India once it is established under Indian law that market economy conditions prevail in those sectors on industries; and (iii) all other provisions of Section 15 of the Protocol would remain to be operational after December 11, 2016, except Section 15(a)(ii).
- d. Section 15(a)(ii) merely reiterates the power of the investigating Authority under the second Ad Note to Article VI:1 of the General Agreement on Tariffs and Trade 1995.
- e. Article 2.7 of the Anti-Dumping Agreement clearly carves out an exemption for the second Ad Note for Article VI:1 of the GATT.

- f. Section 15(a) which imposes a rebuttable presumption on China being a non-market economy did not expire on December 11, 2016.
- g. There exists no obligation on India to consider China a non-market economy after December 11, 2016. In fact, Article 2.2 of the Anti-Dumping Agreement also allows investigating authorities to adopt an alternative methodology for calculating normal value when the domestic sales in the exporting country do not permit a proper comparison.
- h. The domestic industry also notes that it is a consistent practice to regard China as a non-market economy not only in Indian trade remedial investigations, but also in trade remedial investigations conducted in all major jurisdictions. For example, jurisdictions such as the European Union and the United States of America continue to consider China to be a non-market economy.
- i. China requested a WTO panel to be formed to decide on its non-market economy status in 2017 in *EU — Price Comparison Methodologies*. However, in 2019, China requested the Panel to be suspended. It was reported that China decided to seek suspension because the results of the interim report, which has never been made public, were unfavourable to China.

G.3 EXAMINATION BY THE AUTHORITY

Normal Value

Market Economy Status for Chinese Producers

65. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall

be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

66. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a) (ii) have expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of the WTO Agreement on Anti-Dumping read with the obligation under 15 (a) (i) of the Accession Protocol require the criterion stipulated in Para 8 of Annexure I to the AD Rules, 1995 to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire upon claiming market economy status.
67. At the stage of initiation, the Authority proceeded as per the information given by the applicant. Upon initiation, the Authority advised the producers/ exporters in China PR to respond to the notice of initiation and provide information relevant to the determination of their market economy status. The Authority sent copies of the supplementary questionnaire to all the known producers/ exporters for rebutting the presumption of non- market economy in accordance with criteria laid down in Para 8(3) of Annexure-I to the Rules and furnish relevant detailed information. The Authority also requested the Government of China PR to advise the producers/ exporters in China PR to provide the relevant information.
68. None of the exporters/producers contested the non-market economy status of China. Thus, in view of the above position and in the absence of rebuttal of the non-market economy presumption by any Chinese exporting company, the Authority, consider it appropriate to treat China PR as a non- market economy country in the present investigation and proceeds with para 7 of Annexure- I to the Rules for determination of normal value in case of China PR.

Determination of Normal Value for China PR

69. The Authority notes that no evidence has been provided by the domestic industry or other interested parties on prices in market economy third countries. The global trade data also could not be used to consider price from a market economy third country in view of the fact of various PCNs involved and the absence of dedicated HSN Code for the PUC.
70. Therefore, the Authority has determined the normal value for the subject imports from China PR as per the "price actually paid or payable in India" as stipulated in para 7 of Annexure – I to the AD Rules, 1995. It has been computed based on the cost of production of the domestic industry, with reasonable addition for selling, general and administrative expenses, and profits. The normal value was constructed PCN wise for a fair comparison. The weighted average on the basis of quantities of various PCN by the respective producer exporter is shown in the dumping margin table below.

Export Price

Caterpillar (Qingzhou) Ltd, Caterpillar (Suzhou) Co., Ltd, Caterpillar Inc., and Caterpillar SARL Singapore Branch

Caterpillar (Qingzhou) Ltd.

71. Caterpillar (Qingzhou) Ltd. (hereinafter referred as "CQL") is engaged in manufacture of the PUC at its factory located at Nanhuan Road, Qingzhou City, Shandong 262500 P.R. China.
72. During the POI, CQL directly exported *** wheel loaders to unrelated customers in India out of which *** were A1XU and *** were B2YM. These exports were made on CIF basis for which CQL has claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland transportation, port expenses, credit cost. Accordingly, the weighted average of net export price at ex-factory level so determined is mentioned in the dumping margin table.

Caterpillar (Suzhou) Co., Ltd

73. Caterpillar (Suzhou) Co., Ltd (hereinafter referred as "CSCL") is engaged in manufacture of the PUC at its factory located at No. 58 Qiming Road, Export Processing Zone B, Suzhou Industrial Park, Suzhou 215121, P.R. China.
74. During the POI CSCL has exported *** wheel loaders to India through its group companies Caterpillar Inc. (hereinafter referred as "CAT Inc."), Caterpillar SARL Singapore Branch (hereinafter referred as "CSSB")

on CIF basis. While invoicing is routed through group companies, wheel loaders are directly exported from the factory. CSCL has claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland transportation, port expenses, credit cost. Accordingly, the weighted average of net export price at ex-factory level so determined is mentioned in the dumping margin table.

Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd. and LiuGong India Pvt. Ltd

75. From the response filed by Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd (“Liugong China”), Authority notes that Liugong China has exported the product under consideration manufactured by Liugong China to its related importer, LiuGong India Pvt. Ltd (“Liugong India”) and also to unrelated Indian customer during the POI. Both Liugong China and Liugong India have participated in the investigation and provided all the relevant information in the prescribed questionnaire format.
76. It is noted that Liugong India is engaged in production as well as trading of product under consideration in India. During the POI, Liugong India has sold the PUC manufactured by itself and also PUC imported from Liugong China.
77. Liugong China has exported ***wheel loaders to unrelated Indian customer and ***wheel loaders to Liugong India during the POI. Accordingly, the Authority has worked out the ex-factory export price taking export price of Liugong China to related and unrelated Indian customers and adjusted on account of ocean freight, insurance, inland transportation, port related expenses, credit cost and bank charges.
78. Liugong China and Liugong India have provided the PCN wise information in the relevant appendices. The aforesaid adjustments and PCN wise information have been verified and accepted by the Authority. It is noted that Liugong India has earned profit on resale of the PUC during the POI. Accordingly, the export price for the subject goods at ex-factory level for Liugong China has been determined and shown in the dumping margin table.

Shandong Lingong Construction Machinery Co., Ltd. and Volvo CE India Private Limited

79. From the responses filed by Shandong Lingong Construction Machinery Co., Ltd. (“SDLG”) and its affiliated importer in India i.e., Volvo CE India Private Limited (“Volvo”), the Authority notes that SDLG is a producer of the subject goods in China PR and has exported the subject goods directly to Volvo which is related to SDLG.
80. During the POI, SDLG has exported *** units of wheel loaders to India. For the exports to India, SDLG has claimed adjustments such as ocean freight, insurance, inland insurance, credit cost, dismounting cost, port and other related expense.
81. SDLG and Volvo have provided the PCN wise information in the relevant appendices. The aforesaid adjustments and PCN wise information have been verified and accepted by the Authority. It is noted that Volvo incurred losses and the same has been adjusted in the export price. Accordingly, the export price for the subject goods at ex-factory level for SDLG has been determined and shown in the dumping margin table below.

Liebherr Machinery (Dalian) Co. Ltd. (LH Dalian), Liebherr Werk-Bischofshofen GmbH (LH Austria), Liebherr Export AG (LH Swiss), Liebherr China Co. Ltd. and Liebherr India Private Limited (LH India).

82. Liebherr Machinery (Dalian) Co. Ltd. (LH Dalian) is the producer of the subject goods in China, filed complete questionnaire response along with its related trading company, namely, Liebherr Werk-Bischofshofen GmbH (LH Austria), Liebherr Export AG (LH Swiss), Liebherr China Co. Ltd. and Liebherr India Private Limited (LH India).
83. During the POI, LH Dalian has exported *** machines to India through its related traders LH Austria and LH Swiss only. Out of the *** machines *** machines were exported directly to Indian customers and *** machines were sold through its related importer LH India. LH Dalian has claimed adjustment on account of overseas transportation, overseas insurance, inland transportation, credit cost, bank charges, port and other related expenses, and other additional equipment charges.

84. LH Dalian and other parties involved in the value chain provided the PCN wise information in the relevant appendices. The aforesaid adjustments and PCN wise information have been verified and accepted by the Authority. The Authority also examined the profitability of these export transactions. Accordingly, the export price for the subject goods at ex-factory level for SDLG has been determined and shown in the dumping margin table below.

XCMG Construction Machinery Co., Ltd. Technology Branch, Xuzhou Construction Machinery Group Imp. & Exp. Co., Ltd., and Schwing Stetter (India) Pvt Ltd.

85. From the responses filed by XCMG Construction Machinery Co., Ltd. Technology Branch (“XCMG”) Xuzhou Construction Machinery Group Imp. & Exp. Co., Ltd., and its affiliated importer in India i.e., Schwing Stetter (India) Pvt Ltd. (“Schwing”), the Authority notes that XCMG is a producer of the subject goods in China PR and has exported the subject goods to India through a related trader to a related importer namely Schwing in India.
86. During the POI, XCMG has sold *** units of the subject goods in home market to their related company namely Xuzhou Construction Machinery Group Imp. & Exp. Co., Ltd., The related company, Xuzhou Construction Machinery Group Imp. & Exp. Co., Ltd., has sold *** units of the subject goods directly to India to related company Schwing. The related exporter namely Xuzhou Construction Machinery Group Imp. & Exp. Co., Ltd., has claimed adjustment on account of ocean freight, insurance, port and other related expenses, credit cost.
87. XCMG and other parties involved in the value chain provided the PCN wise information in the relevant appendices. The aforesaid adjustments and PCN wise information have been verified and accepted by the Authority. The Authority also examined the profitability of the traders reported in Appendix 5. Accordingly, the export price for the subject goods at ex-factory level for XCMG has been determined and shown in the dumping margin table below.

Normal Value & Export Price for non-cooperating producers/exporters

88. For all other producers/ exporters of China PR, export value has been determined based on facts available. Export price has been determined on the basis of transaction wise import data of the cooperating producers and exporters. Since these are CIF export price, these have been adjusted for expenses such as ocean freight, insurance, port expenses, bank charges, inland freight, credit cost, port and other charges to determine ex-factory export price.

Dumping Margin

89. It is noted that in the subject investigation many cooperating producers and exporters are related to each other and form a group of related companies. It has been a consistent practice of the Authority to consider related exporting producers and exporters as one single entity for the determination of a dumping margin and thus to establish one single dumping margin for them. This is in particular because calculating individual dumping margins might encourage circumvention of antidumping measures, thus rendering them ineffective, by enabling related exporting producers to channel their exports to India through the company with the lowest individual dumping margin. In accordance with the above, related producers and exporters have been regarded as one single entity and attributed one single dumping margin which was calculated on the basis of the weighted average of the dumping margins of the cooperating related producers and exporters.
90. Considering the normal value and the export price for the subject goods, the dumping margin for the subject goods from the subject country is proposed to be determined as follows:

Dumping margin table

Producer's/ exporter's name	CNV per unit (US\$)	NEP per unit (US\$)	Dumping margin per unit (US\$)	Dumping margin %	Dumping margin % range
Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.	***	***	***	***	80-90
Caterpillar (Qingzhou) Co., Ltd.	***	***	***	***	50-60
Caterpillar (Suzhou) Co., Ltd.	***	***	(***)	(***)	(30-40)
Caterpillar Group	***	***	***	***	40-50

Liebherr Machinery (Dalian) Co. Ltd	***	***	(***)	(***)	(30-40)
Shandong Lingong Construction Machinery (SDLG)	***	***	***	***	70-80
M/s XCMG Construction Machinery Co., Ltd. -Technology Branch	***	***	***	***	100-110
Any other producer	***	***	***	***	110-120

H. METHODOLOGY OF INJURY ASSESSMENT AND EXAMINATION OF CAUSAL LINK

91. Rule 11 of the AD Rules, 1995 read with Annexure II to the AD Rules, 1995 provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...”. Further, in considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
92. The Authority has examined the effect of dumped imports on the state of the domestic industry in the paragraphs below.

H.1 Submissions Made By The Other Interested Parties

93. The other interested parties have made the following submissions with respect to this:
- There is no legal basis or past precedence for such an adjustment by the Authority. It is considered a normal trade practice for imports made prior to the POI to be sold during the POI, and no adjustment can be made to account for this. Any adjustment in the import for the POI shall impact volume analysis, computation of NIP, evaluation of price undercutting/underselling and margin of dumping.
 - The Authority has rejected the POI of 15 months from Jan 2021-March 2022 and determined the POI as April 21-March 22. Now since the Authority has already excluded imports during January 2021-March 2021 from dumping determination, these imports cannot be adjusted thereafter.
 - If the aggregate imports from China PR in 2020-21 and the POI are combined and distributed equally in both years, there is still no absolute increase in import volumes from China PR. In fact, even after adjusting the imports in the POI, there is a consistent decline in import volume from China PR from 100 index points in 2018-19 to 78 index points in the POI.
 - Imports from the subject country have declined substantially during the POI to 43 as compared to 100 during the base year 2018-19. The decline in imports indicates that there is no volume effect caused by an absolute increase in imports.
 - Imports have decreased from 100 to 75 indexed points in relation to the domestic industry's production and from 100 to 58 indexed points in proportion to the demand in India. Market share of total imports has declined from 100 indexed points in 2018-19 to 59 indexed points in the POI. Market share of the domestic industry has remained stable during the injury investigation period.
 - Despite a contraction in demand, the share of imports has significantly declined, indicating a complete absence of a volume effect.
 - Even in the base year and preceding years, when there was no dumping, there was positive price undercutting at similar levels as in the POI. This suggests that the price undercutting is not a result of dumping but rather due to a lack of direct comparison between the imported wheel loaders and the domestic industry's products.

- viii Even if there is positive price undercutting during the POI, it is important to note that there is no injury to the domestic industry. The computed margin of price undercutting and price underselling in the application falls within the range of 40-60%. This indicates that the domestic industry was selling its products at their optimum price, which is equivalent to the non-injurious price. Since there is no volume effect and no evidence of injury to the domestic industry, it can be concluded that there is no injury to the company.
- ix According to Annexure III of the AD Rules, 1995, the best utilization of raw materials, production capacities, and utilities of the domestic industry over the past three years and the period of investigation (POI) should be taken into account. It is important to note that starting from April 1, 2021, the PUC was required to be manufactured under the CEV Stage IV emission standards. Prior to that date, the applicable emission standard was CEV Stage III. Certain interested parties assert that there is no discretion regarding the applicability of Annexure III in determining the non-injurious price. The non-injurious price must be determined in accordance with Annexure III, even if there were differences in the utilization of raw materials, utilities, and production capacities during the POI due to the implementation of CEV Stage IV emission norms.
- x The landed value of imports increased by 24% in the POI compared to the base year. If the injury to the domestic industry was truly due to cheap imports, they could have raised their price by at least 24% to align with the increased import prices. The fact that the domestic industry's price increase is only 17% suggests that factors other than imports are influencing their pricing.
- xi The change in cost has actually decreased by 97% in the POI, while their selling price has increased by over 2,000%. Therefore, there is no evidence of price suppression in the present case.
- xii The domestic industry's CIF prices for the PUC are far higher than the prices indicated for the PUC from China and are even higher than the other countries whose CIF value of exports have been indicated in Exhibit 1.4 of the application.
- xiii There are a total of 7 domestic producers of the subject goods in India. Injury to the domestic industry, if any, is due to inter se competition between the domestic producers of the subject goods in India.
- xiv Market share of the domestic industry has increased by 3 indexed points and the market share of other domestic producers has increased by 32 indexed points. Sales of other Indian producers have increased substantially during the POI to 98 as compared to 60 during the previous year.
- xv There was an abnormal increase in imports during the quarter of January 2021 to March 2021, which led to an abnormal increase in sales of imported wheel loaders and consequently market share in the POI. Therefore, the market share of the imports was temporarily higher than usual in the POI. Even in such a situation, the market share of imported wheel loaders have not increased in the POI as compared to previous years.
- xvi The fact that the domestic industry has been able to improve its market share in a scenario where the demand has contracted significantly indicates that there is no injurious effect on account of the imports.
- xvii Despite the fall in demand in the market, sales of the domestic industry did not decrease in tandem with the fall in demand. This shows that the domestic industry was able to maintain its market share.
- xviii The domestic industry was earning profits in 2018-19. However, the domestic industry is incurring losses since 2019-20. Losses incurred by the domestic industry has increased in 2020-21 but has improved from (1788) indexed points in 2020-21 in (877) indexed points.
- xix Imports from China PR declined in 2019-20 as compared to 2018-19. However, the domestic industry incurred losses in 2019-20 as compared to 2018-19. Even though the increase in losses coincides with the increase in imports from China PR, impact of increased imports in 2020-21 was felt by the domestic industry in the POI, and not 2020-21. This is because wheel loaders were majorly imported between January 2021 to March 2021, and were resold during the POI. However, the losses incurred by the domestic industry reduced substantially in the POI as compared to 2020-21.
- xx There is no threat of material injury on import of the subject goods from China PR.

- xxi It is also not clear how the increase in inventory in 2020-21 as compared to 2018-19 was more than six times when the domestic sales of JCB during the same period was stable and declined only by 7 index points.
- xxii Since there is a substantial cost and price difference between BS III complaint wheel loaders and CEV Stage IV compliant wheel loaders, it is inappropriate to compare the two different product categories i.e., CEV Stage IV compliant wheel loaders (imported during POI) vis-à-vis BS III complaint wheel loaders (manufactured by the domestic industry before POI and sold during the POI).
- xxiii The evaluation of the import data and economic parameters of the domestic industry on a monthly/quarterly basis is necessary to objectively evaluate the impact of imports. Evaluation of the data on a monthly/quarterly basis is necessary to avoid any distortion due to the resale of wheel loaders complying with BS-III norms, manufactured before the period of investigation.
- xxiv The injury should be assessed strictly as per Annexure-II and the Gujarat High Court judgment which confirms that there is no requirement to assess injury margin/price underselling. The respondents request not to refer to price underselling/injury margin to assess material injury or threat of material injury.
- xxv The POI is a period of recovery for the domestic industry, as its losses have declined significantly, indicating the absence of nexus between the imports and financial health of the domestic industry.
- xxvi It is submitted that the domestic industry's ability to raise investment has not been impacted at all. This is evident from the fact that the domestic industry has invested ₹ 100 million in a factory near Vadodara in Gujarat and commenced production since April 2022. The domestic industry has participated in "Invest Rajasthan 2022" and signed MOU for new investments in Rajasthan.
- xxvii There is unexplained increase in capital employed. Capital employed has increased to 179 indexed points in the POI from 100 indexed points in 2018-19. However, there is no increase in capacity during the investigation period.
- xxviii The return on capital employed in the POI has improved as compared to previous year, and is almost at par with 2019-20 levels, when there are admittedly no dumped imports.
- xxix In the POI, the domestic industry retrenched a large number of persons (about 400 persons) at the senior level, as the organization was top heavy. This happened for all segments and was not confined to wheel loaders. The wages show a healthy improvement as compared to the base year. The employment and wages do not indicate any injury to the domestic industry.
- xxx Number of employees has declined to 79 during the POI as compared to 100 during the base year 2018-19 whereas wages have increased from 100 during the base year 2018-19 to 128 during the POI. However, the number of employees and wages don't get affected directly from the imports from China PR.
- xxxi The domestic sales increased relative to production on account of backlog inventory available with the domestic industry at the beginning of FY 2021-22. Import volume during the POI declined relative to the domestic industry's domestic sales and demand.
- xxxii There is a marked decline in the closing inventory for the domestic industry. In fact, in 2020-21, the domestic industry had huge inventories, which it has been able to liquidate during the POI. The closing inventory at the end of POI, is comparable to that in the base year. The closing inventory does not indicate any extra-ordinary accumulation of inventory of the domestic industry at the end of the POI.
- xxxiii The Authority is requested to assess inventory levels on a semi-annual basis since the domestic sales were impacted by government regulations and backlog inventory.
- xxxiv The profitability parameters reflected improvement during the POI as the COVID-19 subsided and imports from all sources including subject country declined substantially.
- xxxv The productivity per day and productivity per employee declined during 2019-20 and subsequently increased during 2020-21. The number of employees and wages paid declined during POI due to a slowdown in demand and the sale of backlog inventory.
- xxxvi The capacity of the domestic industry remained constant during the POI and the injury period. The production and capacity utilization of the domestic industry declined in 2019-20 and the POI.

Production during POI has declined on account of the resale of backlog inventory. The domestic industry has not utilized its existing capacity to cater export market. This resulted in low-capacity utilization.

- xxxvii The domestic industry had not provided justification why there is significant variation in their capacity utilization figures during the injury period. Also, profitability improved in the period of investigation despite all allegations of injury.
- xxxviii The domestic industry has performed well, and their losses, cash profits and ROCE all improved during the period of investigation. The domestic industry itself has claimed that the “construction equipment industry could grow 25% in 2021, regain pre-Covid peak in 2022”.
- xxxix The domestic industry has neither furnished any data nor claimed any decline in growth.

H.2 SUBMISSIONS MADE BY THE DOMESTIC INDUSTRY

94. The domestic industry have made the following submissions with respect to this:

- i The domestic industry requests the Authority to appropriately adjust the imports of the January to March 2021 quarter to the POI for the purpose of a fair and accurate assessment of injury.
- ii The decline in the volume of imports from the year 2020-21 in the POI is on account of imports made in huge quantities in the last quarter of FY 2020-21 due to changes in the emission regulations.
- iii The introduction of the compulsory use of CEV Stage IV emission standards led to a situation of large-scale stocking and selling in the Indian market, wherein several buyers/dealers imported substantial quantities of the PUC in the quarter of January-March 2021 and stored the same as inventory. The same stock was then sold over a longer period from April 2021 to November 2021. Accordingly, the PUC imported in the period January to March 2021 were ultimately sold in the subsequent period.
- iv A majority of imports (of the POI) took place in Jan-March 2021 whereas the resulting market distortion, undercutting and injurious impact was only experienced in the months of the proposed POI as the stocked imports started entering the domestic commercial market at low prices.
- v A simplistic analysis of volume effect which does not take into account the context in which imports have been made would not be an objective examination of facts, and would therefore, be a violation of an investigating Authority's overarching obligation.
- vi The imports during the POI were only limited due to the inventory collected by the importers in the last quarter of FY 2020-21. The dumped imports were sold at low prices in the domestic market during this period and caused injury to the domestic industry.
- vii The reason for the domestic industry's increase in losses through the injury period can be attributed to the price undercutting exhibited by the dumped imports, along with the (i) rapid increase in the volume of subject imports, and (ii) the domestic industry's inability to increase its prices commensurate to the increase in cost owing to the low prices at which imports were being made.
- viii The volume of imports from the subject country has increased by 26 indexed points in the year 2020-21, as compared to the previous year.
- ix In 2020-21, the imports increased significantly. In particular, the imports made in the quarter of January to March 2021 were stockpiled for sale during the POI. However, the cost of the products increased by 20 indexed points as compared to the previous year, while the domestic industry could only increase its prices by 5 indexed points as compared to the previous year. It was only able to increase its prices by 4 indexed points as compared to the base year, in the face of an increase of 30 indexed points in the cost of the product as compared to the base year.
- x Chinese exporters have been engaging in dumping in the previous years as well, and have been undercutting the market. This has caused tremendous injury to the domestic industry.
- xi The volume of imports from China PR in relation to the production of the domestic industry has increased from 100 indexed points in 2018-19 to 113 indexed points in the year 2020-21 then declined in the POI to 75 indexed points on account of the increased imports in the last quarter of January-March 2021 of the year 2020-21.

- xii The imports from China PR are coming at prices below the domestic selling price of the domestic industry, thus, heavily undercutting the selling price and injuring the domestic industry. These declining prices led to an increase in losses suffered which are directly attributable to low-priced imports from China PR.
- xiii The domestic industry was unable to increase its prices due to the dumped prices of the imports in the market. The selling price is significantly lower than the non-injurious price.
- xiv While the price undercutting remained in the same range as the previous year in 2019-20, there was a rise in the cost to sell the products by 10 indexed points as compared to the previous year.
- xv The imports are coming into India at a much lower price compared to the non-injurious price. Further, these low-priced imports adversely affected the performance of the domestic industry, thereby preventing the domestic industry from achieving a fair selling price thereby causing severe material injury.
- xvi The cost to make and sell has increased substantially for the domestic industry, i.e., by 30 indexed points in the POI compared to the base year 2018-19. During the same period, the domestic industry could not increase the selling price of the PUC commensurately with the increase in its cost, on account of imports from the subject country. Further, the price suppression increased substantially in the POI on account of dumped imports.
- xvii The apparent demand/consumption for the year 2020-21 calculated based on the import data, as available, is skewed since a substantial volume of imports were made in the last quarter of January-March 2021, which were ultimately sold in the subsequent period (i.e., April to November 2021). Accordingly, the import volumes of the last quarter of FY 2020-21 should be appropriately adjusted to assess the actual demand.
- xviii There is a minor decline in demand compared to the base year. The minor decline in the demand is on account of the fact that the year 2018-19 witnessed an increase in demand for construction equipment (including the PUC) due to significant investments in infrastructure-related projects in the country.
- xix The demand for the PUC has declined in the POI compared to the year 2020-21 and the base year on account of the excess imports made in the last quarter of January-March 2021. The domestic sales of the domestic industry declined at a much faster pace compared to the demand for the subject goods in the country. This clearly indicates that the domestic industry is not able to sell its products in the market on account of dumping of the PUC from the subject country.
- xx The domestic industry has lost market share compared to the previous year 2020-21.
- xxi While the imports from the subject country have lost market share in the POI compared to the previous year 2020-21, the same is on account of pent-up imports in the last quarter of the FY 2020-21 due to changes in the emission regulations.
- xxii The market share of the imports from China PR's market share increased in the year 2019-20 & 2020-21 compared to the base year 2018-19
- xxiii The installed capacity of the domestic industry has remained constant. However, capacity utilization has declined in the POI compared to the previous year or base year.
- xxiv There has been a reduction in the productivity, employment, and wages of the domestic industry. The same remains far below the potential of the domestic industry to offer sustainable employment and wages.
- xxv Aggressive dumping, and pricing by the exporters from the subject country have led to a significant decline in all the financial performance indicators such as PBIT, cash profits, and return on capital employed of the domestic industry.
- xxvi The level of the inventories of finished goods has increased substantially in the POI compared with the base year 2018-19.
- xxvii The PUC is part of a large product portfolio for the domestic industry, and the decline in the financial performance has adversely affected the domestic industry's overall capability to raise capital at competitive rates.

- xxviii LiuGong has argued that since the domestic industry has failed to provide post-POI data, it cannot make any claim regarding threat of material injury. In this regard, it is submitted that while a threat of material injury assessment may include the analysis of post-POI data, the same is not mandated by Para. (vii) of Annexure II of the AD Rules, 1995.

H.3 Examination By The Authority

95. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve an examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... taking into account all the relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles...”. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude, and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II to the Rules.
- i The Authority has taken note of the various submissions made by the domestic industry and the other interested parties on injury and has analyzed the same as per the evidence available on record.
 - ii The domestic industry has argued that the imports made in the period of January-March 2021 should be considered as part of the POI for the purposes of injury analysis. In this regard, the Authority notes that Government of India, vide notification dated 30th September 2020, mandated the compulsory use of CEV Stage IV emission standards for diesel non-road engines used in construction and agricultural equipment from the existing Bharat Stage III standards. Accordingly, with effect from 1st April 2021, the PUC was mandatorily required to be manufactured under the CEV Stage IV. However, the PUC manufactured or imported prior to 31st March 2021, could still be sold in the Indian market until 30th November 2021. The Authority notes that substantial imports made in the period of January – March 2021 may have been sold during the period of investigation by the related importers of the exporters. However, the Authority notes that there are no precedents to attribute the pre-POI import data to the POI imports. Therefore, the Authority has analysed the injury in the subsequent paragraphs in a manner consistent with the practice of the Authority.
 - iii The Authority notes several submissions made by the interested parties on the improvement of market share of the other domestic manufacturer of wheel loaders and increase in the *inter-se* competition between the domestic producers. The Authority notes that market share of the imports from the subject country has increased until the year 2020-21 compared to the base year of 2018-19 but witnessed a decline in the POI. As noted above by the Authority, various importers/exporters have exported the PUC in substantial quantities in the pre-POI period, which were sold during the POI.
 - iv The Authority further notes that the various submissions have been made by the interested parties regarding the improvement of economic parameters of the domestic industry. In this regard, the Authority has carried out a detailed examination of the economic parameters, to assess current injury, if any, to the domestic industry.

H.3.1 VOLUME EFFECT OF THE DUMPED IMPORTS

a) ASSESSMENT OF DEMAND

96. The Authority has determined the demand or the apparent consumption of the product in India, as the sum of domestic sales of the domestic industry, supporter and other domestic producers, and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Sales of domestic industry	Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	69	93	76
Domestic sales of Supporters	Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	31	35	19
Sales of Other Domestic Producers	Nos	***	***	***	***

Trend	Indexed	100	97	62	98
China - Dumped Imports	Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	82	109	42
China – Un-dumped Imports	Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	83	97	70
China - Total Imports	Nos	1308	1071	1419	552
Trend	Indexed	100	82	108	42
Imports from other countries	Nos	48	18	35	32
Trend	Indexed	100	38	73	67
Total Demand	Nos	***	***	***	***
Total Demand	Indexed	100	84	85	73

97. The Authority notes that total demand in the POI declined compared from the year 2020-21 as well as base year 2018-19. As noted by the Authority earlier, the same is on account of the imports in substantial volume made in the pre-POI period which were sold during the POI. The domestic industry submitted that the decline in demand compared to the base year of 2018-19 is on account of the fact that the year 2018-19 witnessed an increase in demand for construction equipment (including the PUC) due to significant investments in infrastructure-related projects in the country.

b) IMPORT VOLUME AND SHARE OF THE SUBJECT COUNTRY.

98. The effect of the volume of dumped imports from the subject country as well as imports from other countries have been examined by the Authority as follows:

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Import from the subject country	Nos	1308	1071	1419	552
- Dumped Imports	Nos	***	***	***	***
- Un-dumped Imports	Nos	***	***	***	***
Import from non-subject country	Nos	48	18	35	32
Total Imports	Nos	1356	1089	1454	584
Dumped Imports in relation					
- Production	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	118	109	72
- Indian Demand	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	97	128	57
- Total imports	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	101	96

99. Various interested parties claimed the imports of the subject goods from the subject country have declined significantly in the POI compared to the previous year. As noted above, the Government of India, vide notification dated 30th September 2020, mandated the compulsory use of CEV Stage IV emission standards for diesel non-road engines used in construction and agricultural equipment from the existing Bharat Stage III standards. Accordingly, with effect from 1st April 2021, the PUC was mandatorily required to be manufactured under the CEV Stage IV. However, the PUC manufactured or imported prior to 31st March 2021, could still be sold in the Indian market until 30th November 2021. The Authority notes that substantial imports made in the period of January – March 2021 may have been sold during the period of investigation by the related importers of the exporters.

100. Therefore, the overall imports of the subject goods declined in the POI from the base year 2018-19. As noted in the above paragraphs, quantities imported in 2020-21, were sold in the domestic market during the period of investigation. Accordingly, the imports declined in the POI.
101. The Authority further notes that:
- Dumped imports from the subject country in relation to production of the domestic industry increased in the year 2020-21 from the base year and declined in the POI.
 - The imports from the non-subject countries as well as un-dumped imports have declined over the injury period.
 - The dumped imports from the subject country have declined in both absolute terms and in relation to production and consumption in the POI. However, imports have increased in the year 2020-21 compared to the base year 2018-19.

H.3.2 PRICE EFFECT OF THE DUMPED IMPORTS

102. Various interested parties have argued that the domestic industry is not suffering price injury. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in normal course.
103. Accordingly, the impact on the prices of the domestic industry on account of dumped imports of the subject goods from the subject country has been examined with reference to price undercutting and price suppression/depression, if any. For the purpose of this analysis the cost of sales and the net sales realization (NSR) of the domestic industry have been compared with the landed price of the subject imports from the subject country.

a) Price Undercutting

104. In order to determine, whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, price undercutting has been worked out by comparing the landed price of the subject imports with the selling price of the domestic industry during the injury period. Due to significant difference in the prices of PCNs proposed in the present investigation, the Authority has determined the price undercutting separately for each PCN.

Particulars	Unit	2018-19			2019-20			2020-21			POI		
		A1XU	B2YM	Total	A1XU	B2YM	Total	A1XU	B2YM	Total	A1XU	B2YM	Total
Import Quantity	Units	***	***	1308	***	***	1071	***	***	1419	***	***	552
Net Sales Realization	INR in Lacs/Unit	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Landed Price	INR in Lacs/Unit	***	***	35.37	***	***	30.50	***	***	33.28	***	***	44.13
Price Undercutting	INR in Lacs/Unit	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Price Undercutting	% - Range	40-50%	40-50%	40-50%	40-50%	40-50%	40-50%	30-40%	40-50%	40-50%	20-30%	40-50%	30-40%

105. Interested parties have argued that even when there was no dumping, there was positive price undercutting. In this regard, the Authority notes that there is no evidence on record which suggests that there was no dumping during the injury period.
106. It has also been argued that since the price undercutting and injury margin are in the same range, it is indicative that the domestic industry is selling its products at their 'optimum' price. In this regard, the Authority notes that the NIP and NSR solve different purposes during an investigation, and cannot be compared. It may be noted that the NIP is a notional price, which is calculated in accordance with the methodology prescribed by Annexure III. On the other hand, NSR is the actual price at which the domestic industry has sold the PUC in the domestic market. In any case, on examining the actual figures of the domestic industry, the Authority notes that the landed price of the subject imports is below the NSR of the domestic industry resulting in positive price undercutting.

e) Price Suppression / Depression

107. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to depress domestic prices to a significant degree or prevent increases in domestic prices which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority notes the changes in the costs and prices over the injury period. Due to significant difference in the prices of PCNs proposed in the present investigation, the Authority has analysed the price suppression /depression separately for PCNs.

Particulars	Unit	2018-19			2019-20			2020-21			POI		
		A1XU	B2YM	Total	A1XU	B2YM	Total	A1XU	B2YM	Total	A1XU	B2YM	Total
Import Quantity	Units	***	***	1308	***	***	1071	***	***	1419	***	***	552
Net Sales Realization	INR in Lacs/Unit	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	98	94	90	99	94	93	112	113	120
Landed Price	INR in Lacs/Unit	***	***	35.37	***	***	30.50	***	***	33.28	***	***	44.13
Trend	Indexed	100	100	100	99	89	86	108	92	94	136	112	125
Cost of Sales	INR in Lacs/Unit	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	109	104	101	125	127	124	125	140	145

108. It is seen that throughout the injury period, the landed price of the subject imports has remained below the cost and the selling price of the domestic industry. The landed price of the subject imports and selling price of the domestic industry declined in 2019-20, however, during the same period the cost of the domestic industry increased. Further, in the year 2020-21, both landed price and selling price increased at almost the same rate but the cost has increased at significant rate. Further, in the period of investigation, increase in landed price of the subject imports is more than the increase in the cost and selling price of the domestic industry. However, the selling price and landed prices is significantly lower compared to the cost of sales.
109. With regard to the interested parties' submission that the landed value increased at a higher rate than the domestic selling price, the Authority notes that the domestic industry was unable to increase its prices due to the price pressure created by the dumped imports.
110. Based on the indexed figures of the domestic industry, certain interested parties also argued that the cost has decreased by 97 indexed points, while the domestic industry's selling price has increased by 20 indexed points. The Authority finds this argument to have no factual basis.

H.3.3 Economic Parameters Pertaining To The Domestic Industry

111. Annexure - II of the Rules lays down that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on the domestic producers of such products. The Rules further provide for an objective evaluation of all relevant economic parameters and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity: factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

a) Capacity, Production, Capacity Utilization And Domestic Sales

112. The capacity, production, capacity utilization and domestic sales over the entire injury period was as follows:

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Capacity - PUC	Units	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	100
Production - PUC	Units	***	***	***	***

Trend	Indexed	100	69	100	57
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	69	100	57
Domestic Sales - PUC	Units	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	69	93	76

113. Interested parties have raised concerns about the ‘variation’ in the capacity utilization of the domestic industry. In this regard, it has been noted that the domestic industry’s capacity utilization increased in 2020-21, owing to the impending change in emission standards. The domestic industry produced both BS-III and CEV-IV norms compliant wheel loaders in that period. It is also seen that:

- i. The installed capacity of the petitioner has remained constant. However, the domestic industry is operating with idle capacities.
- ii. The production and domestic sales for the PUC has declined in the POI compared to the year 2020-21 and the base year.

b) Market Share

114. Various interested parties have argued that despite the contraction in demand, the market share of the subject imports has declined, while the market share of the domestic industry has remained stable. In this regard, the Authority notes that the market share of the subject imports and the domestic industry over the entire injury period was as follows:

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Imports from China PR	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	97	128	58
Imports from other countries	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	45	86	91
Total Imports	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	126	59
Domestic industry	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	82	110	104
Market Share of Supporters	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	37	41	26
Other Domestic Producers	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	115	73	134
Total	%	100%	100%	100%	100%

115. It is seen that the market share of the imports from the subject country has declined particularly in the period of investigation. However, as noted above, substantial quantities of the PUC were imported in the pre-POI period which were sold during the period of investigation. During the same period, market share of the domestic industry remained same.

116. The Authority notes that the market share of the other domestic producers (including LiuGong India and Caterpillar India) has improved considerably, on the other hand, the market share of the domestic industry and supporter has declined. However, the Authority notes that market share of the imports from the subject country has increased until the year 2020-21 compared to the base year of 2018-19 but witnessed a decline in the POI. As noted above by the Authority, various exporters have exported the PUC in substantial quantities in the pre-POI period, which were further sold by their domestic affiliates/importers during the POI.

c) Profitability, Cash Profits And Return On Investments

117. Information with respect to profitability, return on investment and cash profits was as follows:

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Cost of Sales	INR in Lacs/Unit	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	110	131	131
Selling Price	INR in Lacs/Unit	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	99	104	117
Profit/(Loss)	INR in Lacs/Unit	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	-654	-1788	-931
Profit/(Loss)	INR in Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	-453	-1665	-710
Cash Profits	INR in Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	-276	-1111	-463
PBIT	INR in Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	-453	-1665	-710
Return on capital employed	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	-522	-889	-423

118. Interested parties have argued that the losses incurred by the domestic industry have declined in the POI, as compared to the previous year. In this regard, the Authority notes:

- i. The profitability of the domestic industry has declined significantly, and the domestic industry is incurring losses.
- ii. The domestic industry started incurring cash losses from 2019-20.
- iii. While the losses of the domestic industry declined in the period of investigation, the losses are at significant levels.
- iv. The return earned by the domestic industry is negative.

119. Interested parties have also argued that even though the imports made between January 2021 – March 2021 were sold in the POI, the domestic industry's losses have decreased in the POI. Interested parties have also argued that profitability parameters have improved during the POI, and therefore, that period was a period of recovery for the domestic industry. In this regard, the domestic industry submitted that it could increase the selling price of the PUC slightly from the previous year at higher rate than increase in the cost, therefore the losses declined in the POI compared to the previous year. However, the domestic industry's prices continued to remain suppressed by the dumped imports from China, and therefore, the domestic industry continued to make extreme losses during the POI.

d) Inventories

120. Information with respect to inventories is as follows:

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Opening Inventories	Unit	***	***	***	***
Closing Inventories	Unit	***	***	***	***

Average Inventories	Unit	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	166	688	646

121. Interested parties have argued that it is not clear how the increase in inventory in 2020-21 as compared to 2018-19 was more than six times, when the domestic sales of the domestic industry only declined slightly. In this regard, the Authority has verified the information provided by the domestic industry. The Authority notes that due to the change in emission norms in 2020-21, the domestic industry also manufactured BS-III compliant wheel loaders before March 31, 2021, for sale in the domestic market till November 30, 2021. Accordingly, there was a spike in the opening inventories in the beginning of the POI, i.e., April 1, 2021. However, the Authority also notes the closing inventory of the domestic industry stabilized to pre-2021 levels during the POI. Therefore, the average inventory during the POI has increased compared to the base year.
122. Additionally, the Authority also notes that the decline in the domestic sales of the domestic industry in the POI is substantial.
123. Interested parties have requested the Authority to assess the inventory on a semi-annual basis. In this regard, the Authority has followed its consistent practice to assess injury to the domestic industry's economic parameters. It is seen that the average inventory of the domestic industry has increased throughout the injury period.

a) Productivity, Employment, And Wages

124. Information with respect to productivity, employment and wages over the injury period is as under:

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Productivity per day	Units/Day	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	69	100	57
Productivity per employee	Units/Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	90	109	73
Employment	Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	77	91	79
Wages	INR in Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	117	178	128

125. Productivity, and employment have declined over the injury period. However, the wages have increased in the period of investigation compared to the base year.
126. Interested parties have argued that 400 employees were retrenched during COVID. In this regard, the domestic industry has clarified that majority of these employees were re-hired in the same year.

b) Growth

127. The information with respect to growth of the domestic industry with respect to the base year is given below:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	POI
Production	Y/Y	-30.87%	44.05%	-42.38%
Sales	Y/Y	-30.82%	34.60%	-18.08%
Profit/(Loss) per unit	Y/Y	-754.15%	173.28%	-47.94%
Inventory	Y/Y	65.85%	314.71%	-6.03%

Market Share	Y/Y	-17.72%	33.50%	-5.35%
Profit/(Loss) before tax	Y/Y	-552.54%	267.83%	-57.35%
Cash Profit	Y/Y	-376.07%	302.43%	-58.31%
ROI	Y/Y	-621.64%	-70.49%	52.46%

128. It is seen that the growth of the domestic industry has been negative on all the parameters in the period of investigation except return on investment. However, the domestic industry continues to have a negative return on investments in the POI. The growth of the domestic industry was negative as compared to 2019-20.

c) Ability Of Raise Capital Investments

129. The interested parties have argued that the domestic industry has made new investments in Rajasthan and Gujarat. It is seen that the ROCE earned on investments on the PUC already made is negative.

d) Magnitude Of Dumping Margin

130. It is seen that the dumping margin is more than *de minimis* and significant.

H.4 CAUSAL LINK AND NON – ATTRIBUTION ANALYSIS

H.4.1 Submissions Made By The Other Interested Parties

131. The other interested parties have made the following submissions with respect to the this:

- i The domestic industry's claim of injury is patently false, as Caterpillar India has not made loss making sales during the POI in the domestic market.
- ii There has been a very sharp decline in the demand for the subject goods, mainly on account of the effects of the COVID-19 Pandemic. The demand has fallen from 100 in the base year to 74 in the POI. The fall in demand has caused a decline in the production of the domestic industry, resulting in loss of economies of scale, escalation in costs, etc., making the domestic industry's products overpriced for the Indian market. The injury if any is on account of the sharp contraction in demand.
- iii Consequent to the change in emission norms, the domestic industry had to upgrade its facilities and selection of components, resulting in cost escalation. The BS-IV wheel loaders were more expensive, and it took the market some time to adapt to higher priced products. The change in norms created a disturbance on the demand and supply front, causing temporary adverse effect on the domestic industry and other Indian producers. Such ill effects cannot be attributed to the imports.
- iv The respondents specifically submit that the domestic industry has specifically omitted reference to competition between domestic producers as the other known factor causing injury to the domestic industry.
- v The wheel loader market is operating on thin margins, due to stiff competition between domestic producers. The profitability of all domestic producers has remained moderate due to severe price competition. The price in the Indian market is not driven by the imports, but by the competition between the local producers.
- vi The POI data regarding total imports into India from China PR and domestic sales of self-produced wheel loaders by LiuGong India shows that the performance of the domestic industry is impacted by competition between the domestic producers.
- vii When sales of other domestic producers in India during the POI is also analysed, it would be clear that the domestic industry is impacted by competition between domestic producers and not by imports into India.
- viii Despite the decline in the domestic industry's sales volume, there is an unreasonable increase in the expenses on commissions, discounts, rebates, etc.
- ix The domestic industry has incurred high depreciation costs. The domestic industry has experienced losses since 2019-20, primarily due to an increase in depreciation costs. The depreciation cost has risen from 100 index points in 2018-19 to 179 index points in 2019-20. Concurrently, the profit before tax (PBT) of the domestic industry has declined from 100 index points in 2018-19 to (653) index points in 2019-20.

- x Furthermore, the domestic industry has failed to provide the information regarding the interest cost incurred during the injury investigation period, which is a violation of Trade Notice No. 05/2021.
- xi For 2020-21 and POI, the domestic industry incurred disproportionate higher freight, commission, and rebate, which adversely impacted the profitability. Such an increase in commission, discount, and freight is likely on account of (a) higher commission paid for the resale of backlog inventory; and (b) new offers such as preferential down payment and payment days introduced by the domestic industry to boost sales.
- xii In a report published by Indian Construction Equipment manufacturers Association (ICMA), for FY 2021-22, various industry leaders have given their views regarding the challenges faced in the year and the way forward. The industry players have stated that the FY 2021-22, has seen a decline in demand in the construction equipment industry due to supply constraints, COVID-19 etc. None of them have made a whisper saying that the imports are causing any injury to the industry. In fact, Mr. Deepak Shetty, Convener, ICEMA SMART Infra Panel and CEO & Managing Director of the domestic industry, has also pointed factors other than import to be a cause of concern. The domestic industry's claim that the injury suffered by them is on account of imports, is also not in line with the views of the other industry players.
- xiii The domestic industry's deterioration in economic parameters overlaps with the COVID-19 pandemic. In comparison to FY 2018-2019, FY 2019-2020 shows a decline in most of the sales-related metrics, followed by a rebound in FY 2020-2021, and then a small decline during the injury investigation period. This trend coincides with the COVID-19 pandemic and the period when the new Indian emission regulations come into effect. As a result, the domestic industry suffered the injury on account of the COVID-19 pandemic and not on account of the subject imports.
- xiv Earlier imports made during FY 2020- 21 were in anticipation of change in emission norms and thus it cannot be claimed that JCB suffered on account of the alleged dumped imports.
- xv The petition does not consider external factors like depressed market conditions, internal problems, COVID-19, devaluation of the rupee, inflation, price increase of bulk commodity on the global and Indian market.
- xvi The injury assessment should be done post removal of Bharat III norms since BS-III norm machinery will not be imported/sold in the future. Since anti-dumping duties are progressive in nature, machinery with obsolete emission norms/legally barred technology, should be removed for the purpose of any injury calculations.
- xvii The domestic industry's losses are on account of its own inefficiency and lack of acceptability of the domestic industry's 5.5 T (455ZX) wheel loader in the Indian market, on account of costly add-ons, for which there was no demand in the market.

H.4.2 Submissions Made By The Domestic Industry

132. The domestic industry has made the following submissions with respect to the this:

- i The imports of the PUC from countries other than China PR are not significant in terms of volume and are below *de-minimis*. Further, the price at which the imports are made from other than subject country is not injuring the domestic industry. Therefore, any injury to the domestic industry cannot be attributed to third country imports.
- ii The export performance of the domestic industry has not affected its financial performance. Crucially, the export performance of the domestic industry has not been taken into consideration when determining the effect of the dumped imports and the extent of the injury. Therefore, the injury cannot be attributed to the domestic industry's export performance.
- iii There has been no injury caused to the domestic industry on account of change in technology.
- iv The domestic industry has only considered information related to the PUC for the purpose of injury analysis. Therefore, the injury demonstrated above cannot be attributed to the performance of other products of the domestic industry.
- v During the POI, there were no such constraints (such as raw material shortages, power shortage, tax, capacity/investment constraints, etc.) on the operations of the domestic industry concerning the PUC.

- vi The PUC inventory level of the domestic industry at the onset of the plant shutdown was *** units which is enough to meet the demand of the country for approximately 30 days (based on the average demand per day in FY 2020-21).
- vii There are no trade restrictive practices that can be considered germane to the material injury suffered by the domestic industry.
- viii As demonstrated by the domestic industry, it has not incurred any interest cost during the POI or injury period. As a result, it has not reported the same as part of Proforma IV-A.
- ix The domestic industry submits that the capital employed has increased mainly on account of the inventory of wheel loaders.
- x The overall depreciation at plant level has decreased during the POI.
- xi It is submitted that the domestic industry was required to make certain investments in tooling and machinery required for the purpose of manufacturing CEV Stage IV wheel loaders. Therefore, there was a slight increase in the fixed assets employed.

H.4.3 Non-Attribution Analysis

133. As per the AD Rules, 1995, the Authority, *inter alia*, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are causing injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, *inter alia*, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry.

a) Volume Of Imports From Third Countries

134. The Authority notes that the imports of the product under consideration from non-subject countries are not in significant quantity. Also, the prices at which imports of the PUC were made from non-subject countries is significantly higher than prices of the subject country.

b) Export Performance And Captive Consumption

135. The Authority notes that the export performance of the domestic industry has not impacted its economic parameters. The export performance of the domestic industry has not been taken into consideration when determining the effect of the dumped imports and the extent of the injury caused to the domestic industry.

c) Development Of Technology

136. At the on-site verification, the domestic industry demonstrated that the change in emission norms did not attribute to the injury caused to the domestic industry.

d) Performance Of Other Products Of The Company

137. The domestic industry has only considered information related to the PUC for the purpose of injury analysis. Therefore, the injury demonstrated above cannot be attributed to the performance of other products of the domestic industry.

e) Trade Restrictive Practices And Competition Between The Foreign And Domestic Producers

138. There are no trade restrictive practices that can be considered germane to the material injury suffered by the domestic industry.

f) Contraction In Demand And Changes In Pattern Of Consumption

139. The Authority notes that demand of the subject goods as determined has declined in the POI. However, as noted above, this is predominantly on account of the imports in large quantities in the pre-POI period which were sold during the POI. Therefore, the demand figures were distorted in the POI on account of the change in the emission regulation. Thus, contraction in demand or change in the pattern of consumption could not have caused injury to the domestic industry.

140. The Authority notes several submissions made by the interested parties on the improvement of market share of the other domestic manufacturer of wheel loaders and increase in the *inter-se* competition between the domestic producers. In this regard, the Authority notes that the market share of the other domestic producers (including LiuGong India and Caterpillar India) has improved considerably, on the other hand, the market share of the domestic industry and supporter has declined. However, the Authority notes that market share of

the imports from the subject country has increased until the year 2020-21 compared to the base year of 2018-19 but witnessed a decline in the POI. As noted above by the Authority, various importers/exporters have exported the PUC in substantial quantities in the pre-POI period, which were sold during the POI.

141. During the on-site verification, it was demonstrated that the depreciation cost did not cause injury to the domestic industry. It was also verified that the domestic industry did not incur any interest costs. It was also noted that factors such as commission and freight have not caused injury to the domestic industry.

I. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

142. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the duly verified cost of production provided by the domestic industry for the POI. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the NIP, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III to the Rules.
143. Based on the landed price and the NIP determined as above, the injury margin as determined by the Authority is provided in the table below. Further, separate injury margin has been determined for PCNs.

Injury Margin

Producer's/ exporter's name	NIP per unit (US\$)	Landed value per unit (US\$)	Injury margin per unit (US\$)	Injury margin %	Injury margin % range
Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.	***	***	***	***	50-60
Caterpillar (Qingzhou) Co., Ltd.	***	***	***	***	30-40
Caterpillar (Suzhou) Co., Ltd.	***	***	***	***	(40-50)
Caterpillar Group	***	***	***	***	10-20
Liebherr Machinery (Dalian) Co. Ltd	***	***	***	***	(40-50)
Shandong Lingong Construction Machinery (SDLG)	***	***	***	***	30-40
M/s XCMG Construction Machinery Co., Ltd. -Technology Branch	***	***	***	***	70-80
Any other producer	***	***	***	***	70-80

J. POST-DISCLOSURE COMMENTS

J.1 SUBMISSIONS BY INTERESTED PARTIES

144. Post Disclosure comments made by the other interested parties is as follows:

- i The Authority is requested to confirm in the final finding the exclusion of wheel loaders in Completely Knocked Down (CKD) or component form and battery-operated wheel loaders from the scope of the PUC.
- ii Rated payload is a technical and a standard parameter that is used by all manufacturers of wheel loader. There is no reason to distrust the declared rated payload capacity of a producer. There is no incentive for the producer to overstate or understate rated payload capacity of its wheel loader since the wheel loader with a specific rated payload would be used for a specific industry segment.

- iii Rated payload alone is a determinative criterion for users. Rated payload is also determinative for deciding the applicability of wheel loaders in the concerned industry segment. Therefore, it is incorrect to undermine the significance of rated payload by stating that it is a self-certified parameter.
- iv JCB claimed that its model “would also have a rated payload capacity in the range of about 6,533 Kg” (as noted in para. 5. p of the disclosure statement) – it is not clear how the Authority observed in its examination that JCB model can lift about 7,000 Kg.
- v If such a sample or theoretical demonstration is the criterion, then the declared rated payload capacity of 7000 Kg can also lift and operate with a payload of about 8,300 Kg. Thus, the substantial gap between the wheel loader produced by the domestic industry and the wheel loader with a rated payload capacity of 7000 Kg will remain. It is arbitrary to compare the so-called theoretical payload of the domestic industry with the declared rated payload of Guangxi Liugong.
- vi It can be seen that rated payload capacity (of more than 7,000 Kg) is one of the mandatory criteria for seeking exclusion. In other words, if the imported wheel loader fulfils the condition (b), (c), and (d) but does have a declared rated payload capacity of 7,000 Kg or less, it will be covered within the scope of the PUC. It will not be excluded from the scope of the PUC on the ground that its ‘theoretical payload’ is 8,300 Kg even though the rated payload capacity is 7,000 Kg or less. Thus, the Authority should give equal weightage to the rated payload capacity throughout the investigation and cannot play fast and loose at the same time.
- vii With regard to the observation that wheel loaders with a rated payload capacity of 7,000 Kg have been imported into the country at a price much lower than the wheel loaders of rated payload capacity of 5,585 Kg, the respondents note that the price of wheel loaders with rated payload capacity of 7,000 Kg cannot be a relevant criterion while assessing the technical substitutability between these two products.
- viii The Authority has considered only parameters such as rated payload, engine gross power, the distance between the right and left wheel, and the distance between the front and back wheel axles. The Authority is requested to consider other parameters such as automatic/manual transmission, brake – wet brakes/dry brakes, and gear pumps/piston pumps.
- ix The detailed submissions highlighting statutory restrictions on the use of wheel loaders with a payload capacity of 5,585 KG to lift a payload of 7,000 KG have not been examined by the Authority.
- x SDLG has filed detailed submissions highlighting statutory restrictions on the use of wheel loaders with a payload capacity of 5,585 KG to lift a payload of 7,000 KG. These submissions were neither recorded nor examined by the Authority.
- xi Under the Motor Vehicles Act, 1988, JCB India Ltd.'s wheel loaders are legally restricted to carrying a maximum laden weight of 5,585 KG. This legal limitation makes them distinct from wheel loaders with a 7,000 KG payload capacity and not considered "like articles."
- xii There is a significant cost/price difference (i.e., about 40%) between automatic/manual transmission, brake – wet brakes/dry brakes, and gear pumps/piston pumps. GCPL is willing to provide actual cost differences on a confidential basis to the Authority.
- xiii The Authority has constructed normal value based on the domestic industry's data which is not comparable with the imported wheel loader on account of the aforesaid parameters i.e., transmission, brake, and pumps. The said finding is incorrect as these parameters have a significant bearing on the costs of wheel loaders.
- xiv The Authority is requested to compare normal value and injury margins for SKD wheel loaders independently and make necessary adjustments for accurate comparison, rather than comparing them with CBU wheel loaders.
- xv The demand/supply of the first two-quarters of the POI was plagued with exceptional circumstances that created abnormal market conditions – the same is being used as a pretext to claim injury. Therefore, the POI must be changed.

- xxvi Various factors such as COVID, changes in emission norms, etc should be considered while assessing injury.
- xxvii The change in norms resulted in cost escalation. The wheel loaders became more expensive and it took time for the market to adapt to higher-priced products. The change in norms which created a disturbance in demand-supply cannot be attributed to imports.
- xxviii There was a significant fall in demand on account of the COVID-19 pandemic, which in turn caused a decline in production. Thus, this resulted in loss of economies of scale, escalation in costs, etc and in turn making domestic industry's products overpriced.
- xix Inter-se competition between domestic producers has been overlooked and injury due to these factors has been attributed to imports.
- xx Illustrative calculation has been provided on a confidential basis – a levy of 20% duty would erode contractors' profitability by ***% and a levy of 40% would impact profitability by ***%. Interested parties are willing to provide actual calculations on a confidential basis to the Authority.
- xxi Imposition of duties would be detrimental to the users as the PUC is used in applications such as mining, port operations, and road construction.
- xxii CQL did not receive any questionnaire from the Authority. It came to know about the investigation from CCME.
- xxiii The name of the participating entity is Caterpillar (Qingzhou) Ltd and not Caterpillar (Qingzhou) Ltd.
- xxiv Caterpillar group's name was not given in the list of known exporters in the application. A hearing was fixed on PCN, but to Caterpillar groups surprise, it was not included in the parties called upon to participate. Despite making a specific request, it was not allowed to participate in the PCN hearing on 3rd November 2022.
- xxv Caterpillar group filed objections to PCN methodology on 2nd November 2022 and vide letter dated 4th November 2022 requested a meeting on PCN methodology. However, this was not accepted. On 17 November 2022, the Authority confirmed the PCN proposed at the time of initiation.
- xxvi CIPL is a domestic producer of wheel loaders as it manufactures under contract manufacturing in India. It undertakes various activities connected to the manufacturing of wheel loaders. CIPL would therefore qualify as a domestic industry under Rule 2(b) of the AD Rules.
- xxvii CMS manufactures in Banda, Maharashtra, and is neither an importer nor related to an exporter/importer of goods from China. CMS manufactures a substantial quantity of wheel loaders under the brand Hindustan and is one of the market leaders in its segment. Hence, CMS is an eligible producer and was required to be considered for pre-initiation polling and standing of JCB as a domestic industry. Polling is a pre-condition for the initiation of an investigation.
- xxviii L&T and Tata Hitachi, who are not involved in importing or producing the subject goods, should be included in the domestic industry scope.
- xxix Guangxi Liugong made substantial exports to India during the years prior to the POI but not during the POI.
- xxx The Authority has not examined the relevant factors for deciding the eligibility of a producer. An objective assessment of these factors would show that LiuGong India is an eligible domestic industry.
- xxxi There is no specific questionnaire for producers opposing the levy. CMS filed a communication providing certain information. No reason of finding has been given for exclusion of CMS from domestic producers eligible for consideration as a domestic industry.

- xxxii Caterpillar group denies that it has dumped wheel loaders to India. A determination be made that the exports of caterpillar entities are not at dumped prices, whereby investigation against these entities be terminated.
- xxxiii Various economic parameters have been changed. The petitioner did not mention anything about these changes in the written submissions filed by them post-oral hearing dated 14th April 2023. No information with regard to changes in the above parameters has been filed and circulated to other interested parties for their comments.
- xxxiv The Authority has observed that there is an improvement in domestic manufacturers' market share and an increase in *inter-se* competition between the domestic players. However, the Authority has given a finding that the domestic industry is suffering injury.
- xxxv There is no volume effect, hence there cannot be any injury on account of imports.
- xxxvi The Authority has noted that the market share of imports declined in the POI whereas the domestic industry's market share remained the same. This observation does not lead to the fact that JCB is suffering as its market share remains unchanged. In fact, other producers' market share increased.
- xxxvii The domestic industry's losses have declined significantly and it is in the recovery phase.
- xxxviii If losses incurred by the domestic industry were higher in the POI as compared to 2020-21, then it would be correct to claim that the imports are causing injury to the domestic industry. However, the losses incurred by the domestic industry declined substantially in the POI as compared to pre-POI period.
- xxxix Quarterly evaluation was requested because Chinese producers/exporters only sent CEV Stage IV compliant wheel loaders to India during the POI, while BS III compliant loaders and CEV Stage IV compliant wheel loaders were sold in the Indian market during different quarters. This discrepancy led to the request for quarterly injury assessments.
- xl The period of April 2021 – June 2021 should be excluded from the POI for eliminating the impact of second wave of Covid-19. The Authority has not provided any response to the claim that the adverse impact of second wave of Covid-19 pandemic in the POI should be excluded for assessing material injury.
- xli The domestic industry has huge inventories that it could not liquidate in the POI.
- xlii The injury margin computed for the Caterpillar group is very high which may be due to inappropriate NIP.
- xliii The domestic industry has suffered losses due to this significant increase in cost of sales which is due to a substantial increase in steel prices and other input costs.
- xliv If the rate of steel applicable during the POI is considered, it will result in an overtly high determination of NIP.
- xlv The Authority is requested to adjust the determination of NIP so that abnormal and temporary increases in steel prices would not result in an exaggerated and unrealistic determination of NIP.
- xlvi JCB incurs high sales and marketing expenses as a business strategy to optimise its sales. The said abnormal expenses would be reflected in the NIP and constructed normal value, which has in turn led to high dumping and injury margins. Appropriate adjustments may be made to set off additional expenses.
- xlvi Anti-dumping duty, if any, should be recommended for 2 years.
- xlvi The Authority should grant a lower rate of duty to the participating producer than the residual category.
- xlix The non-injurious price determined by the Authority is highly inflated and is not based on real situation. The Authority should adopt actual profit earned by the domestic industry during a period when dumping was not alleged and not 22% ROCE. Adoption of 22% gives undue protection to the domestic industry.

J.2 SUBMISSIONS BY DOMESTIC INDUSTRY

145. Post disclosure comments made by the domestic industry is as follows:

- i The domestic industry submitted that it was demonstrated during the spot verification that a wheel loader of 5,585 KG can lift and operate with a payload of about 7,000 KG.
- ii The domestic industry submitted that there are no legal constraints on a wheel loader to lift a higher or lower load than its self-declared rated payload capacity by any legal body, including the Ministry of Road Transport and Highways and the Automotive Industry Standards and submitted that wheel loaders above 5,585kg must not be excluded from the scope of the investigation.
- iii A wheel loader qualifies as a 'construction equipment vehicle' or 'non-transport vehicle' within the meaning of Rule 2(cab) of the Central Motor Vehicle Rules, 1989. None of the certification or registration documents are required to declare the payload/laden weight for this category (i.e., construction equipment) of vehicles. It may be noted that all tests relating to construction equipment vehicles are performed in unladen condition, in accordance with the Central Motor Vehicle Rules, 1989 which is demonstrated through a sample certificate of registration issued for a wheel loader by the International Centre for Automotive Technology.
- iv The laden weight is not specified for wheel loaders (or other construction equipment vehicles) in the certificate of registration. Therefore, Section 113(3)(b) of the Motor Vehicles Act, 1988 is not applicable to wheel loaders. Thus, the exclusion of wheel loaders merely on the basis of rated payload capacity is likely to result in any imposed anti-dumping duty being rendered redundant, since comparable wheel loaders may have different rated payload capacities.
- v Apart from establishing commercial substitutability, the fact that the price of LiuGong's model (rated payload capacity of 7,000 KG) is significantly lower than the domestic industry's model also implies that the LiuGong product is being sold at extraordinarily low and injurious prices, and directly competing with the domestic industry's product.
- vi With regard to wheel loaders with a rated payload capacity of 4,500 KG and less than 2,000 KG models are substitutable with the wheel loaders with a payload capacity of 4,500 KG technically and commercially. Therefore, to be included in the product scope of the investigation.
- vii Similarly, the domestic industry submits that a wheel loader with a payload capacity of less than 2,000 KG is substitutable with a wheel loader having a payload capacity of 3,300 KG and thus must not be excluded.
- viii It has been noted that none of the interested parties have provided any evidence of any model being included in the scope of the PUC unfairly due to a concurrent reading of the exclusion parameters. Accordingly, it has found that exclusion based on only one or two parameters is susceptible to circumvention of any imposed duties and has proposed to retain the 'and' exclusion conditions as part of the PUC.
- ix A product scope determined on the basis of only one parameter (such as the rated payload capacity), may result in the exclusion of wheel loaders which are substitutable with the domestic industry's products. Therefore, to prevent such a situation, it is essential to evaluate all four parameters simultaneously. It reiterates that a wheel loader is a complex engineering product, which must not be determined by a singular parameter/factor.
- x The domestic industry also reiterates that the scope identified for each exclusion parameter is not arbitrary, and is based on market research.
- xi A battery-operated wheel loader satisfies all 4 characteristics to fall within the scope of the PUC. The domestic industry reiterates that the PUC includes all wheel loaders irrespective of their mechanical energy delivery platform (i.e., internal combustion engine or battery-powered engine/motors). The engine or battery-powered motor is merely a platform meant to provide energy for the operation of the wheel loader. The only difference is that internal combustion engines convert thermal energy into mechanical energy whereas a battery-powered motor converts stored electrical energy into mechanical energy. Accordingly, such wheel loaders must be covered under the product scope of the investigation. From the

perspective of a user, the end-use of the products is the same, irrespective of differences in supply chain, development and testing infrastructure.

- xii The Authority has noted since the domestic industry has not alleged dumping for components, the inclusion of CKD units of wheel loaders may result in the inadvertent inclusion of components, and therefore, the expansion of the PUC.
- xiii The domestic industry agrees with the definition proposed by the Authority: “A wheel loader in SKD form consists of the machine body/chassis fitted with an engine, transmission, or axle in a single unit, which may or may not be fitted with one or more other components.” The proposed definition is based on the views expressed by various interested parties including the domestic industry. Importantly, the proposed definition ensures that the parts and components used in manufacturing of wheel loaders are not inadvertently included within the scope of the PUC.
- xiv The Authority has reiterated that the PCN methodology was finalized by the Authority vide Notification F. No. 6/4/2022 dated November 17, 2022, and that questionnaire responses were filed by the interested parties on the basis of the notified PCN methodology. The Authority has noted that submissions made after the expiry of the specific deadlines need not be entertained by the Authority. However, the Authority has addressed the comments received before after the finalization of PCN.
- xv Battery-operated wheel loaders should be included in the scope of the PUC.
- xvi The final PCN methodology allows for a comparison of imported and like articles on the basis of the kW (power) of the products.
- xvii It is crucial to bear in mind that PCN parameters are identified to enable a fair price comparison between the various product sub-categories. Therefore, any parameter selected for the PCN comparison must have a demonstrable and material impact on the cost and price of the product.
- xviii The parameters are examined separately in terms of impact on the overall price comparability to show a variation in the pricing of the PUC by a mere 2.44%:

Comparison of different Wheel Loader models on the basis of transmission, brakes and pumps					
S No	Parameter	Categories	Model/Variant	Price (INR)	Difference (INR)
1	Transmission	Manual	Avtech T22	***	
		Automatic	4WG115	***	***
2	Brakes	Wet	MT-L3055	***	
		Dry		***	***
3	Pumps	Piston		***	
		Gear		***	***
Total Difference in the cost				INR/Unit	***
Selling Price of the Wheel Loader				INR/Unit	***
Total Difference in the cost compared to the selling price				%	0-5%

- xix The domestic industry requests the Authority to include battery-operated wheel loaders in the scope of the PUC.
- xx The Authority has rightly noted that JCB India Ltd. is eligible to be considered as domestic industry under Rule 2(b) and 5(3) of the Anti-Dumping Rules. It has also rightly noted that LiuGong India Pvt. Ltd. and Caterpillar India Pvt. Ltd. are not eligible to constitute ‘domestic industry’ given their relationship with Chinese producers/exporters.

- xxi A majority of imports (of the POI) took place in pre-POI period whereas the resulting market distortion, undercutting and injurious impact was only experienced in during the POI as the stocked imports started entering the domestic commercial market at low prices. The domestic industry requests the Authority to find that the decrease in volume of dumped imports is distorted, and does not reflect the accurate market situation.
- xxii The domestic industry is operating with idle capacities, and that the production and sales for the PUC has declined in the POI as compared to the previous and the base year.
- xxiii The profitability of the domestic industry has been adversely affected due to intensified dumping by the exporters from the subject country and that the profitability has reduced significantly.
- xxiv The Authority has also clarified that the inventory of the domestic industry has been verified, and that the analysis has been done as per its consistent practice. It has also observed that majority of the 400 employees retrenched by the domestic industry were re-hired.
- xxv It has noted that factors such as imports from third countries, export performance and captive consumption, development of technology, performance of other products of the company, trade restrictive practices, contraction in demand, *inter-se* competition between domestic producers and depreciation cost have not caused injury to the domestic industry.
- xxvi In lieu of the provision of technical know-how and other requisite document/information, the domestic industry is required to pay a royalty at a pre-determined percentage of the sales made in the domestic market and exports to South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) nations. The domestic industry submits that while the royalty payable is accrued on the basis of sales, the same is payable for the provision of technical know-how as per transfer technology agreement.
- xxvii The Authority has noted that the PCNs differs in terms of associated cost and price of different, therefore has undertaken price undercutting, dumping and injury assessment for each PCN separately. In light of the, the domestic industry requests the Authority to recommend duties in the form of an ad-valorem basis.

J.3 Examination By Authority

- i The Authority has examined the post-disclosure comments/submissions made by the interested parties including reiterations which have already been examined suitably and adequately addressed in the relevant paras of these final findings. The issues raised for the first time in the post disclosure comments/submissions made by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below.
- ii With regard to certain arguments concerning the rated payload capacity of wheel loaders, the Authority notes that rated payload capacity is a crucial factor for the PUC and therefore has been considered as one of the parameters in the PCN. Further, it notes that rated payload capacity is a self-declared parameter.
- iii While wheel loader with the declared payload capacity of 7,000 KG may lift weight more than declared payload, the wheel loaders with 5,585 KG and 7,000 KG rated payload capacity have substantial overlap in various technical specifications as verified by the Authority. Wheel loaders with rated payload capacity of 5,585 KG and 7,000 KG can lift and operate with a load of 7,000 KG, and are being deployed for the same function at the same site. The domestic industry has demonstrated that wheel loaders of rated payload capacity of 5,585 KG and 7,000 KG are being used in the same market segment at the same site. In addition to the technical specification overlap, the commercial substitutability is also a relevant factor that has been considered. The Authority notes that wheel loaders of 7,000 KG are being imported at a price lesser than the domestic selling price of domestically produced wheel loaders with rated payload capacity of 5,585 KG. Therefore, it is clear that the wheel loaders with rated payload capacity of 5,585 KG are technically, commercially, and functionally substitutable with wheel loaders with rated payload capacity of 7,000 KG. In any case, the Authority reiterates that there is no requirement for the imported and like products to be identical but need to be similar to each other.
- iv With regard to the argument that there are legal constraints on wheel loaders of a rated payload capacity of 5,585 KG to lift and operate with a load of 7,000 KG, the Authority observes that the provision highlighted by the interested parties is not applicable to construction equipment vehicles, such as a wheel loader. Further, the Authority notes that registration certificate does not include any

specification/parameter with laden weight, therefore, the contention of the interested parties are inaccurate.

- v With regard to Caterpillar not receiving an adequate opportunity to provide its comments on the PCN methodology, the Authority notes that the initiation notification was published in the official e-Gazette of India and all the interested parties had access to the same. Further, the relevant embassy was also intimated in accordance with the Anti-Dumping Rules. The initiation notification allowed interested parties to place their comments to the proposed PCN methodology on record within 30 days of initiation. In light of the above, the Authority finds that the contention of the Caterpillar with regard to not being provided adequate opportunity to place its objections to the PCN methodology on record is unfounded.
- vi Certain interested parties had filed comments on the proposed PCN methodology within the prescribed deadline. To adequately understand and address such comments, the Authority held a discussion on the PCN methodology to be adopted in the subject investigation on November 3, 2022. Interested parties were further provided time until November 7, 2022, to file their comments on PCN Methodology. With the regard to the communications, Caterpillar failed to circulate its proposed PCN methodology to all the interested parties as per the list issued by the Authority to allow the interested parties a chance to review and provide their comments. Accordingly, the Authority has allowed only those interested parties which had filed their comments within the prescribed deadline and circulated their comments to other interested parties, to attend the discussion. After due consideration of the comments and submissions received from various interested parties, the Authority had finalized by the PCNs and notified vide Notification dated F. No. 6/4/2022 dated November 17, 2022.
- vii The Authority notes that that an anti-dumping investigation is a time-bound process, and submissions made after the expiry of specific deadlines are not required to be addressed. Nevertheless, the Authority addressed additional comments on the PCN methodology in the relevant section of the present final findings.
- viii The Authority reiterates that the interested parties have provided no evidence to establish that these additional parameters make a notable difference to the price comparison of the PUC warranting a separate PCN parameter, even at this stage of the investigation. In other words, no evidence has been provided to establish that absence of these parameters in the PCN would distort the assessment of dumping or injury. On the other hand, the domestic industry has provided relevant data to demonstrate that the difference in cost of wheel loaders on the basis of these combined additional parameters suggested by the interested parties is not significant. Accordingly, after examining the submissions of the interested parties, the Authority did not deem it appropriate to modify the PCN methodology.
- ix With regard to the definition of the PUC in SKD form, the Authority notes that it has not received any substantial comments on the definition proposed by it. It further observes that there is no requirement to define wheel loaders in CKD form since all wheel loaders other than those in CBU and SKD (as defined) form, are not covered within the scope of the investigation.
- x With regard to the submissions relating to the standing of the domestic industry, the Authority notes that both LiuGong India and Caterpillar India are domestic producers, but are not eligible to form 'domestic industry' within the meaning of Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules. An assessment of the exports made by their related exporters reveals that such exports are substantial, and have remained substantial through the injury period. Given the peculiar circumstances of the present investigation, the Authority has assessed exports by the related exporters through the injury period as well, for a holistic examination of whether the relationship between the domestic producers and the exporters renders them ineligible to constitute 'domestic industry' under Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules. Notably, during the POI, more than 30% of sales by LiuGong India were wheel loaders which were imported prior to the POI.
- xi With regard to the contention that Creative Manufacturing Solutions (India) Private Limited (CMS) should be considered as eligible domestic industry, the Authority notes that CMS is a job worker for the Caterpillar India Private Limited and job-workers cannot be considered domestic producers for the purposes of an anti-dumping investigation. In any event, it may be noted that Caterpillar India Private Limited has duly been considered as a domestic producer who is not eligible as domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules.

- xii With regard to submissions of the interested parties regarding an improvement in various economic parameters, the Authority notes that there is no requirement for all economic parameters to be deteriorating for the Authority to find that the domestic industry has been injured by dumped imports.
- xiii With regard to the injury being suffered by the domestic industry on account of a decline in demand, the Authority notes that the domestic industry suffered the highest losses when the demand of the PUC was relatively high. Therefore, the interested parties have failed to establish a causal relationship between the decline in demand and the injury caused to the domestic industry.
- xiv With regard to the injury being suffered by the domestic industry on account of the change in emission norms, the Authority reiterates that the domestic industry demonstrated that there has been no injury caused to it because of such a change during the on-site verification.
- xv With regard to the claims concerning the calculation of NIP, the Authority notes that the NIP has been computed on the basis of principles laid down in Annexure III of the Anti-Dumping Rules.
- xvi As regards the submission made by the domestic industry regarding disallowance of royalty paid for technical know-how for computation of NIP, the same has been disallowed as per Annexure-III to ADD Rules, 1995 and consistent practice of the Authority. Domestic Industry was requested to provide copy of the royalty agreement to establish whether the royalty expense is made for technical know-how of the product under consideration. However, the same was not provided to the Authority. It was also noted that the royalty payment was made to the related party on the specified percent of the sales. As the domestic industry has not fully cooperated, NIP has been calculated on the basis of best available facts and in terms of Rule 6(8) of ADD Rules.
- xvii With regard to the submission made by interested parties concerning 22% return on capital employed for calculating NIP, the authority notes that NIP has been calculated in accordance with Annexure III of Anti-dumping Rules and consistent practice of the Authority.

K. INDIAN INDUSTRY ISSUES

K.1 Submissions Made By Other Interested Parties

- i The other interested parties have made the following submissions with respect to the this:
- ii The imposition of anti-dumping duty would be detrimental to users and contrary to public interest, as wheel loaders are used in applications like mining, port operations, road construction etc.
- iii Operations carried out at port such as bulk material/ cargo handling require wheel loaders to do the job in a time bound manner. If anti-dumping duties are imposed on wheel loaders, it will increase the capital cost which will lead to deployment of lesser number of wheel loaders by service providers to complete the job. Thus, making such service provider business unviable.
- iv Further, the cascading effect of anti-dumping duties could have a bearing on the material movement from the port area to the end users. This will in-turn affect the turnaround time of vessels at the berth leading to heavy demurrage and other port handling charges.
- v Further, imposition of anti-dumping duty may lead to additional outflow/ negative impact on public exchequer and publicly funded institutions in terms of increased price of coal and the downstream applications like power (thermal power plant), steel etc.
- vi Wheel loaders contribute at many stages of various mining operations including coal mining. The broader stages of mining operations are removal of overburden, blasting, stock piling, transportation. Wheel loaders are majorly used in stock piling and transportation activities. An escalation in the 'on-road price' of wheel loaders will have a bearing on the overall cost of ownership of the machines for the end users. The end users are typically entities engaged as contractors in such activities. The impact on cost of ownership may be due to following attributable reasons-
 - Servicing of loans- Downpayment, EMIs
 - Resource and capacity constraints
 - Added operations and maintenance cost.
 - Contract Prices are generally non-negotiable in nature- Long Term Contracts
 - Cascading effect on the ecosystem of financial institutions may lead to delinquencies or even NPAs.

- Act as an entry barrier for contractors to bid for coal loading tenders.
- vii At the existing rate the contractor would go into losses and its operations would become unviable. Imposition of duty@ ***% would erode the profitability of the contractor by ***%, whereas a 40% duty would impact by ***%.
- viii As per the prevailing exchange rate, the impact of duty in INR terms is approximately ***/unit. Considering the average useful life of Loaders as 7-8 years, the impact of duty on downstream users is highly significant i.e. approximately INR *** to ***per year (excluding finance cost and taxes).

K.2 Submissions Made By The Domestic Industry

146. The domestic industry has made the following submissions:

- i There are no concerns regarding public interest in the present investigation since no users have participated in the present investigation. Additionally, except LiuGong India, no other interested party has filed an Economic Interest Questionnaire as well. Notably, no public interest issues were highlighted by the LiuGong as well. Therefore, it is not possible for any interested party to bring up the issue of public interest at this juncture.
- ii Wheel loaders are a very small part of the overall investment in mining and ports, and hence the impact of increased duty would be even more negligible.
- iii The impact the PUC is used in a wide array of industries and sectors. The application of the PUC is generally in quarry/crusher, large-scale construction, infrastructure projects, mining, ports and other industries. Therefore, the impact of the duties on downstream applications would differ depending on the scale and size of the project under which the PUC has been deployed.
- iv The impact of the anti-dumping duties cannot be calculated on a per-unit basis. It must be calculated on a cost-per-tonnage basis.
- v The imposition of 20% duties on the operation of the crusher would lead to an impact of about 0.4% only. As per the off-highway research report for the year 2020, the crusher industry (or quarry industry) is the largest segment and represents about 43% of the total demand of the PUC.
- vi For the rest of the segments like mining, road and construction, ports and other industries, the wheel loader is a much smaller part of the overall investment, and hence the impact of increased duty would be even more negligible.

K.3 Examination By Authority

- i. At the outset, the Authority notes that none of the users of the PUC have cooperated in the present investigation by filing the relevant user/economic interest questionnaire responses, participating in the oral hearing or filing any submissions. Based on this, there is no evidence placed on record which suggests that any imposition of anti-dumping duties would adversely impact the users of the PUC.
- ii The economic interest questionnaire has only been filed by LiuGong India and the domestic industry. LiuGong India did not raise any concerns related to public interest. However, the domestic industry has presented detailed calculations to show that the imposition of an anti-dumping duty would have a negligible impact on the user industry.
- iii One of the importers, M/s Gainwell Commosales Pvt. Ltd. has also provided calculations to claim that the imposition of anti-dumping duty would significantly impact the user industry. The Authority notes that the Gainwell Commosales has provided the calculations at the operator level (often hire purchaser) and not at the cost of operations of the mining or port operations as submitted by the domestic industry. Further, Gainwell has not provided the source of information such as life of wheel loader, interest cost considered, fuel consumption norms, diesel prices etc., to arrive at the end-user impact of the duties, if any. Gainwell Commosales submitted that it may provide the detailed calculations to the Authority on confidential basis at this stage of the investigation. It may be appreciated that anti-dumping investigations are time-bound process, and any new information at this stage will not be considered by the Authority.
- iv Accordingly, the Authority allocated the ownership costs over a period of 7 years, and added other annual costs (such as manpower, repair, maintenance, fuel). It was found that the impact of a 20-40% duty on a wheel loader is negligible for a contractor (hire purchaser).

- v In any case, the Authority notes that trade remedial measures are intended to restore equal competitive opportunities in the domestic market by ensuring level playing field to domestic producers through imposition of appropriate duties against unfair imports of the subject goods. At the same time, the Authority is cognizant of the fact that the impact of such duties is not limited to only the domestic producers of the PUC but also affects the users as well as consumers of the PUC. Further, imposition of duties may also lead to competition issues within the country.

L CONCLUSION

147. After examining the issues raised and submissions made by the interested parties and facts made available before the Authority as recorded in this finding, the Authority concludes that:

- i The subject goods exported from the subject country and the article manufactured by the domestic industry are 'like article' to each other in terms of Rule 2 (d) of the AD Rules, 1995.
- ii The domestic industry satisfies the requirements stipulated under Rule 2 (b) of the AD Rules, 1995 and application satisfies the standing requirements under Rule 5(3) of the AD Rules, 1995.
- iii The application contained all information relevant for the purpose of initiation of the anti – dumping investigation and necessary evidence in terms of Rule 5(2) of the AD Rules, 1995 to justify the initiation of the present investigation for determination of dumping and material injury to the domestic industry in terms of Rule 5 (3) of the AD Rules, 1995.
- iv The imports of the PUC from the subject country are at dumped prices.
- v The domestic industry has suffered material injury due to dumping of the product under consideration from the subject country:
- vi Dumped imports from the subject country have declined in both absolute and relative terms during the POI. However, imports have increased in 2020-21 compared to the base year 2018-19. These imports may have been sold in the domestic market during the POI, thereby injuring the domestic industry during the POI.
- vii The price undercutting calculated for the dumped imports is positive and high during the POI.
- viii The landed price of the subject imports has remained below the cost and the selling price of the domestic industry. Additionally, the domestic industry was unable to increase its selling price at the rate at which the cost of sales increased during the POI.
- ix The production and domestic sales for the PUC has declined in the POI as compared to the previous year and the base year.
- x The profitability of the domestic industry declined significantly, and the domestic industry is incurring losses. The return earned by the domestic industry is negative.
- xi The growth of the domestic industry has been negative on all parameters in the POI.
- xii The material injury has been caused by the dumped imports from the subject country, and there are no other factors which are causing injury to the domestic industry.

M RECOMMENDATIONS

148. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was provided to the domestic industry, other domestic producers, Embassy of the subject country, producers/exporters of the subject goods from the subject country, importers, users, and other interested parties to provide information with regards to dumping, injury, and causal link. Having initiated under Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules and conducted investigation in accordance with Rule 6 of the Anti-Dumping Rules regarding dumping, injury and causal link as required under Rule 17 (1) (a) of the Anti-Dumping Rules and established material injury to the domestic industry due to subject imports from the subject country, the Authority recommends imposition of anti – dumping duties on the subject imports from the subject country.
149. Considering the nature of the product under consideration and the large number of PCNs involved, the Authority considers that it would be appropriate to recommend anti-dumping duty as a percentage of the CIF value of the import price of the subject goods.
150. Further, having regard to the lesser duty rule as enunciated in Rule 17 (1)(b) of the Anti-Dumping Rules, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duties equal to the lesser of margin of dumping or margin of injury, from the date of notification to be issued in this regard by the Central

Government, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, definitive anti-dumping duties equal to the amount as percentage of CIF value indicated in Col 7 of the duty table given below is recommended to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government for a period of five (5) years:

Duty Table

S. No.	Customs Tariff Line	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty (% of CIF value in US\$)
1	2	3	4	5	6	7
1.	84295900 and 84295100	Wheel Loaders*	China PR	Any including China PR	Guangxi LiuGong Machinery Co. Ltd.	55.18%
2.	-do-	-do-	China PR	Any including China PR	Caterpillar (Qingzhou) Co., Ltd.	18.84%
3.	-do-	-do-	China PR	Any including China PR	Caterpillar (Suzhou) Co., Ltd.	18.84%
4.	-do-	-do-	China PR	Any including China PR	Liebherr Machinery (Dalian) Co. Ltd	NIL
5.	-do-	-do-	China PR	Any including China PR	Shandong Lingong Construction Machinery Co., Ltd. ("SDLG")	34.74%
6.	-do-	-do-	China PR	Any including China PR	XCMG Construction Machinery Co., Ltd.	77.68%
7.	-do-	-do-	China PR	Any including China PR	Any other Producer	82.71%

*"Wheel loader" is a self-propelled wheel-mounted equipment with an articulation joint, having front end loading mechanism.

Wheel loader imported in the form of completely built unit (CBU) or semi-knocked down (SKD) are included within the scope of the investigation. However, imports of wheel loader in completely knocked down (CKD) or component form are excluded from the scope of the investigation.

For the purposes of this recommendation, a wheel loader in SKD form consists of the machine body/chassis fitted with an engine, transmission, or axle in a single unit, which may or may not be fitted with one or more other components.

Explanation: If chassis/machine body is imported without an engine, transmission or axle fitted into it, no anti-dumping duties shall be payable.

The following products are excluded from the scope of the investigation:

151. The wheel loaders of the following specifications are to be excluded from the from the scope of the investigation:

- Rated payload capacity of more than 7,000 KG; and
- Gross engine power above 180 kW; and

- c) *Measured distance at the center between right and left wheel (wheel tread/track) above 2,280 mm; and*
- d) *Measured distance between the front and back wheel axles (wheelbase) above 3,350 mm.*

All the above parameters are 'and' conditions. In other words, a product is excluded from the scope of the PUC only if it satisfies all of the above conditions concurrently.
- e) *Wheel Loader in Completely Knocked Down (CKD) or component form are excluded from the scope of the investigation.*
- f) *Battery-operated wheel loaders are also excluded from the scope of the investigation.*

N FURTHER PROCEDURE

152. An appeal against the recommendation of the Authority shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Customs Tariff Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority